राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ७ } द्वितीय विधान सभा के सातवें सत्र का द्वितीय दिवस { संख्या २

मंगलवार, दिनांक १ दिसम्बर, १९५९

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विकास, राजस्व, कॉलोनाइज़ेशन, समाज कल्याण, खनिज, उद्योग, वित्त तथा शिक्षा—विभाग]

प्रश्न संख्या ३२

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३

महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३४

श्री गोवर्धनसिंह केन।

अनुपस्थित —(कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३५

श्री अध्यक्ष : श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)
रावराजा श्री सरदारसिंह

ज़िला टोंक में अतिवृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल की हानि

३६. राव राजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ज़िला टोंक में अतिवृष्टि से फसल स्यालू में ज्वार व बाजरा इत्यादि में नुकसान हुआ है। अगर हां, तो किस किस तहसील में और कितना कितना ?

(२) उपरोक्त नुकसान की जांच किस अधिकारी द्वारा करवाई गई तथा काश्तकारान को क्या क्या सहायता दी गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):

Page No 2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(१) जी हां, यह सही है। तहसील टोंक, निवाई, मालपुरा, टोडारायसिंह एवं अलीगढ़ में चार आने से ६ आने प्रति रुपया तक एवं तहसील देवली में चार आने से आठ आने प्रति रुपया तक फसल को हानि हुई।

(२) इस नुकसान की जांच किसी विशेष अधिकारी द्वारा नहीं कराई गई। खरीफ गिरदावरी के समय ही तहसील एवं सब-डिविजनल अधिकारियों द्वारा इस नुकसान की जानकारी हुई है। काश्तकारों को कोई सहायता नहीं दी गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने अभी फरमाया कि किसी विशेष अधिकारी के द्वारा जांच नहीं करवाई गई और पटवारियों के कहने से मान लिया कि चार आने से ६ आने खराब हुआ तो मतलब यह है कि तहसीलदार, क्लेक्टर, एस. डी. ओ. इसकी जांच करने के लिये नहीं गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य को पता नहीं है कि जो नये रूल्स में अमेंडमेंट हुआ है कि नोटिस गांव वालों को दे दिया जाता है कि गांव वाले निश्चित समय में अपने उजरात पेश करें और उजरात पेश करते ही तहसीलदार का कर्तव्य हो जाता है कि वह इमीजियेटली मौके पर जा कर जांच करे। तो इन नियमों के अनुसार गांव वालों को ही अलर्ट रहना चाहिये या वहां के सदस्य हैं उनको अलर्ट रहना चाहिये। कलेक्टर की या एस. डी. ओ. के जांच की आवश्यकता नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मन्त्री महोदय यह बतायें कि आखिर अपील करें तो किस के पास करें, कैसे करें, यह नोटिस कब जारी हुआ, कहां नोटिस भेजा जाता है, पंचायतों के जरिये या तहसील के जरिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने तो आपको नियम बताया है, इसके लिये प्रोसीजर बताया है, कब किया, कैसे किया यह जानकारी अलग से चाहें तो दी जा सकती है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : इस पर्टिकुलर केस में यह बताइये कि पूरे नियमों को फोलो किया था के नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रिज्यूम यही करना चाहिये कि फोलो किया गया है।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रिज्यूम नहीं करना चाहिये, मैं तो पूछता हूँ कि इसमें इन सारे नियमों को फोलो किया था कि नहीं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : लीगल कार्यवाही के लिये फरमाते हैं, काश्तकार कहां जायेगा, कहां अपील करेगा, इसके लिये तो सरल तरीका यह होना चाहिये कि पंचायतों के के जरिये यह नोटिस दिया जाय। पंचायतों के जारिये यह सारी कार्यवाही करानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : गिरदावरी करते समय पंच और सरपंच को साथ रखते हैं तो खराबे में भी यही कार्यवाही की जाती होगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, यही होता है, खराबे में भी यही इसी प्रकार जांच होती है और उजरात पेश किये जाने पर तहसीलदार को फौरन मौके पर जा कर जांच करना चाहिये।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसमें तहसीलदार मौके पर गया कि नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कब कहता हूँ कि नहीं गया। राय में इख्तिलाफात हों खराबे के सम्बन्ध में तो तहसीलदार को फौरन मौके पर जांच के लिये जाना चाहिये। आप कोई इन्स्टान्स बताइये कि तहसीलदार मौके पर जांच के लिये नहीं गया तो मैं एक्शन लूंगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वहां पर कोई तहकीकात करने के लिये नहीं गया। मैं खुद वहां पर गया और वहां जाकर मैंने एक चिट्ठी कलक्टर, तहसीलदार और प्रधान को लिखी कि वे यहां आकर देखें. या किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजें ताकि वह आकर देखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी चिट्ठी पर फौरन कार्यवाही की गई। कलक्टर को लिखा गया और उन्होंने आदमी भेजा और आपकी चिट्ठी पर जांच हुई और यह मालूम हुआ कि दो आने से लगा कर चार आने तक नुकसान हुआ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैंने पहले आपसे पूछा कि क्या ऑफिसरों को भेजा या नहीं, पहले ही उत्तर दे देते।

श्री अध्यक्ष : यह तो आपकी चिट्ठी का असर है।

एक माननीय सदस्य : नोटिस देने का क्या तरीका है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : नोटिस देने का तरीका है कि उस गांव में इतना नुकसान हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३७।

महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३८

श्री रामनारायण वर्मा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अमृतलाल यादव।

समाज कल्याण विभाग द्वारा गजेटेड व नांन-गजेटेड पदों के लिये की गई नियुक्तियों में हरिजनों व आदिवासियों का अनुपात

३६. **श्री अमृतलाल यादव** (जालोर-सु०) श्री गोवरधन सिंह केन (बयाना सु० द्वारा पूछा गया) : क्या समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:— पिछले पांच सालों में समाज कल्याण विभाग में कुल कितनी गजेटेड और नॉन-गजेटेड पोस्ट्स पर नियुक्तियां की गई तथा उनमें से गजेटेड पोस्टों पर कितने और नॉन गजेटेड पोस्टों पर कितने हरिजन और कितने आदिवासी नियुक्त किये गये ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। इसलिये अगली टर्न पर इसका उत्तर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट टर्न पर।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ४०

महाराज श्री हुकमसिंह ।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट ।

राजस्थान नहर के 'कमान्डेड एरिया' में भूमिहीन किसानों व हरिजनों को दी गई विशेष सुविधायें ।

४१. श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु०) श्री गोवरधनसिंह केन (बयाना सु०) द्वारा पूछा गया) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे:— (१) क्या सरकार ने राजस्थान नहर के 'कमाण्डेड एरिया' के लिए कॉलोनाइज़ेशन पॉलिसी निर्धारित कर दी है ?

(२) यदि हां, तो उसमें भूमिहीन किसानों और हरिजन आदिवासियों को भूमि प्राप्त करने के लिये क्या विशेष सुविधाएं हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

करौली में पत्थर की खान का ठेका

४२. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Mines be pleased to state:—

1. Is it correct that the lease for a stone quarry in Karauli has been extended in favour of Shri Jhumar Lal Swarup Lal Tewari at Rs 81,000/- per annum ?

2. Is it also correct that there were other parties who offered to pay Rs. 2,51,000 per annum for the lease of the same quarry under the same terms and conditions ?

उप-मन्त्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (1) No, only 30 sq. miles renewed on Rs. 80,000, per annum as deadrent.

2. No, only Rs. 2,10,000/- was offered for whole of the area consisting of 1,200 sq. miles which was previously held by the party under lease.

श्री पी० के० चौधरी : Since when the present lease holder has been holding lease continuously in that area ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I cannot definitely say but I think for about 10 years.

श्री पी० के० चौधरी : Why the lease was not given to other parties who offered higher tenders.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It was for the whole area which was consisting of 12 hundred sq. miles and that offer was for 21 acs and 10 thousand while for the rest of the areas which have been given to other we have only received 2 lacs 40 thousand plus 80 thousand and thus it comes to 3 lacs and 20 thousand about.

Page No 5

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या आप बता सकते हैं कि ८५ हज़ार में कितना लीज़ पर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : ३० वर्ग मील ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ३० वर्ग मील ।

श्री श्रीभानसिंह : This area is one of the areas which is the best...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Not the whole of it.

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

नायब तहसीलदार, सोजत द्वारा मुसम्मात मीसराई को बेचान मकान व खातेदारी की पेश की गई रजिस्ट्री

४३. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह बात सही है कि दिनांक ८. ७. ५६ को १ बजे मुसम्मात मीसराई द्वारा पेश की गई एक रजिस्ट्री बाबत बेचान मकान खातेदारी की श्री लालचन्द, नायब तहसीलदार सोजत ने की ?

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त रजिस्ट्री, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में न करके श्री भाणका पुत्र भोरा गांची, साकिन सोजत के मकान पर की गई जहां मुसम्मात मीसराई नाते जा चुकी है ?

(३) क्या यह बात सही है कि श्री रामराज, तहसील अहलमद भी मौके पर साथ था लेकिन श्री लालचन्द ने मौके की फीस पूरी अपनी जेब में रखने के लिये श्री रामराज को मौके की रिपोर्ट नहीं करने दी व रजिस्ट्री का अपने ऑफिस में होना बताया ।

(४) क्या यह बात सही है कि दस्तावेज मौके पर रजिस्ट्री करने की फीस श्री लालचन्द ने १५) रू० चार्ज किये जो श्री लालचन्द ने खजाने में जमा नहीं कराये ?

(५) क्या यह बात सही है कि श्री लालचन्द को यह ज्ञात होते हुए कि मुसम्मात मीसराई अब कानाराम की बेवा नहीं है व श्री भाणका पुत्र भोरा की औरत है व श्री रामराज की इसकी तवज्जाह दिलाने पर कि यह औरत आज दिन काना की बेवा नहीं है व भाणचन्द की औरत है फिर भी श्री लालचन्द ने ऐसा कह कर कि आपको इससे क्या मतलब है दस्तखत तो मैं करूंगा और उक्त दस्तावेज की नाजायज तौर से रजिस्ट्री की ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां । यह सही है । किन्तु रजिस्ट्री दिनांक ८. ७. ५६ को पेश न होकर दिनांक ८. ६. ५६ को हुई है ।

(२) जी नहीं । रजिस्ट्री दफ्तर में हुई है ।

(३) जी नहीं । अब रजिस्ट्री दफ्तर में हुई है, तो यह प्रश्न नहीं उठता ।

(४) जी नहीं ।

(५) जी नहीं । रजिस्ट्रार महोदय के सामने जैसा पहिचानने वाला कहता है वैसा ही वह लिखता है । अतः यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री पी० के० चौधरी ।

Page No 6

भीलवाड़ा में अभ्रक निकालने के क्षेत्र का नियतन

४४. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Industries Minister be pleased to states :—

1. Is it correct that on or about the year 1954, applications were received by the Government from certain individuals and firms including that of Mr. Rajgarhia for allotment of a site for Mica splitting factory in Bhilwara Town ? If so, name of the individual or the firm to whom any factory site has been allotted in the town may be given along with the area of the land allotted as well as the rate at which the land has been sold to them ? What is the comparable rate of land sold by the municipality or any individual in the neighbourhood in recent years namely from 1954 up-to-date.

2. Is it correct that the allottes have been given an undertaking to the Government to employ certain amount of labour ? If so, a copy of the application as well as the agreement may be placed on the table of the House.

3. Since when the factory has gone into production, what is its average monthly production and how many labourers have been engaged by the factory management so far on its permanent and temporary pay roll ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (a) Yes.

(b) Shri R. B. Ramprasad Rajgarhia.

(c) 2 acres. -/8/- per sq. yard for industrial purposes and -/15/- per sq. yard for other purposes.

2. No.

3. The average production yearwise and labour engaged are given hereunder :—

Period	Spilitting	Labour		
	Md. Sr. Ch.	From Outside बहार	Local.	Total.
July 53 to Dec. 55	19—4—4	17	10	27
Jan.56 to Dec.56.	89—10—8	19	17	36
Jan.57 to Dec. 57	44—29—5	10	13	23
Jan'58 to Dec.58	8—33—11	—	7	7

Page No 7

श्री पी० के० चौधरी : Why there is a fall in the employment of labour ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Because that requires a special kind of labour and therefore in these circumstances, it is not possible to have the local labour and, therefore, they have not been able to have this factory put up properly for want of skilled labour.

श्री पी० के० चौधरी : Why there was a fall in the labour.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : Because they did not find it economic to have this factory, splitting factory on account of the fact that the skilled labour is not coming.

श्री पी० के० चौधरी : What was the comparable rate of land of that area ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have already stated that it was comparable rate for other areas-15 annas per sq. yard and the concern was given at a concessional rate of annas -/8/-.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जालोर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के कल्याणार्थ किये गये कार्य

४५. श्री अमृतलाल यादव (जालोर-सु.) श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना—सु.) द्वारा पूछा गया] :

क्या समाजकल्याण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगें:—

(१) जालोर जिले की जनसंख्या कितनी है व उसमें हरिजनों का क्या अनुपात है ?

(२) सरकार द्वारा उक्त जिले में अब तक हरिजनों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किये गये हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) जिला जालोर की कुल जन संख्या ४,५९,४६७ है जिसमें १७,२४० हरिजन (अनुसूचित जाति) लोग हैं। कुल जन-संख्या में हरिजनों का अनुपात १०००,३८ बनता है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मनोहर कोठारी ।

भूमि वितरण; तहसील आमेट ।

४६. मनोहर कोठरी (कुम्भलगढ) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि आमेट तहसील द्वारा भूमि वितरण कमेटी की राय के बिना ही किसानों को अस्थाई तौर पर व्यक्तिगत रूप में भूमि वितरण की गई ?

(२) यदि हाँ, तो किन किन व्यक्तियों को, कितनी कितनी भूमि दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम जैतपुरा में तहसील द्वारा व्यक्तिगत जिन लोगों को यह कह कर भूमि दी गई कि पूरी तरह समझाने के बाद भी वे सहकारी समिति बनाने

Page No 8

(श्री मनोहर कोठारी)

को तत्पर नहीं हैं उन्हीं लोगों की सहकारी समिति भूमि वितरण किये जाने के पश्चात् सहकारी इन्सपेक्टर की प्रेरणा से बन गई है ?

(४) यदि हाँ, तो तहसील की उक्त कार्यवाही के संबन्ध में क्या कदम उठाया जा रहा है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां। तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश रेवेन्यू बोर्ड को दे दिया गया है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ग्राम जैतपुरा में ८ व्यक्तियों को ८० बीघा भूमि सहकारिता के बिना पर ही मौके पर देना तय कर पटवारी को नकशा खसरा बनाने का आदेश दिया गया। पटवारी के मौके पर जाने पर वे व्यक्ति सामुहिक भूमि लेने को तैयार नहीं हुये। कोऑपरेटिव इन्सपैक्टर ने दूसरी सहकारी समिति बनाई जिसमें पूर्व के व्यक्ति सम्मिलित नहीं हुये।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री मनोहर कोठारी : जब आपने यह बताया है कि तहसीलदार के खिलाफ इन्क्वायरी के आदेश दिये गये है। मैंने यह पूछा है कि उक्त संबन्ध में तहसीलदार ने जो कार्यवाही की है उसके लिये क्या कदम उठाया जा रहा है। इसके अलावा सहकारी समितियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत जमीनें दी गई हैं और अगर इसी तरह की परम्परा चलती रही तो लोग सहकारी समितियें बनाना पसन्द नहीं करेंगे। अगर आप भूमि व्यक्तिगत देते रहे तो आप बतावें कि क्या लोग सहकारी समितियों को बनाना पसन्द करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसीलिये मैंने अर्ज किया है कि तहसीलदार के खिलाफ ऐक्शन लेने के लिये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को आदेश दे दिये गये है। इसके अलावा इसमें कोई अनियमितता नही की गई हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पी० के० चौधरी।

भोपाल माइनिंग फैक्ट्री कोमन्ग्रोप (Mangrop) खान का ठेका

४७. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister in charge of Mines be pleased to state:—

1. Is it correct that Mangrop Quarry has been leased out to Bhopal Mining Factory ?

2. Is it also correct that formerly the quarry was worked by a Cooperative Society of workers who have been thrown out of employment on account of the lease given to the factory ?

उप-मंत्री, खनिज (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : 1. Yes, it has been leased out to M/s. Bhopal Mining Works.

2. There was no cooperative Society registered under the Cooperative Societies Registrtaion Act. The quarry was worked in an unsystematic manner by the local kaars and Malies, intermittently i. e. once in two or three years and that too for a couple of months. The question of throwing

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

out of employment of the workers does not arise at all. On the other hand during the lease period the deposit has been worked on more extensive scale thus giving employment to far more local workers before than it was possible.

श्री पी. के. चौधरी : Before it was leased out to the factory to how many people it was leased out ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : You mean to say Khers and Malies ?

श्री पी. के. चौधरी : How many people were working before it was leased ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I think the number was very small about 10 or 15.

श्री पी. के. चौधरी : Just now you have given that 10 people are working. How that the employment has decreased..........

श्री अध्यक्ष : He does not say that 10 are working.

श्री पी. के. चौधरी : In the previous question he says that the number is 10 and in the other he says that in the Bhopal Factory it has gone down to...

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That is Rajgarhia and this is Bhopal Mining Factory. These are two different firms Don't misunderstand please.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास ।

विकास खंड, निम्बाहेड़ा

४८, **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा विकास खण्ड का काम कब से शुरु हुआ तथा इसके अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई ?

(२) विकास खण्ड कार्यालय, निम्बाहेड़ा में विभिन्न पदों पर अब कितने अधिकारी नियुक्त हैं ?

(३) क्या यह सही है कि यहां के कर्मचारियों को स्टाफ की कमी होने से अपने कार्य के अतिरिक्त काम करना पड़ता है ?

विकास मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : (१) निम्बाहेड़ा विकास खण्ड का कार्य जून सन् १९५८ में प्रारम्भ हुआ । अब तक कार्य की जो प्रगति हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(३) जी नहीं । विकास खण्डों में जो कार्य किये जाते हैं वे एक टीम की भावना से किये जाते हैं । और हो सकता कि कभी कभी किसी कर्मचारी को विकास के अन्य कार्यों में भी सहयोग देना होता है अन्यथा सभी कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में ही कार्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

करते हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें जो प्रगति हुई है उसके सम्बन्ध में अलग अलग प्रकार से आंकड़े दिये गये हैं। विकास खण्डों में जितनी जमीन जोतने लायक पड़ी हुई है उसको ठीक करने और बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम इनमें हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह कार्यक्रम अलग से चलता है। मेड़बन्दी वगैरह का कार्य भी अलग से चलता है। अन्कल्टीवेटेड थी तो इसका मतलब यह हो कि जितनी जमीन है उसको समतल करके ठीक तरह से काम में लेने लायक बनाया जाय तो विकास खण्ड के अन्तर्गत ऐसा नहीं होता है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का कार्यक्रम विकास खण्ड में नहीं रख पाते ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसके लिए स्वतन्त्रता है कि कोई रखना चाहे तो रख सकता है लेकिन निश्चित तौर पर रखा ही जाना चाहिये, यह कोई जरूरी नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो भी खर्चा किया गया, इसमें ११ हजार रुपया खर्च किया गया है और इसकी लिस्ट भी दी है लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है कि पांच बीघा जमीन विकास खण्ड में ठीक की गई और किसानों को दी गई। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह विकास खण्ड के लिए आवश्यक रूप में है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसानों के पास ज़मीन है। उसको भी अच्छा करना एक काम है वह भी हो सकता है और पांच बीघा ठीक करना कोई महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्पादन बढाना विकास खण्ड का काम है तो नई जमीन को ठीक करना और जुतवाना यह अनिवार्य रूप से है या नहीं।?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अनिवार्य रूप से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकुमसिंह।

अखबारी कागज पर बिक्री-कर न लेना

५६. **महाराज श्री हुकुमसिंह** (जैसलमेर — राव राजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) द्वारा पूछा गया : क्या वित्त मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार अन्य प्रान्तीय सरकारों की भांति अखबारी कागज पर से बिक्री कर हटाने की योजना पर विचार कर रही है ?

(२) क्या यह सही हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ पत्रकारों ने सरकार से मांग की है ? यदि हां, तो सरकार ने उन्हें क्या उत्तर दिया ?

वित्त मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : दोनों ही प्रश्नों का उत्तर एक ही है। जी हां, राजस्थान समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन, अजमेर का अखबारी कागज को मुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध का आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

Page No 11

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय हो जावेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आवेदन पत्र आया है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : न्यूज प्रिंट कागज़ के खरीददाता दो तरह के हैं। कुछ तो यह कागज बाहर से मंगाते हैं और कुछ यहां से ही खरीदते हैं। बाहर से मंगाते हैं उनको दिक्कत नहीं है। यहां से खरीदते हैं उनके बारे में जांच करवायी जा रही है कि कितने लोग यहां से ही खरीदते हैं। ज्यादातर यहां से ही खरीदते हैं तो उसके लिए कर मुक्ति का प्रश्न उठ सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है और कोई काम हो तो उसको खत्ते में डालकर इसको जल्दी ही कर देना चाहिये।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जल्दी ही करेंगे।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आवेदन पत्र कब मिला था ?

When did the Hon'ble Minister receive that application

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तारीख इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री पी. के. चौधरी : Is it a fact thta it was received by the Government abcut a year back.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता, अभी मेरे पास नहीं हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आवेदन-पत्र मिला भी था या नहीं, यह भी कोई पक्की बात है या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैंने जवाब में ही कहा है कि मिला है

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

राजस्थान साहित्य अकादमी

५०. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

बीकानेर में राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थापित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : वर्तमान परिस्थिति में स्वतन्त्र रूप से राजस्थानी साहित्य अकादमी स्थापित करने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय से कुछ व्यक्ति बीकानेर में मिले थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि राजस्थानी अकादमी बीकानेर में अवश्य स्थापित की जायेगी।

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): जी नहीं, मैंने यह कहीं नहीं कहा कि बीकानेर में अवश्य स्थापित की जायेगी।

श्री अध्यक्ष : ऐसा तो कह ही नहीं

Page No 12

(श्री अध्यक्ष)

सकते ।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : आश्वासन दिया गया था जो पत्रों में भी छपा था। मैं यह खास तौर पर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के सेक्रेटरी ने प्रकाशित किया था कि इस प्रकार का क्लीयर आश्वासन दिया है। यदि आश्वासन दिया हो और ठीक है कि बाद में पूरा न हो पाया हो, यदि दिया है तो कहना चाहिये कि दिया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं।

श्री भीमसेन (लुणकरणसर) : कौनसी परिस्थिति ऐसी है कि जिनके कारण से आप विचार नहीं कर रहे हैं।

श्री पूनमचंद विश्नोई : राजस्थानी को अलग भाषा होने के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरा हिन्दी को सही माना गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान अकादमी है जो राजस्थानी और अन्य भाषाओं का साथ साथ विकास कर सकती है।

श्री भीमसेन : साहित्य अकादमी ने राजस्थानी के लिए क्या किया ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस साल सौंपने का विचार कर रही है और इस साल धन राशि भी उपलब्ध कर रहे हैं।

श्री भीमसेन : इसकी शाखा बीकानेर में क्यों नहीं खोल सकते ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह उनके ऊपर है, कहीं रखे, हम तो इसमें दखल नहीं दे सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में क्या रिसर्च हो रही है और सरकार राशि दे रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थानी के लिए कई जगह रिसर्च हो रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : बीकानेर में हो रही है या नहीं ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस प्रकार की सोसाइटी रजिस्टर्ड हो तो उसको सहायता देने के लिए ग्रान्ट–इन–एड के रूल्स में प्रावधान है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

आमेट तहसील में हरे वृक्षों की नीलामी

५१. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि आमेट तहसील, ज़िला उदयपुर ने श्री फतेहसिंह नामक किसी व्यक्ति के सरदारगढ़ में हरे वृक्ष नीलाम करवाये ?

(२) यदि हां, तो किस कारण से ?

(३) नीलाम की कार्यवाही कितनी बार किस किस की उपस्थित में हुई और प्रत्येक बार अन्तिम बोली कितनी कितनी लगी ?

(४) क्या तहसील द्वारा इस प्रकार हरे वृक्ष नीलाम करा कर काटने की स्वीकृत देना उचित था ?

(श्री मनोहर कोठारी)

(५) क्या यह सत्य है कि ज़िलाधीश, उदयपुर ने इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को जांच के लिये नियुक्त किया है ?

(६) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या किया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) इसके निम्नांकित कारण है :—

(१) श्री फतेहसिंह ने दि० २४-३-५९ को एक प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि उसकी काश्त की भूमि में बबूल के छोटे बड़े ३०० पेड़ हैं जिनके कारण फसल को बड़ी हानि होती है अतः उन्हें काटने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

(२) दूसरा कारण यह था कि श्री फतेहसिंह के जिम्मे तकावी की किश्तों की कुछ रकमें बकाया थी जिनका विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) रेवेन्यू तकावी : ५२७ रु०, २४ न.पै.

(ख) फेमिन तकावी : ५९९ रु०, ६२ न.पै.

कुल बकाया द्रव्य १,१२६ रु०, ८६ न. पै.

बाकीदार की हैसियत तकावी की बकाया रकम जमा कराने की न होने के कारण उसकी रज़ामन्दी तथा पटवारी व इन्स्पेक्टर की तस्दीक पर दिनांक ७-४-५९ को उक्त बबूल के पेड़ों की नीलामी के सम्बन्ध में तहसीलदार, देवपुरा ने आदेश प्रदान किये थे। उस आज्ञा के तहत ही पेड़ों की नीलामी की कार्यवाही की गई थी।

(३) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) जी नहीं, इस विषय में जांच के लिये सब-डिविजनल ऑफिसर, राजसमन्द को नियुक्त किया गया था। रेवेन्यू बोर्ड को तहसीलदार के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(५) जी हां। इस बारे में पहले ही प्रश्न के खण्ड ४ में उल्लेख किया जा चुका है।

(६) एस. डी. ओ. की जांच समाप्त हो चुकी है किन्तु प्रस्ताव जिलाधीश उदयपुर से अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार वांछित कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री मनोहर कोठारी : क्या यह सत्य है कि जिस व्यक्ति के पेड़ नीलाम करवाये गये उसके और भी जायदाद थी जिससे बकाया तकावी की रकम वसूल की जा सकती थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार ने गलती की इसीलिए उसके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन की कार्यवाही करने के लिए आदेश दिये जा चुके हैं। जब दूसरी जायदाद थी तो फिर पेड़ क्यों नीलाम करवाये, यह भी इसमें आ जाता है। खास तौर पर पेड़ तो नीलाम करवाये ही नहीं जा सकते। यह ऐसा किया गया इसीलिए तहसीलदार के खिलाफ डिसीप्लीनरी की कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री तनसिंह।

Page No 14

तहसील बाड़मेर में वितरण समिति द्वारा आरजी काश्त के लिए वितरित भूमि

५२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मन्त्री, राजस्व विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बाड़मेर तहसील में सन् ५६-५७ में वितरण समिति द्वारा किन किन लोगों को कितनी कितनी भूमि आरज़ी काश्त के लिये वितरित की गई ?

(२) इनमें से किनको सन् ५७–५८ में भी वही भूमि पुनः वितरित की गई ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) बाड़मेर तहसील में सन् ५६–५७ में वितरण समिति द्वारा किसी को भी भूमि आरजी काश्त के लिए वितरित नहीं की गई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : क्यों नहीं की गई इस साल में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ५६–५७ के लिये नहीं दी गई।

श्री तनसिंह : क्यों नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्यों नहीं दी गई यह मैं नहीं कह सकता। या तो कमेटी की मीटिंग नहीं होगी There may be many reasons. आपने सवाल यह पूछा था कि बाड़मेर तहसील में सन् ५६–५७ में वितरण समिति द्वारा किन किन लोगों को कितनी कितनी भूमि आरज़ी काश्त के लिये वितरित की गई ?

इसका जवाब मैंने दे दिया कि नहीं की गई। किसी की दरख्वास्त थी या नहीं यह मैं नहीं कह सकता।

श्री तनसिंह : जब सवाल यह पूछा गया कि किनको जमीन दी गई, कब दी गई उसका जब उत्तर नकारात्मक आता है तो नेचुरली यह सप्लीमेन्टरी आता है कि दी क्यों नहीं गई ? इसका कारण क्या था ? हमारा खयाल यह था कि जमीन दी गई। आपको वेलिड कारण बताने चाहिये कि क्यों नहीं दी गई। हमारा यह वेलिड सप्लीमेन्टरी है इसका उत्तर माननीय मन्त्री महोदय को लेकर आना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह अर्ज करना चाहता हूँ। जो भी जानकारी आप चाहें उस संबंध में डायरेक्ट सवाल होता है तो उसका जवाब आसानी से दिया जा सकता है। आपने जो सवाल पूछा था उसका मैंने उत्तर दे दिया जमीन का अलॉटमेंन्ट नहीं किया गया। अब क्या किसी तहसीलदार ने जान बूझकर ऐसी दरख्वास्तें थीं और उन पर गौर नहीं किया गया यह मैं नहीं कह सकता। इसके लिये दरख्वास्तें ली या नहीं, या टाइम बार होने से अलॉट मेन्ट नहीं हुआ ये सब ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी तत्काल नहीं दी जा सकती प्रोपर तो यह था कि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में स्ट्रेट क्वश्चन पूछ लेते।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : तो क्या यह माना जाय कि दरख्वास्तें थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप जो कुछ चाहे मान लीजिये लेकिन जमीन वितरित नहीं की गई।

श्री तनसिंह : आपके जवाब के बाद क्या संभव है जो सप्लीमेन्टरी के रूप में पूछा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य भी उस वितरण समिति के सदस्य होंगे ? आप ही बता दीजिये जमीन क्यों नहीं बांटी गई।

श्री तनसिंह : मेरा तो यह ख्याल है कि मीटिंग भी हुई है और जमीन का वितरण भी हुआ है। एक दो मीटिंग में मैं भी उपस्थित था। दरख्वास्ते थीं फिर जमीन का वितरण क्यों नहीं किया गया, यह मैं नहीं कह सकता। वे दरख्वास्ते खारिज कर दी गई या क्या किया गया, यह मैं नहीं कह सकता।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): यह भी संभव हो सकता है कि दूसरे मेम्बर्स ही न आये हों और कोरम ही पूरा न हुआ हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने जो सवाल पूछा था उसका मैंने जवाब दे दिया कि ५६-५७ में कोई जमीन का वितरण नहीं किया गया। ५७-५८ में १३९ आदमियों को जमीन अलॉट हुई है; उस समय जो कमेटी हुई उसमें ११ सरपंच मौजूद थे एम० एल० ए० सदस्य उपस्थित नहीं थे। अब तो मैंने आपको ५७-५८ के फिगर्स दे दिये तब तो सन्तोष होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

आर० इ० एस० में प्रमोशन देने के आधार

५३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने आर० इ० एस० में प्रमोशन देने के लिये क्या नियम बनाये हैं ?

(२) इन नियमों के आधार पर प्रमोशन साक्षात्कार करके दिया गया था या रेकॉर्ड के आधार पर ?

(३) रेकॉर्ड्स के आधार पर जिन्हें प्रमोशन नहीं दिया गया क्या उनके अयोग्यता के कारण सम्बन्धित व्यक्तियों को बताये गये ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ लोगों को जुनियर होते हुए भी डिग्री हैड बना दिया गया ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(१) आर० इ० एस० में प्रमोशन देने के नियम राजस्थान एज्यूकेशन सर्विस (कॉलेजियेट ब्रान्च) रूल्स, १९५८ में दिये हुये हैं। ये रूल्स राजस्थान राजपत्र दिनांक ९ अप्रेल, सन् १९५९ में प्रकाशित किये जा चुके हैं।

(२) दोनों प्रकार से।

(३) प्रमोशन तुलनात्मक योग्यता के आधार पर किये गये हैं। अयोग्यता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी हां। तुलनात्मक वरिष्टता एवं योग्यता के आधार पर।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या ये जो प्रमोशन दिये गये तुलनात्मक योग्यता के आधार पर एवं वरिष्ठता के आधार पर दिये गये ? क्या इसी को बुनियाद माना गया ? क्या ऐसे भी बहुत से लोग बच गये हैं जिनके पास दोनों आधार होते हुए भी प्रमोशन नहीं मिला और दूसरों को मिल गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जितनी पोस्टें उपलब्ध होती है उतनों का ही सिलेक्शन होता है। बहुत से क्वालिफाइड होते हुए भी पोस्टों की कमी के कारण वे चुनाव में आ नहीं सकते।

श्री मुरलीधर व्यास : आपके उत्तर के बाद यह तो मान लिया जाना चाहिये कि जिनको भी आर० ए० एस० में लिया गया है, योग्यता एवं वरिष्ठता को आधार मानकर ही लिया गया है और ऐसी हालत में जिन लोगों को अवसर नहीं मिला उनको भी अवसर दिया जायेगा.?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप समझें नहीं सिलेक्सन पोस्ट्स जितनी होती हैं उतनी के लिए ही होता है। मान लीजिये किसी पोस्ट के लिए ५० व्यक्ति योग्य हैं किन्तु यदि वे पोस्टें केवल पांच ही हैं तो उन पांचों के लिये चुनाव होगा, पैंतालिस को बाकी रहना पड़ेगा।

श्री मुरलीधर व्यास : लेकिन यदि पांच ही व्यक्ति लिए जायेंगे तो वे भी तो सिनियोरिटी के आधार पर लिए जावेंगे ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : योग्यता एवं सिनियोरिटी दोनों के आधार पर।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार अनेकों लोग रह गये हैं। जिनका चुनाव हो गया उनसे सभी मायने में सीनियर और योग्य हैं फिर भी उनको नहीं लिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अगर सीनियर हैं तो योग्य नहीं होंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : यह मानने का क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए सिलेक्शन कमेटी आधार हुआ करती है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सिनियोरीटी का क्वश्चन छोड़ा जा सकता है, किन्तु जहां तक योग्यता और अयोग्यता के निर्धारण का सवाल है, वह बिना रेकॉर्ड के कैसे नापी जा सकती है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने यह नहीं कहा कि उनको रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। सिलेक्शन कमेटी निम्न चार बातों का आधार रखती है :—

1. Acadanic qualification.
2. Tact.
3. Intelligence and integrity
4. Previous record of service. All these things were taken into consideration and thereafter a decision was taken.

श्री भैरोंसिंह : इन चारों बातों का कन्सीडरेशन सिलेक्शन कमेटी ने रेकॉर्ड के आधार पर लिया है या अपनी इच्छानुसार जजमेन्ट लिया है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : सारी बातें देखी गई हैं। जो मैंने ऊपर चार बातें बताई है उन सब को देखा गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : जिन चार बातों का आपने आधार बताया उन चार बातों के होते हुए भी कई रह गये हैं उनकी लिस्ट यदि आपको दी जाय तो क्या आप विचार करेंगे ?

Page No 17

शिक्षा मन्त्री श्री (मोहनलाल सुखाड़िया) : किसी भी हाइपोथिटिकल क्वश्चन का जवाब नहीं दिया जा सकता। जो कुछ भी किया गया है वह सब उपरोक्त बातों को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब पॉलिसी मालूम पड़ जाय, जब हम किसी पॉलिसी को मॉन्य कर लेते हैं तो फिर दूसरा सवाल पैदा होता है मेरा यह प्रश्न है—आपने तुलनात्मक योग्यता और वरिष्ठता को इस सिलेक्शन का आधार माना है ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने आपके सामने चार चीजें, जिनको आधार मानकर सिलेक्शन किया गया, वह बता दी हैं। उसी के अनुसार कमेटी ने विचार किया और अपनी रिकमन्डेशन्स सरकार के पास भिजवा दी।

श्री भैरोंसिंह : जिन चार चीजों को आपने सिलेक्शन का आधार बताया है क्या उन चारों चीजों की प्रामाणिकता के बारे में उनके रेकॉर्ड को आधार मान कर तय किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : केवल रेकॉर्ड को मंगाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। इनके सामने सारी रिकमन्डेशन्स होती हैं कॉन्फीडेन्शियल रेकॉर्ड्स होते हैं उनके आधार पर चुनाव होते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या सिलेक्शन कमेटी ने रेकॉर्ड को न देखकर केवल सरकार द्वारा जो स्टेटमेन्ट तैयार किया हुआ होता है, उसी को आधार मानकर सिलेक्शन किया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जब सिलेक्शन किया जाता है, उस समय सिलेक्शन कमेटी के सामने सारा रेकॉर्ड अवेलेबल होता है। उसके अलावा कमेटी जिस किसी भी प्रकार के रेकॉर्ड की मांग करती है गवर्नमेन्ट उनको भेजती है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह मान लिया जाय कि जो भी सिलेक्शन हुआ है वह इन चारों बातों को आधार मान कर हुआ है और जो भी रेकॉर्ड इस संबन्ध में था वह सब कमेटी को उपलब्ध था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कुछ चीजें रेकार्ड के अलावा भी होती हैं, कुछ हरेक के अचीवमेन्ट्स होते हैं। मान लीजिये किसी प्रोफेसर ने कोई रिसर्च किया हो तो वह उसके लिए एक प्रकार का असेट बन जाता है प्रमोशन के समय इसको भी खयाल में रखा जाता है। उसके अलावा उसका कॉन्फीडेन्शियल रेकॉर्ड होता है जिसमें उसकी डे टू डे की बातों का दिग्दर्शन होता है। इन सारी बातों का ध्यान रखकर सिलेक्शन किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास: इन सारी बातों में जो ऊंचे हों, रेकॉर्ड जिनका अच्छा हो उनको तो रख दिया गया है और जो तुलनात्मक वरिष्ठता में उनसे बहुत नीचे आते हैं उनको प्रोमोशन दिया गया है—अगर यह साबित हो जाता है तो आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप यह प्रश्न चार दफा दोहरा चुके हैं। चुनाव के लिए एक कमेटी नियुक्त की जाती है और इसको सारा काम सौंपा जाता है तो वह एक निश्चित राय

Page No 18

(श्री अध्यक्ष)

बनाती है। वैसी हालत में आप किस तरह से साबित करेंगे ?

श्री मुरलीधर व्यास : जब राजस्थान गवर्नमेन्ट इन चार बातों को चुनाव का आधार मानती है, इन चार बातों की तो गारन्टी देती है उसके मुताबिक साबित हो सकता है ?

श्री अध्यक्ष : साबित होगा कहां से ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या, यह वाजिब है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है और उसके द्वारा चुनाव होता है, क्या हमें उसके डिटेल्स में जाना चाहिये जब कि यह सिलेक्शन बाहर के एक्सपर्ट्स द्वारा होता है ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : इस कमेटी के सामने सर्विस रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना रेकॉर्ड के ही उनका चुनाव हुआ है, क्या यह सही है। ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जो भी आवश्यकता सिलेक्शन कमेटी को होती है वह उनको अवेलेबल की जाती है।

श्री पी. के चौधरी : Whether it is a fact that before this service Records of the Government servants were not put up but only their confidential reports were put up.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैं समझता हूं जो भी रेकॉर्ड आदि की आवश्यकता कमेटी को होती है वह सब सामग्री मंगा सकती है।

श्री पी. के. चौधरी : My contention is that the service records of the emqloyees were put up ?

श्री अध्यक्ष : You table a different question.

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने प्रश्न दो में यह पूछा था कि क्या अयोग्यता के कारण संबन्धित व्यक्तियों को बताये गये हैं ? क्या उनको यह बताया गया कि इस कारण आपको यह चान्स नहीं मिला ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्यों बताया नहीं जाना चाहिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर अयोग्यता सब को बताने लगें तो आगे उनको चान्स और मुश्किल हो जाता है।

प्रश्न संख्या ५४

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट। श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में अनिवार्य पाठशालाओं के शिक्षकों की नियुक्ति का आधार

५५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर में अनिवार्य पाठशालाओं के शिक्षकों को नियुक्त कौन व किन नियमों के आधार पर करता है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) क्या जो नियुक्तियां की गई व प्रमोशन दिये गये हैं, वे नियमों के अनुसार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) चेयरमैन, कम्पलसरी एजूकेशन समिति, बीकानेर द्वारा की जाती है। ये अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट नं० ३, सन् १९२९ ई०, रियासत बीकानेर के आधार पर होती है।

(२) जो नियुक्तियां की गई व प्रमोशन दिये गये हैं वे नियमों के अनुसार हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : मेरे को पूछना है ५५ पर।

श्री अध्यक्ष : बहुत पूछ चुके हैं।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय मन्त्री महोदय ने कहा था कि कोई स्पेसिफिक क्वश्चन पूछें तो जवाब दूं तो मैं पूछना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : इसके लिए सेपरेट नोटिस दीजिये।

श्री श्रीभानसिंह : सप्लीमेन्टरी है इसी पर।

श्री अध्यक्ष : You assert your right.

श्री मुरलीधर व्यास : सन्तोषप्रद जवाब तो आवे साहब ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : आपको तो सन्तोष तभी होगा जब आपके चुने और चाहे हुए व्यक्तियों को प्रमोशन मिले।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : आखिर कुछ न्याय तो होना चाहिये साहब। उनकी शिकायतें अगर दूर नहीं की जा सकती और अनियमिततायें हों तो इनकी जांच करने के लिए एक जांच कमेटी बैठाई जावे।

श्री अध्यक्ष : बोर्ड बैठा तो था बोर्ड और कमेटी में फर्क क्या है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसे मामलों में अन्याय हो जावे तो वह किसके पास पहुंचे। कोई रास्ता है इसके लिए ? अगर नहीं है तो यहां कमेटी बैठा कर हमें देखना चाहिये। अगर यह रास्ता भी आप बन्द कर देंगे तो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसे न्याय हासिल करने का कोई और रास्ता नहीं रह जावेगा।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : इन्डिविजुअल के सिलेक्शन के बारे में इस प्रिन्सिपल को मान कर चलना होगा कि कुछ बोडीज़ होती हैं, पी. एस. सी. से जो एसोसियेटेड होती हैं, और उनके सामने अल्टीमेटली एक लिस्ट आती है। पी. एस. सी. उनको एप्रूव करती है। यह सारा प्रोसीज़र है। अगर इसके लिए सदन कोई कमेटियां मुकर्रर करना शुरू करने लग जावे तो उन बोडीज की सैंक्टिटी कुछ नहीं रहेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : इसको मानता हूँ, पर इस पर भी अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो तो फिर क्या करना चाहिये ?

Page No 20

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। आखिर उसको न्याय कहां से प्राप्त....

श्री अध्यक्ष : Order please, order. Next.

श्री पी. के. चौधरी : What about this qustion 56 ? Can anyone put it ?

श्री अध्यक्ष : This is a hypothetical question.

श्री पी० के० चौधरी : I will like to put it.

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): If somebody is authorised.

श्री पी० के० चौधरी : If an Hon' ble Member expires or if he is unfit. can anybody else not put.?

श्री अध्यक्ष : Next Question, 1957

श्री मुरलीधर व्यास :५५।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): No. It has been replied. Another question is being replied now.

हनुमानगढ़ में मंण्डी निर्माण हेतु निर्धारित राशि एवं उसमें से खर्च की गई राशि

५७. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) हनुमानगढ़ में मण्डी निर्माण हेतु कितनी धनराशि योजना में निर्धारित की तथा उसमें से कितनी खर्च हुई ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त मण्डी निर्माण के लिये नया डिविजन खोला गया था ? यदि हां, तो उसने क्या काम किया ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन मण्डी निर्माण हेतु कुल धनराशि १७,५०,००० रु० निम्न लिखित योजनाओं के लिये निर्धारित की गई :—

(१) पथ योजना ५,००,००० रु०।

(२) जल वितरण योजना ५,००,००० रु०।

(३) गन्दा पानी निकास योजना ४,००,००० रु०।

(४) विद्युत योजना ३,००,००० रु०।

(५) पार्क योजना ५०,००० रु०।

योग १७,५०,०००) रु०।

इन योजनाओं पर सन् १९५७–५८ में ६२,०९९ रु०, सन् १९५८–५९ में ४,१८, ३१८ रुपये और सन् १९५९ (जुलाई ५९ तक) ७३,७४३ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

(२) जी हां। सरकार ने उक्त मण्डी व २० अन्य, ७ द्वितीय श्रेणी व १३ तृतीय श्रेणी, मण्डियों के निर्माण के लिये एक नया डिविज़न खोला है।

(३) हनुमानगढ़ में फिलहाल सिर्फ ४ सेक्टर्स ७,८,९ व १२ का डवेलपमेंट का कार्य चालू किया गया है। इन सेक्टर्स के निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से चालू है व जो मकानात

(श्री दामोदरलाल व्यास)

व सडकें इन सेक्टर्स में बनाने थे, करीब-करीब खत्म होने को हैं। सड़कों का कार्य जो नये डिविजन को सौंपा गया था वह भी पूर्ण रूप से चल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मण्डी बनाने का रुपया मण्डी बनाने में खर्च हुआ या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मण्डी क्या बनानी है ? दूकानें थोड़ी बनानी है ?

श्री मुरलीधर व्यास : तो ?

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जो अलॉटमेन्ट हुआ है उन्हीं में खर्च हो रहा है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : १७ लाख की धनराशि में से ५ लाख ही खर्च हुआ, यह कम खर्च होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कारण तो बहुत स्पष्ट है। मैंने अर्ज कर दिया कि हनुमानगढ़ प्लान तैयार नहीं हुआ था समय पर। मण्डी कमेटी की नियुक्ति बाद में हुई। फिर प्लान बना और तब से काम अच्छा चल रहा है। उससे पहले हमारे पास टाउन प्लानिंग अफसर और उसका स्टाफ भी नहीं था, इसकी वजह से देर हुई।

श्री भीमसेन : यह मण्डी कमेटी कब बनी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तारीख तो मुझे याद नहीं। करीब दो साल पहले। दो साल का ही मैंने खर्चा बतलाया है।

श्री भीमसेन : पर १७ का प्रोविजन था। वहां पांच लाख खर्च कर पाये, इसका कारण क्या है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वजह अर्ज कर तो दी मैंने कि प्लान तैयार नहीं था, टाउन प्लानिंग अफसर नहीं था, स्टाफ की कमी थी, सर्वे नहीं हुआ था।

श्री भीमसेन : क्या यह सही नहीं है कि समय पर गवर्नमेंट से सेंक्शन नहीं मिलने से यह देरी हुई और खर्च नहीं हो सका ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : यह ५९-६० का खर्चा बताया या बजट प्रोविजन बताया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्चुअल एक्सपेन्डीचर बताया है।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : क्या प्लान प्रोविजन का रुपया पहले रख दिया जाता है और प्लान फिर बनता है ?

श्री अध्यक्ष : जी हां, ऐसा ही हुआ दीखता है।

(हंसी)

नेक्स्ट। रामकरणसिंह।

नम्बरदारों को दिये गये पिचोतरे का आधार

४८. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली): क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) नम्बरदारों को पिचोतरा किस हिसाब से दिया गया है ?

(श्री रामकरणसिंह)

(२) क्या यह सही है कि ठिकाना खेतड़ी के समय में जो कुछ उन्हें मिलता था उससे भी कम दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो किस नियम से कम दिया गया है ?

(४) कोटपूतली तहसील में ही कम दिया है या दूसरी तहसीलों में भी इसी ही तरह कम दिया गया है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) नम्बरदारों को पिचोतरा राज्य सरकार द्वारा दिनांक १३–२–५८ को प्रचलित किये गये नियमों के अनुसार दिया जाता है- (५ प्रतिशत)। इस तिथि से पूर्व जो रेट प्रचलित थी उसके आधार पर दिया गया है ।

(२) जी नहीं। ठिकाना खेतड़ी के समय में चार प्रतिशत मिलता था जब कि ठिकाना पुनर्ग्रहण होने पर जहां के नम्बरदारों को सरकार के आदेशों के अनुसार पांच प्रतिशत के हिसाब से पिचोतरे दिया गया है ।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं। जयपुर जिले की सब तहसीलों में पांच पाई प्रति रुपया के हिसाब से छूट दी गई है। कोटपूतली भी जयपुर जिले में ही है।

श्री रामकरणसिंह : यह जानकारी दे रहा हूँ कि पांच पर्सेन्ट के हिसाब से नहीं दी गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां।

श्री रामकरणसिंह : कोटपूतली में।

श्री दामोदरलाल व्यास : किस साल में ?

श्री रामकरणसिंह : पिछला अभी दिया गया तब ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि खेतड़ी पुनर्ग्रहण होने के बाद जब राजस्थान के रूल्स बन गये तब १३–२–५८ के बाद ५ पर्सेन्ट हुआ। १३–२–५८ के बाद अगर नहीं दिया गया है तो बतावें ?

श्री रामकरणसिंह : इसी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ और जानकारी दे रहा हूँ कि जो आपके रूल्स बन गये हैं उसके बाद जो दिया गया वह पांच पर्सेन्ट से कम दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : वह एरियर होगा। आप अपनी जानकारी को और दुरुस्त करें। मेरे पास डेफीनेट इन्फोर्मेशन है। इस तारीख के बाद इसी हिसाब से दिया गया है। आप जिसकी बात कर रहे हैं वह पुराना एरियर दिया गया होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री मुरलीधर व्यास।

श्री गंगा संस्कृत पाठशाला एवं श्री शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ, बीकानेर

५६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) बीकानेर में श्री गंगा संस्कृत पाठशाला कब से चल रही है ?

(२) इस पाठशाला का सम्बन्ध, श्री शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ से कब व किन

(श्री मुरलीधर व्यास)

शर्तों पर हुआ था ? उक्त दोनों संस्थाएं एक साथ कब से कार्य कर रही हैं ?

(३) इस समय इस संयुक्त संस्था में कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

(४) क्या इन संस्थाओं के विकास के लिये सरकार के पास कोई योजना है ?

(५) क्या यह सही है कि अब उक्त दोनों संस्थाओं को फिर से अलग करने की बात विचाराधीन है ? यदि हां तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) राजस्थान बनने से पहले से ही चल रही है।

(२) शार्दूल विद्यापीठ से सम्बन्ध तारीख ५-१०-५३ से बिना किसी शर्त के हुआ था। ये दोनों संस्थाएं एक साथ जनवरी, ५४ से चल रही हैं।

(३) वर्तमान में ये दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से नहीं चल रही हैं। ८ अगस्त, १९५९ से गंगा संस्कृत पाठशाला को रतन बिहारीजी के मन्दिर में स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस समय गंगा संस्कृत पाठशाला में ९० तथा शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ में २९५ छात्र हैं।

(४) जी नहीं।

(५) दिनांक ८ जनवरी, १९५९ से अलग कर दिया गया है। शार्दूल संस्कृत पाठशाला के अध्यक्ष इस संस्था को अपनी संस्था के भवन में चलाये देना नहीं चाहते थे।

श्री मुरलीधर व्यास : उनके खर्चे की व्यवस्था सरकार की तरफ से अलग कर दी गई या यही संस्था चलाती है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अलग रूप से सरकार चला रही है गंगा पाठशाला को और इसको प्राइवेट संस्था चला रही है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : दोनों संस्थाओं की मैनेजिंग कमेटी एक ही है या अलग अलग ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अलग अलग है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

महारानी सुदर्शन कालेज, बीकानेर में पुस्तकालय एवं विज्ञान के सामान की खरीद

९०. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे:—

(१) महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर में सन् १९५७-५८ व १९५८-५९ में पुस्तकालय तथा साइन्स का क्या क्या व कितना कितना सामान किस फर्म से कब खरीदा गया ?

(२) उक्त सामान का पेमेन्ट कौन कौन सी तिथियों में किया गया तथा सामान कॉलेज में कौन कौन सी तिथियों को आया ?

(३) क्या सम्बन्धित व्यक्तियों से सामान का प्रमाणीकरण करवाया गया था कि साइन्स का सामान स्टेन्डर्ड का है ?

(४) उपरोक्त सामान के लिए शिक्षाध्यक्ष से क्या क्या कीमतें निश्चित की गई थीं तथा उन निश्चित दरों से कितनी अधिक दरों पर सामान खरीदा गया ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) पुस्तकालय तथा साइन्स का जितना सामान जिस जिस फर्म से खरीदा गया उसकी सूची संलग्न है।

(१) कॉलेज में सामान प्राप्त होने की व पेमेन्ट की तिथियां भी इस सूची में दी गई हैं।

(३) जी हां।

(४) शिक्षा संचालक, कॉलेज विभाग ने कोई दरें निश्चित नहीं की थी अतः निश्चित दरों से अधिक दरों पर सामान खरीदने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री भीमसेन : आपने प्रश्न ३ के उत्तर में कहा है कि सामान का प्रमाणीकरण कराया गया था तो यह प्रमाणीकरण किससे कराया गया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डूंगर कॉलेज, बीकानेर के साइन्स के प्रोफेसर थे उनके द्वारा कराया गया था।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि प्रोफेसर ने उसे साइन्स का सामान बताने से इन्कार कर दिया था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

भाखरा नहर योजना क्षेत्र में मंडी निर्माण की योजना एवं फेज्ड प्रोग्राम

६१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देंगे :—

(१) भाखरा नहर योजना क्षेत्र में कहां कहां मंडिया बनाने की योजना है तथा उनका फेज्ड प्रोगाम क्या था ? क्या उक्त प्रोग्राम में कोई समय की वृद्धि की गई ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि पंजाब सरकार ने भाखरा योजना क्षेत्र में मंडियों का निर्माण दो वर्ष पूर्व ही कर लिया था ? अगर हां, तो राजस्थान में इस कार्य में प्रगति क्यों नहीं हुई ?

(३) उक्त मन्डी योजना की वार्षिक रिपोर्टस की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) भाखरा नहर योजना क्षेत्र में कुल २१ मंडिया बनाने की योजना है। जिनमें प्रथम श्रेणी की मण्डी का निर्माण हनुमानगढ़ जंक्शन पर, द्वितीय श्रेणी की मण्डियों का पीलीबंगा, सादूल शहर, संगरिया, नोहर, भादरा, सूरतगढ़ एवं तलवाड़ा झील पर तथा तृतीय श्रेणी की मण्डियों का निर्माण हनुमानगढ़ टाउन, ढाबा, उज्जलवास, टीबी मानकसर, धोलीपाल, बनवाली, डबली, खनानियों भासल, निठराना, फेकाना और पक्का भादवा में करने का निर्णय किया गया है।

चूंकि इन मण्डियों के निर्माण का कोई फेज्ड प्रोग्राम नहीं था अतः समय की वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(२) पंजाब सरकार ने मण्डियों का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया है। राजस्थान सरकार की मण्डियों का कार्य भी पंजाब के हिसार ज़िले की मण्डियों के कार्य की तरह चालू है।

(३) वार्षिक रिपोर्ट की एक्सट्रेक्ट प्रति-

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिपि मय बिक्री के नक्शे सहित संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री भीमसेन : आपने जवाब में उत्तर दिया है कि मण्डियों का फेज्ड प्रोग्राम नहीं था लेकिन फाईव ईयर प्लान में यह लिखा है कि २०० लाख रुपये की जमीन १९६१ तक बेच देंगे तो आपने कुल कितनी प्रगति की है, यह नहीं बताया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने स्टेटमेन्ट पेश कर दिया है, आप उसका पहले मुलाहिजा कर लें कि कितनी प्रोग्रेस हुई है।

श्री भीमसेन : आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं देने के साथ ही साथ कितनी जमीन बेची इसके बारे में चन्दा दी है। मण्डियों के बारे में और उनके डवेलपमेन्ट के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या आप सेल ऑफ रेन्ट के लिए स्टेटमेंट चाहते हैं ?

श्री भीमसेन : वाटर वर्क्स के लिए, रोड्स के लिए और दूसरी मण्डियों के ले आउट के लिए आपने क्या किया, यह जानना चाहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पहले सवाल के उत्तर में बता चुका हूँ कि किस किस साल में कितना कितना रुपया खर्च हुआ है। आपने सुना होगा।

श्री भीमसेन : आपने सेल ऑफ रेन्ट के बारे में दिया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जवाब दिया है वह सब माननीय सदस्यों ने सुना है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भीमसेन।

छात्र वृद्धि अभियान

६२. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

गत वर्ष छात्र वृद्धि अभियान के दौरान में प्रत्येक जिले के कौन कौन से गांवों को उक्त सम्बन्ध में पुरस्कृत किया गया तथा वहां पर कितनी प्रतिशत छात्र वृद्धि हुई ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : अध्यक्ष ममहोदय, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है इसलिए इसको अगली टर्न पर लिया जाये।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो मैंने पिछली असेम्बली में रख दिया था और तीन चार महीने में अब तक सरकार उत्तर प्राप्त नहीं कर सकी है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : असेम्बली से जो सवाल भेजा उसमें छात्रवृत्ति के बारे में लिखा गया था और यह छात्रवृद्धि के बारे में है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : श्री मंगलसिंह।

(अनुपस्थित)

महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गोवर्धनसिंह केन।

Page No 26

जिलाधीश, भरतपुर द्वारा की गई नियुक्तियों में हरिजनों का अनुपात

३४. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना-सु०) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

भरतपुर ज़िलाधीश द्वारा गत दो वर्षों में कितनी नियुक्तियां की गई हैं तथा उनमें हरिजन तथा आदिवासियों की संख्या क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): भरतपुर जिलाधीश द्वारा गत २ वर्षों में १८ राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिनमें हरिजन तथा आदिवासियों की संख्या ६ है।

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण वर्मा।

कालोनाइजेशन विभाग के पटवारियों को टी० ए० व डी० ए० का न दिया जाना

३८. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा सु०) : क्या कॉलोनाइजेशन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि कॉलोनाइजेशन विभाग के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इन्सपेक्टर व चपरासियों को अपने क्षेत्र में दौरा करने का टी० ए० व डी० ए० मिलता है ?

(२) यदि हां, तो फिर इस विभाग के पटवारियों को डी० ए० क्यों नहीं दिया जाता ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम के अनुसार कॉलोनाइजेशन विभाग के पटवारी, कानूनगो एवं चपरासियों को अपने हल्के में यात्रा करने पर कोई टी० ए० व डी० ए० नहीं दिया जाता है। यदि इनको कोई विशेष कार्य-वंश अपने हल्कों से बाहर यात्रा करनी होती है तो टी० ए० नियमानुसार दिया जाता है।

तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को राजस्थान यात्रा भत्ता नियम में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(२) ऊपर उत्तर दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : महाराज श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर मिल तो चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): प्रश्न संख्या ५५ का उत्तर तो मिल चुका है परन्तु एक सप्लीमेन्टरी है।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मुरलीधर व्यास : और दे दिया जाये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसको ढूढने में समय लगेगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : यह भी नियुक्ति के बारे में है।

Page No 27

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : चेयरमैन, कम्पलसरी एजूकेशन समिति, बीकानेर द्वारा की जाती है। वे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट नं० ३ सन् १६२६ ई० रियासत बीकानेर के आधार पर होती है।

जो नियुक्तियां की गई हैं व प्रमोशन दिये गये हैं वे नियमों के अनुसार हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो कम्पलसरी शिक्षा का बोर्ड है जिसके द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं वहां पर यह बोर्ड है या नहीं। कम्पलसरी एक्ट है और बोर्ड है, यह बोर्ड है या नहीं। वहां पर आप कहते हैं कि उसके द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। अगर वह बोर्ड ही नहीं है तो फिर नियुक्तियां कैसे की जाती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : म्युनिसिपेलिटी बीकानेर द्वारा एक समिति बनाई हुई है वह इस काम को करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने कहा कि इसके लिए अनिवार्य शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा नियुक्तियां होती हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे खयाल से जब पहले उत्तर दिया गया था उस समय आप एबसेन्ट माइन्डेड थे।

श्री मुरलीधर व्यास : अगर आप बहुत सतर्क हैं तो फिर पढ़ दीजिए।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मन्त्री का यह कहना कि कोई मेम्बर एबसेन्ट माइन्डेड था, उचित नहीं है। यह शब्द माननीय उप–मन्त्री महोदय को वापिस लेने चाहिए ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपने इस प्रश्न को पूछा और मैंने उसका उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद में जब सारे प्रश्न खत्म हुए तब फिर आप पूछते हैं तो मैंने फिर उत्तर को पढ़ा तो आप जिक्र करते हैं एज्यूकेशन बोर्ड का जिसका मेरे उत्तर में कोई जिक्र नहीं है तो फिर और क्या भाषा में कहा जावे ?

श्री भैरोंसिंह : भाषा का सवाल नहीं है। जिस समय आपने जवाब दिया, हो सकता है उस समय सदन में कुछ बात चीत हो रही थी और यह सम्भव हो सकता है कि किसी ने उनके उत्तर को नहीं सुना, अगर यह कहा जाये कि उस समय दूसरी चर्चा हो रही हो और नहीं सुना तो भी माननीय उप–मन्त्री जी कहें कि सदस्य एबसेन्ट माइन्डेड थे, उचित नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इस परिस्थिति को डिक्शनेरी में एबसेन्ट माइन्डेड नाम से प्रेस्क्राइब किया गया है। वह कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : वह तो कहा जा सकता है। आपके लिए भी कई बार कहा गया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : I think the better language would have been that the Hon'ble Member was ill attentive.

श्री अध्यक्ष : Not very attentive.

श्री मुरलीधर व्यास : उस समय कुछ अनुपस्थित सा था, उन्होंने कह दिया कोई हर्ज़ नहीं है। यह तो उनको ही सोचना चाहिए था कि कहना चाहिए या नहीं। मेरा जो

(हंसी)

Page No 28

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रश्न है वह, यह है कि इस प्रकार की वहां पर कम्पलसरी एजूकेशन है उसके लिए एक बोर्ड है और वह बोर्ड जब तक है तब तक किसी दूसरे को अधिकार नहीं है कि वह नियुक्ति करे और जब तक कि नया बोर्ड गवर्नमेन्ट की तरफ से नहीं बनता तब तक पुराना बोर्ड है वह काम करेगा। तो अलग से म्युनिसिपेलिटी कोई समिति नियुक्त करे तो आखिर वह किस आधार पर करती है?

शिक्षा मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): आपका मतलब है कि म्युनिसिपेलिटी क्यों करती है?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कहता हूँ कि या तो उस बोर्ड को सरकार भंग कर दे जब तक कि बोर्ड है, जिस प्रकार की कानूनी व्यवस्था है उसके अनुसार म्युनिसिपेलिटी न करे।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : आपका मतलब है कि म्युनिसिपल बोर्ड को ही भंग कर दिया जाये।

श्री मुरलीधर व्यास : आपका जो बोर्ड है वह जब तक है उसके अन्दर जनता के नुमाइन्दे रहते हैं। बोर्ड बनने की व्यवस्था है तो बोर्ड ही वहां के कम्पलसरी एजूकेशन को चलाता है उसमें आपका इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स चेयरमैन होता है, वह एजूकेशन डिपार्टमेन्ट का अच्छा जानकार होता है तो ऐसी कमेटी नहीं होकर अलग कानूनी तरीके से चलते हैं वह किस तरह से उचित है अगर मनमाने ढंग से चलते हैं तो आप सुधार कीजिए।

श्री अध्यक्ष : जिस कानून के अन्तर्गत यह अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है उसके अन्दर बोर्ड का प्रावधान है क्या?

श्री मुरलीधर व्यास : है।

श्री अध्यक्ष : अगर है तो बोर्ड का गठन किया जा सकता है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अगर बोर्ड का सवाल पूछते तो उसका जवाब दे सकता था। इसकी जानकारी करने के बाद कह सकता हूँ। इस वक्त नहीं कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस कानून के अन्तर्गत म्युनिसिपल बोर्ड के द्वारा नियुक्ति की जाती है उस म्युनिसिपल बोर्ड बीकानेर को अनिवार्य शिक्षा नियम के अनुसार किसी प्रकार की कोई पॉवर्स नहीं हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपको जानकारी किस बात की है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य है अनिवार्य शिक्षा को लागू करना। मगर यहां पर यह प्रश्न स्कूलों

(हंसी)

को चलाने का है। दोनों व्यवस्थाओं में फर्क है। एक तो सवाल है एनफोर्समेंट करने का अनिवार्य शिक्षा को और दूसरा व्यवस्था चलाने की है। म्युनिसिपल बोर्ड इन स्कूलों को चलाता है, अगर कम्पलसरी तौर पर चलाता है या नहीं वह एक्ट से संबंधित है।

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

लेकिन जहां तक स्कूलों के चलाने का सवाल है, स्टाफ को तरक्की देने का, पेमेन्ट करने का सवाल है यह म्युनिसिपल बोर्ड के हाथ में है। वे कानूनी प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसको पढ़ कर उत्तर दे सकता हूँ। इस वक्त यह मुमकिन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह, अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही अनूइन्टेलीजेन्ट रिप्लाई था।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने उत्तर इसी बात से शुरू किया कि उन्हें मालूम नहीं है।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न बिलकुल साफ है, बीकानेर में अनिवार्य पाठ-शालाओं के शिक्षकों की नियुक्ति कौन व किन नियमों के आधार पर करता है?

वह एम्पलायमैंट करने वाली बोडी है या केवल बोडी वह बोर्ड है अर्थात् म्युनिसिपल बोर्ड को पॉवर नहीं है तो वह किस आधार पर करती है। मेरा सीधा सा प्रश्न है और सीधा सा जवाब मिलना चाहिए।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जिस परिस्थिति से अभी सम्बन्धित है तो उसकी असलियत यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड स्कूलों को चलाती है। उस एक्ट का उद्देश्य यह हो सकता है कि अनिवार्य शिक्षा लागू की जाय। म्युनिसिपल बोर्ड कामयाब है या नहीं यह अलग प्रश्न है। जहां तक व्यवस्था चलाने का सवाल है खर्चा म्युनिसिपल बोर्ड देती है। उस व्यवस्था को म्युनिसिपल बोर्ड चलाती है।

श्री अध्यक्ष : कानून के अन्तर्गत जैसा कि उन्होंने जवाब दिया कि कानूनी व्यवस्था के बारे में जांच कर लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अभी माननीय उप-मंत्री महोदय ने यह कहा कि यह नियुक्तियां नियमों के अनुसार हुई हैं, तो जिन नियमों के अनुसार ये नियुक्तियां हुई हैं तो क्या नियुक्ति करने वाले बोर्ड का इन नियमों के अन्तर्गत गठन किया हुआ था?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मैंने निवेदन किया कि एक कमेटी बनी हुई है, एज्यूकेशन समिति बीकानेर बोर्ड की वह करती है, और उसके अनुसार हमारी सूचना यह है कि ये नियुक्तियां बिलकुल नियमानुसार हुई हैं। अब जब नया प्रश्न आ जाता है कि इस तरह का बोर्ड होना चाहिए तो उसका उत्तर कानून को पढ़ कर अलग से जानकारी हासिल करके दे सकता हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्वेशचन बिल्कुल अलग हैं....

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन साफ है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कानून को पढ़ कर करूंगा।

(हंसी)

प्रश्न समाप्त हुए।

१२.३ म० प०

स्थगन प्रस्ताव

जयपुर और जोधपुर में पुलिस की ज्यादतियां

श्री अध्यक्ष : दो स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक तो श्री हीराभाई द्वारा (सदन में कल

Page No 30

(श्री अध्यक्ष)

की घटना को स्मरण कर) पुलिस के द्वारा

(हंसी)

कुछ उन्होंने बताया है अनियमितताएं हुई हैं जयपुर और जोधपुर में कृपया उसके बारे में माननीय गृह मन्त्रीजी कुछ बता दें।

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : जयपुर के रामगंज के थाने के बारे में शिकायत थी कि एक आदमी वहां मर गया....

एक माननीय सदस्य : मर गया या मारा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : उसके बारे में मैंने आदेश दे दिये है कि मजिस्ट्रेट एन्क्वायरी करें, और उसकी रिपोर्ट अवेट कर रहे हैं।

दूसरे प्रश्न का उत्तर परसों क्वेश्चन रखा है उसके जवाब में दे दूँगा।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट दे दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरे पास नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हो सकता है कि दे दी हो।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह आपकी जानकारी में है कि उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई है ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्लेक्टर के लिए मैं क्या कह सकता हूँ।

एक माननीय सदस्य : वह आदमी मर गया है या मारा गया है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मेरा प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : गृह मन्त्री ने उत्तर दिया है कि मजिस्ट्रेट की जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। वह शीघ्र ही आजायेगी और उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को उपस्थित करने की आज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है।

देश के एक भूभाग पर चीनी आक्रमण से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिये स्थगन प्रस्ताव

दूसरा प्रस्ताव श्री मुरलीधर व्यास द्वारा भेजा गया है जो इस प्रकार है :—

"देश के एक भू भाग पर चीनी आक्रमण से उत्पन्न हुई स्थिति सर्वत्र विचारणीय है। यह स्थिति किसी भी समय युद्ध का रूप धारण कर सकती है। इसलिए राज्य का यह कर्तव्य है कि भावी संकटकालीन स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी योजना बनाये। यह सवाल हमारे लिए अहम है। इसलिए मैं इस पर विचार करने के लिए स्थगन प्रस्ताव रखता हूँ।"

इस प्रस्ताव का संबंध हमारे देश की विदेश नीति से है जिसके ऊपर हम इस सदन में बहस नहीं कर सकते। इसलिए इस पर

Page No 31

(श्री अध्यक्ष)

बहस करने या सदन के समक्ष इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। माननीय मुख्य मन्त्री इस बारे में कुछ चाहें तो रोशनी डाल सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय,

(हंसी)

इस संबंध में थोड़ा सा....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : On a point of order Sir, आपने व्यवस्था दे दी है उसके बाद कमेन्ट और बहस होगा मैं समझता हूँ....

श्री अध्यक्ष : आप सुने तो सही कि माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : यह परम्परा यहां पर कायम की जा रही है कि व्यवस्था देने के बाद कमेन्ट्स होते हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a ponit of order, Sir...

श्री अध्यक्ष : आपने कैसे मान लिया कि वे कमेन्ट करने जा रहे हैं या मेरी व्यवस्था को एप्री करना चाहते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : I never knew what the gentleman was speaking.

श्री अध्यक्ष : Then you should not have tried to speak.

(हंसी)

श्री पी० के० चौधरी : On a point of order Sir. Neither the Chief Minister nor the Hon'ble mover of the adjournment motion can make any statement regarding this subject in this House as it relates both to the defence and foreign affairs, which are beyond the scope of this House.

श्री अध्यक्ष : No Defence or Foreign Affairs matters would be touched upon in any debate or discussion in this House. That is yery clear.

श्री पी० के० चौधरी : The adjournment motion was purely dealing with these subjects and my contention is that...

श्री अध्यक्ष : Your contention is the same as my contention.

श्री पी० के० चौधरी : Then the Speaker should not ask the Chief Minister to make a statement.

श्री अध्यक्ष : That is not for you to question.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है कि उसके सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों को ऑब्जेक्शन है, जहां तक चीन और हिन्दुस्तान के पत्र व्यवहार व उसके सम्बन्ध का सवाल है उस पर तो हम विचार नहीं कर सकते है। इसको तो मैं भी मानता हूँ, परन्तु मेरे स्थगन प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभी ऐसी स्थिति हो गई है जो सबके लिए विचारणीय है। अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इस मुद्दे पर पंडित नेहरू ने अपनी तरफ से कह दिया कि देश के जिस

(श्री मुरलीधर व्यास)

भू-भाग पर चीनियों ने प्रवेश किया है वह गलत है। उन्हें वहां से निकल जाना चाहिये, अगर उसके बाद में भी अगर नहीं निकलते हैं तो हमें बाध्य होकर निकालना पड़ेगा, और उसके उत्तर में जवाब दे दिया गया है कि यदि ऐसा किया जायेगा तो उसका मुकाबला किया जायेगा। तो यह दोनों बातें ऐसी हो चुकी है कि स्पष्टतः आज युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। इसके उत्तर और पत्र व्यवहार के बाद दो तीन भाषण दिये हैं और उन भाषणों में स्पष्ट कर दिया हैं और सारे देश को आह्वान करते हुए स्पष्ट किया है कि अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और इसलिए सारे देशों को आह्वान करते हुए कहा कि हर प्रकार से हर घर को, हर व्यक्ति को, हर कारखाने को इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आह्वान देश के प्रधान मन्त्री की ओर से हुआ है। उस आह्वान का उत्तर अब आपको देना है। जहां तक विदेश नीति का सवाल है हम उस नीति पर विचार नहीं कर सकते है, परन्तु आह्वान देश के प्रधान मन्त्री की ओर से हुआ है, और आह्वान के उत्तर में वे यह भी कहना चाहते हैं कि हमें भीतरी और बाहरी शत्रुओं दोनों से सतर्क रह कर हर आदमी को देश की रक्षा करनी है।यह बात इस प्रकार से स्पष्ट हो जाती है, तो हम को भी इस पर कुछ विचार करना चाहिये। अब तक दूसरे एडजोर्नमेंट मोशन्स आये उनकी स्थिति और थी और तीन दिन से स्थिति और हो गई है और जब देश के प्रधान मन्त्री आह्वान करते हैं राष्ट्र के नाम पर तो दूसरे लोग उनसे अलग नहीं हो सकते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर इस सदन में भी विचार होना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश के बाहर और भीतर देश के जो लोग देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं या एक गद्दार का पार्ट अदा करते हैं तो उनके प्रति राज्य को सतर्क रह कर अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। ये दोनों मामले ऐसे हो चुके हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। उदाहरण के नाम पर राजस्थान में भी अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। मैं बीकानेर का ही उदाहरण दे दूँ.......

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): Point of order, Sir. It is my apprehension that the whole thing will dwindle out of this House. I have not been able to make out any point form the speech of the Hon'ble member, Sir,

श्री मुरलीधर व्यास: मुझे यही कहना है कि विदेश नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो कुछ होगा वह वहीं से होगा, लेकिन जिस स्थिति के फल स्वरूप प्रधान मन्त्री ने आह्वान किया है उस पर मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो स्थिति सामने आई है उस पर विचार करना चाहिये। यह हर नागरिक का कर्त्तव्य है। नागरिक राज्य से अलग नहीं है। जब तक राज्य इस ओर कोई कदम नहीं उठायेगा तब तक आह्वान की पूर्ति कैसे हो सकती है। इसी दृष्टि से मैंने यह स्थगन प्रस्ताव रखा है। मैं समझता हूँ, प्रधान मन्त्री जी के आह्वान की पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं इस पर विचार करना चाहिये। राजस्थान ने हमेशा वीरता के मामले में उचित उत्तर दिया है। मुझे राजस्थान की हल्दी घाटी और महाराणा

(श्री मुरलीधर व्यास)

प्रताप की बातें याद आती है। हमें हल्दी घाटी हिमालय की तलहटी में बनानी पड़े तो उस पर विचार करना चाहिये।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न देश की रक्षा और विदेशी नीति से सम्बन्ध रखता है और उससे भी ज्यादा देश की रक्षा से संबंधित है। राजस्थान के इस सदन में भी इसके सम्बन्ध में गम्भीर विचार होना स्वाभाविक है और मैं समझता हूँ जो कुछ भारत सरकार की नीति और हमारे प्रधान मन्त्री जी की इस सम्बन्ध में नीति है, उससे यहां की सरकार पूर्णरूप से सहमत है और हमारी यह मान्यता है कि इस संकट के अवसर पर और महत्वपूर्ण अवसर पर हम लोगों को बहुत दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ और बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला करना होगा और इस बात का हमेशा खयाल रखना होगा। और इस बात का भी हमेशा खयाल रखना होगा कि जो भी स्थिति है उसका एक अनुशासित राष्ट्र के तौर पर यदि कभी ऐसी परिस्थिति पैदा हो ही जाय जिससे संघर्ष खड़ा हो तो उस खयाल से सारे प्रश्न पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूँ सदन और हम सब इस बात को मानते हैं कि इस मौके पर वार क्राइसिस या युद्ध की मनोवृत्ति पैदा होने जैसी चर्चा हो वह लाभप्रद न तो देश के लिये हो सकती है और न बड़े प्रश्न एशिया या विश्व के लिये लाभप्रद हो सकती है। इसलिये सारी बातों को लक्ष्य में रखते हुए, जो प्रस्ताव रखा गया है, जिसकी मंशा यह है कि हमें एक दम तैयारी शुरू करनी चाहिये, इस तरह की बातें मैं समझता हूँ इस स्टेज पर पैदा नहीं करनी चाहिये। जो कुछ देश के डिफेन्स के लिये किया जाय उसमें पूर्ण विश्वास करते हुए अनुशासित तौर पर संगठित रहें, मैं समझता हूँ यही कहना उचित होगा।

श्री अध्यक्ष : अब इस विषय पर और कोई बहस नहीं होगी और दूसरा कार्य लिया जायेगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये नियम सदन की मेज पर रखता हूँ जो इस प्रकार हैं, नाम पढ़ूं क्या?

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता नहीं है लिस्ट सर्क्यूलेट कर दीजिये।

(कृपया संक्षिप्त-वितरण देखिये)

१२.१३ म० प०

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १९५८ (खण्डशः विचार)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, क्लोज ३, डॉक्टर बहादुरसिंह।

डा० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष, एक एक क्लॉज ले लें क्या....

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): आप धारा ३० बी ले लें।

Page No 34

डा० बहादुरसिंह : मेरा संशोधन सिर्फ इतना ही है कि इसमें से ग्रान्ड चिल्डर्न शब्द हटाना चाहिये। [Claus 3 (Setion 30 (B) omit the words "and g and Children"] इसका कारण यह है कि सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में फेमिली की जो डेफिनेशन दी है उसके अनुसार पति, पत्नी, उनके बच्चे और पौत्र आदि जो उन पर डिपेन्डेबल है वे फेमिली में माने जायेंगे। सामूहिक परिवार में ५ या ७ सदस्य होते हैं। यदि किसी परिवार में संख्या बढ़ती है और कोई पिता अपने पुत्र को अलग करता है तो यह स्वाभाविक है कि उसके पौत्र भी अपने पिता के साथ रहेंगे। यदि पौत्र को पितामह के साथ रखा जायेगा तो सीलिंग का एरिया बढ़ेगा। जिस किसी व्यक्ति के पास जमीन है वह उस जमीन का बंटवारा अपने परिवार में करेगा जो जमीन उसके लड़के को मिलती है उससे अलग जमीन वह अपने पौत्र को भी दे देगा और दो तीन दूसरे लड़के हैं उनको भी देगा तो इस तरह से सीलिंग का एरिया बढ़ जायेगा। जो उसके लड़के के लड़के हैं उनको अपने पिता के साथ रहना चाहिये और पिता को ही उनका पालन पोषण करना चाहिये और उसी के ऊपर डिपेन्डेन्ट या आश्रित समझना चाहिये। लेकिन यदि पिता के अधिकार अलग हो गये और पौत्र के अलग हो गये तो इससे सीलिंग का एरिया बढ़ेगा। जमीन की हमें काफी जरूरत है लेकिन इस तरह से काफी एरिया चला जायेगा इसलिये ग्रान्ड चिल्ड्रन को परिवार से अलग रखना चाहिये और इस शब्द को हटाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री): जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि इसमें से ग्रान्ड चिल्ड्रन शब्द हटा दिया जाय वह ठीक नहीं है। इसमें परिभाषा को देखेंगे तो डिपेन्डेन्ट ओन देम, ग्रान्ड चिल्ड्रन बालक होंगे तो ग्रान्ड फादर पर डिपेन्डेन्ट नहीं होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का मर जाता है और उसके लड़के मौजूद होते हैं ऐसी हालत में Do you think that they should not remain in the family? इसलिये इन शब्दों का रहना जरूरी है। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य अपना अमेन्डमेन्ट वापिस ले लेंगे।

डा० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री बहादुरसिंह ने रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

डा० बहादुरसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : इसमें रावल नरेन्द्र. सिंहजी का अमेन्डमेंट और है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Mover is not present.

श्री अध्यक्ष : और कोई अमेंडमेंट मूव करना चाहें, तो कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : बोलेंगे साहब, इस पर वे तो आये नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : बोलना चाहते तो बोलिये आप।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं जवाब दे चुका हूँ, यह अमेन्डमेन्ट मूव नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : और भी मौके आयेंगे बोलने के।

श्री भैरोंसिंह : यह मौका बहुत बड़ा मौका है। इस बिल में और है क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह अमेन्डमेन्ट मूव कर दी जये।

श्री भैरोंसिंह : मूव तो नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : मूव करे बिना कैसे बोल सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : श्री बहादुरसिंहजी ने मूव किया है।

श्री अध्यक्ष : वह तो विड्रा कर लिया। एक रियायत हो सकती-है आप मूव करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं देख लूं।

श्री अध्यक्ष : देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं मूव कर देता हूँ।

(हंसी)

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : जन संत्र के खिलाफ पड़ता है।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, I move that the following words be added :—"and shall also include parents who are wholly dependent on them and" अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज में इस बात की परिभाषा की गई है कि एक फेमिली क्या हो, जिसको हम बेसिस मान कर इस बात की व्यवस्था कर रहे है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस यूनिट के आधार पर होगा। एक व्यक्ति के आधार पर होगा, या व्यक्तियों के समूह के आधार पर, जिसको हम फेमिली कहते हैं, उसके आधार पर होगा। जहां तक इस कानून की मन्शा है, उससे ऐसा स्पष्ट है कि सरकार फेमिली को बेसिस मान कर भूमि का वितरण करने की योजना बना रही है और एक फेमिली को आधार मान कर ही इस बात का निर्धारण किया जा रहा है कि वास्तव में एक फेमिली के पास कितनी भूमि काश्त करने के लिए छोड़ी जाय। अध्यक्ष महोदय, जहां तक फेमिली की संख्या निर्धारित करने का प्रश्न है वहां तक मैं समझता हूँ कि संख्या निर्धारित करना, यह इस प्रकार का कदम है जिसके द्वारा भविष्य में चल कर एक इस प्रकार की मनोवृत्ति पैदा होगी कि जो आज फेमिली सिस्टम है उसमें से ज्यादा फेमिलिज किस प्रकार से क्रियेट की जा सकती हैं, उसी प्रकार से क्रियेट की जाय। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार की मनोवृत्ति एक परिवार में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रकार निश्चित् रूप से इसका प्रभाव हमारी आज की सामाजिक पद्धति पर होनेवाला है। हमने यदि पांच का निर्धारण कर दिया तो एक मोटी सी बात है कि पाँच का निर्धारण करने से, पांच आदमियों में एक हसबेन्ड, एक वाइफ और उनके तीन बच्चे ये शामिल हो गये। अब यदि तीन बच्चों से संख्या बढ़ती है तो बढ़ी हुई संख्या को मानने को तैयार नहीं हैं। उसके अनुपात में हम सीलिंग से

(श्री भैरोंसिंह)

बढ़ा कर जमीन देने वाले हैं, उसको देने की व्यवस्था करते हैं लेकिन जो हसबेन्ड, एक वाइफ और केवल तीन बच्चों की जो जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का विचार करना किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं होगा। यह भी हो सकता है कि जिस तरह से संशोधन में कहा गया है कि पेरेन्ट्स को भी शामिल कर लिया जाय, मैं समझता हूँ कि यदि पेरेन्ट्स के नम्बर को भी शामिल करते हैं तो पेरेन्ट्स आपने आप में अलग यूनिट बन जाते हैं और एक हसबेन्ड और एक वाइफ, इन दोनों की अलग यूनिट बन जाती है। लेकिन यदि विडो मदर है वह किस प्रकार से परिवार अलग बनायेगी, न तो वह फेमिली की व्याख्या में आती है। आप फेमिली की व्याख्या करते हैं :

Husband, wife and theirc hildren dependent on them आन देम से मतलब है हसबेन्ड और वाइफ, उन पर बच्चे डिपेन्डेन्ट हैं और उनकी संख्या पाँच से बढ़ती है तो फेमिली का भाग मान सकते हैं। उसके अलावा विडो मदर और विडो सिस्टर है और जो अन्य लाइबिलिटीज हैं, जो परिवार के अन्दर कई कारणों से आ जाती हैं उनको परिवार का अंग मान कर चलते हैं तो उस स्थिति में उनको कोई हिस्सा नहीं दे सकते। अब विडो मदर का प्रश्न आता है, तो पेरेन्ट्स की अलग यूनिट बन गई, लेकिन विडो मदर के सम्बन्ध में किस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं ? वह न इस परिभाषा में आती है 'husband, wife and their children dependent on them' और न परिवार में आती है। इसका मतलब है कि जो परिवार में राइट जमीन को कल्टीवेट करने का है, विडो मदर को, विडो सिस्टर को, जो परिवार में होने के नाते हकदार है, उसको फेमिली यूनिट से अलग मान कर उसके अधिकार को छीनने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल में केवल यही परिभाषा रखी तो कान्स्टीट्यूशनल डिफीकल्टी आयेगी। एक व्यक्ति मरता है, और अगर छः महीने पहले मर गया तो सारी प्रॉपरटी हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार बच्चों के अन्दर जायेगी। अगर बच्चे नहीं हैं तो सारी की सारी प्रोपर्टी विडो मदर के अन्दर वेस्ट हो सकती है और चूंकि उसके बच्चा नहीं है तो किसी भी आदमी को गोद लेगी और अडाप्सन की कार्यवाही होगी और उसमें उसकी फेमिली को फेमिलीयूनिट मानेंगे। उस फेमिली यूनिट का हैड होगा अडॉप्टेड सन। उसकी जो फेमिली है वह फेमिली यूनिट बन जायेगी सीलिंग पर्पजेज के लिए और विडो मदर, जिसके हसबेन्ड के मर जाने से सारे हक उसमें वेस्ट हुए थे वे अब लड़के में चले गये और विडो मदर वंचित रह जाती है। मैं मान सकता हूँ कि हर फेमिली में विडो मदर की प्रोब्लम क्रियेट नहीं होगी और सारे परिवारों के अन्दर विडो सिस्टर और डिपेन्डेन्ट की प्रोब्लम पैदा नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से जहाँ यह प्रोब्लम पैदा होगी। वहाँ यह प्रोब्लम के रूप में सामने आयेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह ऐसे डिपेन्डेन्ट को जो बिल्कुल निराधार है, किसी शक्ति के आधार पर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, उनको राइट से इस प्रकार वंचित न रखें जो उन्हें पहले से मिला हुआ था। इस कानून के कारण उनके राइट पर कुठाराघात होगा।

अब प्रश्न आता है फेमिली की संख्या के बारे में। राजस्व मंत्रीजी ने जो संशोधन

(श्री भैरोंसिंह)

स्वीकार नहीं किया, अच्छा किया होगा। लेकिन अब प्रश्न पैदा होता है इस अमेंडमेंट के बारे में....

श्री दामोदरलाल व्यास : और पढ़ लीजिये।

(हंसी)

श्री जयसिंह राणावत (आसिन्द) : खिलाफ पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : खिलाफ नहीं पड़ता है, फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि जिस मन्शा से यह अमेंडमेंट पेश किया गया है शायद वह मन्शा इसकी भाषा में नहीं आती है। इसके पीछे जो बात कही है, इसकी जो मन्शा है, इस मन्शा को लेकर मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से चाहूंगा कि उसमें इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, एक परिवार में तीन बच्चों की संख्या को स्वीकार किया है, पांच के परिवार में। अब प्रश्न आता है कि जिस तारीख से कानून लागू करेंगे, मान लीजिये कि एक तारीख से लागू कर दिया, उस दिन से, मैं अपने ऊपर ही कहता हूँ, यदि मेरा छोटा भाई जिस दिन कानून लागू हुआ, उसके पहले मेरा डिपेन्डेन्ट था, पढ़ाई का खर्चा मैं देता, सब बातें होती थी, जिन दिनों कानून लागू हुआ, उसकी शादी हो जाती है। तो एक दिन के आधार पर ही वह अपना परिवार अलग बना सकता है और ३० एकड़ भूमि प्राप्त कर सकता है। आपने यह व्यवस्था कर दी कि फेमिली का नम्बर एक्सीड होगा तो उसके अनुपात में सीलिंग होल्डिंग दुगुनी न हो सकेगी। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी लेकिन एक परिवार के अन्दर निकट भविष्य में एक नया परिवार क्रियेट होने वाला है, जिसकी उपेक्षा करते हैं, एक साल में, एक महीने में, २० दिन में परिवार घटित होंगे, उनको यह कह कर चलें कि वे तो डिपेन्डेन्ट थे और इस नाते ज्यादा जमीन क्लेम नहीं कर सकते। यह भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति की सगाई हो जाय और कानून के लागू होते ही उसकी शादी हो जाय। इसके अलावा एक परिवार है जिसके एक बच्चा दो वर्ष का है और दूसरा बच्चा १८ वर्ष का है। जिस दिन वह सेपरेट होनेवाला है उसके पहले दिन तक डिपेन्डेन्ट रहा है, वह भी इस दायरे में आ जायेगा और वह अलग से फेमिली नहीं बना सकता है। दो वर्ष का, १० वर्ष का बच्चा है, वह तो डिपेन्डेन्ट है लेकिन जिनके नाम पर आगे फेमिली क्रियेट होने वाली है उनको शुमार किया तो यह होगा....

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, डिपेन्डेन्ट पेरेन्ट्स का अमेंडमेंट है। यहाँ बच्चों की बहस हो रही है।

श्री अध्यक्ष : भावनाओं को देखिये आप।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि इसकी भाषा को जिस भावना में व्यक्त करना चाहिए उसी भावना में व्यक्त कर रहा हूँ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि निश्चित राय इस बारे में नहीं बनी हुई है, इससे निश्चित रूप से कई कांम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे। या तो यह होगा कि, शुरू में ही लोग तरह तरह की और प्रकार से कार्यवाहियां

(श्री भैरोंसिंह)

करके अलग अलग परिवार बनायें या जो लोग एक साल बाद एक नया अलग परिवार बनाने वाले हैं उनको अपनी पैतृक सम्पत्ति से वंचित होना पड़ेगा। तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार ५ साल के, १० साल के १७ साल के या ४० साल के व्यक्ति को उनकी पैतृक सम्पत्ति में अधिकार मिलने वाला है, उस अधिकार को किसी तरह सुरक्षित रखना चाहिये। यदि इस प्रकार का संरक्षण नहीं दिया गया तो उसको उसके हिस्से का कुछ नहीं मिलेगा और यह किसी भी सूरत में न्याय नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति के पास १०० एकड़ जमीन है, उस व्यक्ति के चार लड़के हैं और उसकी स्त्री और वह खुद है, एक लड़का शादी शुदा है बाकी तीन की शादी नहीं हुई है। एक लड़के का अलग परिवार मान लें शेष तीनों लड़के अपने मां बाप के साथ रहेंगे। हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार तीनों लड़कों को अपने पिता की प्रोपर्टी में बराबर हिस्सा मिलने वाला है, वह ७० एकड़ जमीन उनके पास न रह कर उसका डिस्ट्रिब्युशन सरकार के द्वारा होगा। तो मेरा निवेदन यह है कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उसको अपनी पैतृक सम्पत्ति में बराबर अधिकार मिलनेवाले हैं उनको हर प्रकार से सुरक्षित रखा जाय, ऐसा प्रबन्ध इसमें किया जाय। इस प्रकार के व्यक्तियों को एक फेमिली में रख कर भी अलग परिवार माना जाय। यदि इस ढंग से प्रबन्ध नहीं किया गया तो हिन्दू सक्सेशन एक्ट के अनुसार उनको जो अधिकार मिलने वाले हैं उनको छीनेंगे और उससे आज की जो परिवार प्रणाली है उसमें विषमता आयेगी और इससे घर घर में संघर्ष होंगे। सीलिंग के लिए कोई नहीं कहता कि सीलिंग नही आना चाहिये। हम चाहते हैं कि सीलिंग आना चाहिये पर इस प्रकार की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये कि परिवार के अन्दर जो व्यक्ति हैं और विशेष कर के निकट भविष्य में ही नया परिवार बनाने वाले हैं उनके लिए प्रावधान होना चाहिये कि वे अपनी पैतृक सम्पत्ति में, अपने पिता की भूमि में हिस्सा पा सकें। जिन लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है, ठीक वही समस्या दो साल बाद इन लोगों के सामने आने वाली है जो कि दो साल बाद नये परिवार बनानेवाले हैं। तो जो लोग दो साल बाद नई फेमिली क्रियेट करनेवाले हैं। उनकी पैतृक सम्पत्ति सीलिंग के नाम पर दूसरे लोगों को देते हैं तो पहले वह सम्पत्ति इस प्रकार के लोगों को ही देनी चाहिये जो कि उस परिवार के हैं और नई फेमिली क्रियेट करने वाले हैं। इन लोगों को देने के बाद सरप्लस रहती है तो सीलिंग के आधार पर दूसरों में तकसीम करनी चाहिये। पर सोशियल जस्टिस के नाम पर एक आदमी के मुंह से रोटी छीन कर दूसरे के मुंह में दे दी जाय यह तो किसी प्रकार का न्याय नहीं हुआ।

इसी भावना को लेकर मैंने यह संशोधन रखा है। मैं समझता हूँ माननीय राजस्व मंत्रीजी इसकी भाषा की तरफ न जा कर इसकी भावना की ओर जायेंगे।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय अध्यक्ष, अभी जो फेमिली की डेफिनेशन हाउस के सामने कन्सीडरेशन पर है, मैं इस पर विचार कर रहा था कि यह गवर्नमेंट का आइडिया क्या है कि सीलिंग लागू की जाय तो फेमिली होल्डिंग को डिस्ट्रीब्यूसन कर के की जाय, फेमिली के बेसिस पर डिस्ट्रीब्युसन

(श्री श्रीमानसिंह)

करना यह कोनसे जस्टिस में आता है, या कौनसा जस्टिस है, सोशियल जस्टिस है, इकोनोमिक जस्टिस है या डिस्ट्रीब्युसन जस्टिस है जो आप फेमिली फार्मिंग करना चाहते हैं। मेरे को इसके पीछे कोई स्ट्रोंग रीजन नहीं दीखा कि एक फेमिलो को हम डिवाइड करें और उसको अधिक से अधिक जमीन देदें और कहें कि यह सोशियल जस्टिस है तो यह टीक नहीं है क्योंकि हमारे देश के अन्दर न कोई फेमिली की और न कोई जोइन्ट फेमली की समस्या है। हमारे यहां तो जमीन की समस्या है। और जमीन से जो अपना सब्सिस्टेन्स ड्रॉ करता है उनमें लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की समस्या है तो यह इस तरह से इन्डिविज्युअल्स की समस्या है जितनी लैंड हमारे देश में है उसको उन इन्डेविज्युअलस में डिस्ट्रीव्यूट करने की समस्या है। डिस्ट्रीव्यूटेव प्रिन्सिपल को लेते हैं तो सबसे पहला और सबसे अच्छा सिस्टम इन्डिविज्युअल्स में डिस्ट्रीव्यूट करने का है। जो अगर फेमिली को क्राइटेरिया रखते हैं डिस्ट्रीव्यूशन के लिए तो हमारे देश में जोइन्ट फेमिलीज भी हैं उसकी भी डेफिनिशन रखनी चाहिये। पर हमारी जोइन्ट फेमिली को किल करके फेमिली की डेफिनिशन रख रहे हैं। तो वेटर डिस्ट्रीब्यूशन यह होता कि हम इन्डिविज्युअल्स को लेते और इन्डेविज्युअल्स को जमीन देते। चाहे एक फेमिली में पांच आदमी हैं, ७ आदमी हैं या १० आदमी या २० आदमी हैं और खेती से अपना सब्सिस्टेन्स ड्रॉ करते हैं, खेती से अपना काम चलाते हैं तो उनको जमीन देने का गवर्नमेंन्ट का फर्ज हो जाता है, यह होता तो हम कह सकते थे कि गवर्नमेंट ने इकोनोमिक जस्टिस की है। एक फेमिली में ५ व्यक्ति हों यह कैसा जस्टिस है ? करना चाहते हैं तो एक फेमिली में दो आदमी भी हो सकते हैं, ५ भी हो सकते हैं, एक आदमी भी हो सकता है, बैचलर्स भी हमारे यहां हैं, पांच की मेक्सिमम लिमिट में from five to one आ जाता है। क्या यह जस्टिस हुआ, ३० एकड़ जमीन से ५ आदमी भी सब्सिस्टेन्स ड्रा करें, उसी ३० एकड़ से तीन आदमी की फेमिली भी सब्सिस्टेन्स ड्रॉ करें और दो आदमी की फेमिली भी सब्सिस्टेन्स ड्रा करें और किसी फेमिली में केवल एक ही आदमी है वह भी तीस एकड़ से अपना सब्सिस्टेन्स ड्रा करें तो यह कैसा जस्टिस हुआ ? इसे किसी प्रकार का जस्टिस नहीं कहा जा सकता।.... Lesserthe number, more land and more income to them.

यह जस्टिस नहीं इन्जस्टिस हुई। ५ आदमियों की फेमिली है उसको भी वही तीस एकड़ दिया और तीन की, ४ की, २ आदमियों की फेमिली है या एक ही आदमी की फेमिली है उसको भी यही ३० एकड़ दिया तो यह कोई जस्टिस नहीं हुआ। यदि डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस एप्लाई करना चाहते है तो इन्डिविज्युअल्स को, लैंड लेस इन्डिविज्युअल्स को बेसिस लेना होगा। तो फिर हमें न फेमिली की डेफिनेशन से मतलब है, न ५ की फेमिली से, १० की फेमिलो से मतलब है फिर हमारा एक इन्डेविज्युअल की वर्किंग केपेसिटी से सम्बन्ध रह जाता है कि वह कितनी लैंड काश्त करके अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। उसके लेबर, केपिटल और वर्किंग केपेसिटी को देख कर उसमें लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर दें तो फिर फेमिली डेफिनिशन की जरूरत नहीं रहती। तो कोई क्राइटे-

(श्री श्रीमानसिंह)

रिया फेमिली का नहीं माना जा सकता क्योंकि यह फ्लेक्सिबल भी है और वेराई करता है। जो वेराई नहीं करता वह इन्डिविज्युअल क्राइटेरिया है।

तो यदि जस्टिस का प्रिन्सिपल रखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में तो व्यक्ति को, व्यक्ति की वर्किङ्ग केपेसिटी, लेबर केटपिल, स्ट्रेन्थ को क्राइटेरिया मानना होगा। इस तरह हमें फेमिली डेफिनेशन की जरूरत नहीं रहती और वैसी सूरत में आपको कोई नहीं कह सकता कि आपने इन्जस्टिस किया है।

श्री मोगजीभाई (बांसवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने जो बिल रखा गया है, उस बिल में जो व्यवस्था-आर्थिक आधार पर भूमि हर एक परिवार को दी जाय इस पर सदन में विचार हो रहा है। लेकिन इस बिल को देखने से मालूम होता है कि आज हम इस सदन में...........

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, we are not having a general discussion. We are only dealing with a particular clause regarding definition of family and the amendments thereon.

श्री अध्यक्ष : अभी तो भूमिका है।

श्री मोगजी भाई : तो जो भाषा है और व्यवस्था है उसको देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है। हमें किसानों के हित में किसी प्रकार की व्यवस्था करनी है। हमें यह व्यवस्था करनी चाहिये कि कितने परिवार के पास कितनी भूमि होनी चाहिये। मगर यह कानून राजस्थान सरकार की नीति का पर्दाफाश करता है।

श्री अध्यक्ष : आपका यह भाषण इस समय उपयुक्त नहीं है। आप इसके लिये दूसरा मौका ले लीजिये। इस पर भी अगर आप जोर देते हैं तो आपको इस संशोधन पर ही बोलना चाहिये।

श्री मोगजी भाई : मैं इसी पर बोल रहा हूँ और बोलना चाहता हूँ कि सीमा निर्धारित की जावे कि कितनी भूमि किसान के पास होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह तो अभी आया नहीं है। अभी तो परिवार का ही है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): आपका मतलब है फैमिली की सीमा निर्धारित की जाने के लिये।

श्री मोगजी भाई : ऐसे कितने भूमिहीन हैं और ये भी आंकड़े आपके पास नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : आंकड़े हैं।

श्री मोगजी भाई : उनको कम से कम कितनी जमीन दी जावे उस पर भी विधेयक में ऐसे क्लॉज़ हमको नहीं मिलेंगे। यह जो इस प्रकार की भाषा है और परिभाषा है देश में....

श्री अध्यक्ष : आप फिर उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री मोगजी भाई : जिस चीज के लिये कानून बना रहे हैं उनके लिये कहीं ताला न लग जावे। उनकी आर्थिक उन्नति के लिये सुझाव दें और परिवार को कितना कम से कम होना चाहिये....

श्री अध्यक्ष : यह तो अगले क्लॉज़ में आयेगा इसलिये आप थोड़ी शांति रखें तो आपको आगे बोलने का मौका मिलेगा। इसलिये अगर इस मौके पर इस पर न बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोगजी भाई : मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको थोड़ा नहीं, ज्यादा बोलने का मौका दूँगा।

श्री भैरोंसिंह : अभी श्री मुक्तिलालजी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह छोटा सा संशोधन है। इसके बाद में ज्यादा ज्यादा जरूरी मसले आवेंगे। मैं चाहूंगा कि उस पर ज्यादा मौका दिया जाए।

श्री मोगजी भाई : जिसके तीन बच्चे और एक औरत हो उसको फैमिली में रखा जावे तो ज्यादा अच्छा होगा और उनको किसी प्रकार से भूमि दी जावे। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे बिल में होनी चाहिये। लेकिन इसमें जो फैमिली का अन्दाज करते हैं और किसी प्रकार से उनको जमीन देना है तो उन लोगों को दी जावे जिनको खेती करने का अनुभव हो और उनको नहीं दी जावे जिनको किसी प्रकार की जमीन देने का अन्दाज नहीं है। जो दूसरों के शोषण से कमाते हैं....

(घंटी)

श्री मोगजी भाई : उन लोगों को....

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से फिर निवेदन करूंगा कि उनका भाषण इस संशोधन से सम्बन्धित नहीं है इसलिये अगर आप बोलना चाहें तो संशोधन पर बोलें और दूसरे के लिये दूसरा मौका आए उसका फायदा उठावें। कृपया इस मौके पर तो इस पर न बोलें।

श्री मोगजी भाई : उनको कितनी भूमि दी जावे इस पर बोल रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : यह धारा तो फैमिली की डेफिनेशन के बारे में है। आप इसको देख लें और बाद में बोलना चाहें तो आपको मौका मिल सकता है।

श्री मोगजी भाई : मुझे बोलने....

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन के बाहर चले जावें। इस तरह से आपको सदन में व्यवहार नहीं करना चाहिये।

(श्री मोगजी भाई के खड़े होने पर)

मैं फिर माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे सदन के बाहर चले जावें। आपको इस तरह से सदन में व्यवहार नहीं करना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन के बाहर चले जावें।

(पुनः श्री मोगजी भाई के खड़े होने पर)

मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप सदन के बाहर चले जावें। इस तरह का व्यवहार बहुत ही अशोभनीय है और किसी तरह से उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

(श्री मोगजी भाई के पुनः बोलने के लिए खड़े होने पर)

(श्री अध्यक्ष)

मैं आपको निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ कि आप सदन के बाहर चले जावें। आप इतना ही सदन की प्रतिष्ठा का ध्यान नहीं रखते हैं तो मुझे बाध्य हो कर कहना होगा....

(श्री मोगजी भाई के खड़े रहने पर)

सार्जेन्ट-एट-आर्म्स माननीय सदस्य को सम्मान पूर्वक बाहर ले जावें।
(सार्जेन्ट-एट-आर्म्स श्री मोगजी भाई को सदन के बाहर ले गये)

. **श्री अध्यक्ष** : और कोई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं ?

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने हालांकि पहले संशोधन पेश किया था किन्तु वापिस नोटिस न देने के कारण वह सामने नहीं आया। इस क्लॉज़ के पास करने के साथ साथ हम एक बात भूलते जा रहे हैं जिसकी चर्चा सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर्स के सामने भी हो चुकी है। मैं पहले खास तौर से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हम हिन्दू फैमिलीज़ में देखते हैं कि एक विडो है जिसको अपने ससुराल में रहने के लिए जरिया नहीं रहा है, एक सिस्टर है जिसको विडो होने के पश्चात् और कोई कहीं भी रहने का जरिया नहीं है तो उसके लिए एक्चुअली यह होगा कि वह अपने पीहर में आकर रहे, माता–पिता, भाई के साथ आकर रहे। अगर उस फैमिली में उसके लिए कोई कोटा नहीं है तो भाई या लड़का उसको कह सकता है कि मैं तुमको रखने के लिए लाचार हूँ। तुम्हारे लिए कोटा नहीं है, मेरे बच्चों के भरण–पोषण के लिए ही मेरे पास पूरी जमीन नहीं है तो मैं तुमको कैसे रख सकता हूँ। वैसी अबलाओं के लिए उनके निर्वाह का उनके पास और कहीं कोई जरिया नहीं है। आप ही सोचिये कि वे कहां जायं, जिनके दरवाजे सब तरह से बन्द हो चुके हैं वे अब कहां जायं ? वह अपने पीहर में आकर रहना चाहे और उसके लिए उसके जीवन निर्वाह के लिए रोटी मांगे तो उसके लिए प्रोविजन न रखा जाय, यह कोई उपयुक्त बात नहीं है। भाइयों के लिए कोई मजबूरी हो सकती है, न ही उसको किसी के द्वारा मजबूर किया जा सकता है। वह कह सकता है कि तुम्हारे लिए कोई प्रोविजन नहीं है, कोटा नहीं है, मैं तुम्हें नहीं रख सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विडोड मदर्स और सिस्टर्स के लिये एक्चुअली कोई कोटा पहले ही मुकर्रर किया जाना चाहिये। आप हम सब ही आज की परिस्थिति को जानते हैं, उस दृष्टि से उन मदर्स और सिस्टर्स के लिए कोई और जरिया नहीं है, अपने जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है। बेटा कहता है कि कोई कोटा नहीं है, भाई कहता है कि कोटा कोई तुम्हारे लिए नहीं, उनके लिए आखिर क्या हो ? ऐसी मदर्स और सिस्टर्स के जीवन का और कोई जरिया नहीं है उनके लिए आखिर आपने क्या सोचा है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटी सी बात नहीं है। आप सब माननीय सदस्यों के यह बात ध्यान में आई होगी कि हर फैमिली में, हर घर में इस प्रकार के झगड़े भाई–बहिन में और बेटे और मां के बीच में देखे होंगे। यह कोई अनप्रेक्टिकल चीज़ भी नहीं है। मैं यह बात एक बहस के तरीके से कह रहा हूँ और चूंकि यह बात एक ऑपोजिशन के सदस्य की तरफ से आई है इसलिए आप उसको न

(श्री अनोपसिंह)

मानना चाहें यह बात तो दूसरी है लेकिन आपने भी देखा होगा कि भाई–बहिन और मां–बेटे में इस प्रकार कोई तनाजा हो जाने के कारण उन विधवाओं को और कोई अपने जीवन यापन का साधन नहीं रहता है। ऐसी विधवाओं के लिए कोई जरिया नहीं है, कोई और दरवाजा खटखटाने का साधन नहीं रहा है, सब दरवाजे जिनके लिए बन्द हो चुके हैं उनके लिए यह जरूरी हो जाता है, कि हम कोई प्रोविजन रखें इसमें अन्यथा जो यह कानून पास करने जा रहे हैं उसमें इस प्रकार की एक खामी रह जावेगी, एक वैक्यूम रह जावेगा जिसको आगे जाकर किसी दिन महसूस करेंगे। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि माननीय राजस्व मंत्रीजी से जोर देकर निवेदन करें कि विडोड मदर्स और सिस्टर्स के लिए जो जिस फैमिली के साथ रहती हैं उनके लिए कोई इसमें प्रोविजन किया जावे।

श्री मुक्तिलाल मोदी (बैराट) : कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा कुछ कहने पर) मैं किसी का एजेन्ट नहीं हूँ।

(हंसी)

माननीय अध्यक्षजी, आज जो 'फैमिली' के लिए अमेन्डमेन्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा यह खयाल है कि यह जमीन का सवाल है और राजनीति में जो वर्कर्स आये हैं उनके सामने इस तरह का सवाल हमेशा आता रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि जो काश्त करता है उसके सामने कई तरह के झगड़े हमेशा रहते हैं और उस झगड़े से वे लोग मां और बेटे, भाई-बहिन भी परेशान हैं. पिता और पुत्र परेशान हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मन्त्री) माननीय सदस्य को यह बात बता दी जाय कि क्या परिभाषा है तो शायद माननीय सदस्य....

श्री मुक्तिलाल मोदी : फैमिली की परिभाषा है और वही तो बता रहा हूँ।

(हंसी)

इसलिए लड़का जिन्दा है और मां भी मौजूद हैं तो ज़मीन मां के नाम से ही अलॉट करें ताकि उसके मरने के बाद वह उसका मालिक हो सकता है। लड़के के नाम से अलॉटमेन्ट न किया जावे। बाप है तो बाप के नाम से करें।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : सदस्य महोदय के तो कोई लड़का नहीं है, उनको तो कोई डर नहीं होना चाहिये।

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : मैं तो ऐसे ही रहूँगा।

(हंसी)

श्री अनोपसिंह : होने की संभावना भी है क्या ?

(हंसी)

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय अध्यक्षजी....

श्री अध्यक्ष : आपका रिश्ता ही उन लोगों से ऐसा है यहां। आप फैमिली पर बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी : मंत्रीजी से मेरी प्रार्थना है कि जो जमीन का अलॉटमेन्ट किया जावे वह बुजुर्ग आदमी के नाम से ही किया जावे। पहले के सेटलमेन्ट और रेवेन्यू के कानूनों को उठा कर देख लीजिये। मां-बाप के नाम से ही अलॉटमेन्ट होगा तो लड़का नीचे दबा रहेगा। लड़के के नाम से होगा तो माँ बाप को ठोकर देकर निकाल सकता है। आज जमाना ही ऐसा आ गया है। जमीन का अलॉटमेन्ट किया जावे, वह मां जिन्दा हो तो मां के नाम से और बाप जिन्दा हो तो बाप के नाम से किया जावे, यह मेरी प्रार्थना है। उनके मरने के बाद लड़के के नाम पर गवर्नमेन्ट ट्रान्सफर कर देवे। पहले मां-बाप के नाम से ही हो।

श्री रामचन्द्र चौधरी (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष, हम इस बात पर गौर कर रहे है कि फैमिली में किस किस को शुमार करनाचाहिये। हमारे यहां जो डेफिनेशन दी है उसमें, मैं समझता हूँ, थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। मैंने कई जगह के बिल जो पास हुए हैं उनको देखे हैं। उत्तर प्रदेश में जो सीलिंग का बिल पास हुआ है उसमें "फैमिली" की डेफिनेशन इस तरह की है :

"family" means husband or wife, as the case may be, dependent father, dependent mother, children other than married daughters and separated sons, and un-separated son's wife or widow"

इसमें जहां तक संभव हुआ उन्होंने सब को फैमिली में इन्क्ल्यूड किया है। मान लीजिये एक आदमी किसी ऐज पर एग्रीकल्चर के प्रोफेशन को एडोप्ट करता है उस वक्त उस का बूढ़ा बाप है, बूढ़ी मां है, पहले एग्रीकल्चर प्रोफेशन में नहीं थे वे मालिक नहीं हुए, लड़का मालिक हुआ और उसने खेती का पेशा शुरू किया। आप सीलिंग लागू करने जा रहे हैं उसमें आप उसके बाप, उसकी मदर, उसके सन्स की वाइव्ज को, लड़कों की वाइव्ज को उसमें इन्क्ल्यूड नहीं करेंगे जिनको उसमें इन्क्ल्यूड करना चाहिये, जिनका बोझा उस आदमी पर है उनको इसमें इन्क्ल्यूड नहीं करते हैं तो यह बिल अधूरा रहता है। इसलिए मेरे खयाल से जो उत्तर प्रदेश ने डेफिनेशन दी है वह ज्यादा बहतर थी और इससे भी बहतर श्री श्रीमान-सिंहजी के सजेशन को समझता हूँ। प्लानिंग कमीशन ने भी दो रूप बताये हैं। या तो इन्डीविजुअल बेसिस पर सीलिंग कायम किया जावे या फैमिली बेसिस पर। इन्डीविजुअल बेसिस पर सीलिंग कायम करना ज्यादा बहतर सिस्टम है। इससे विधवा मां, लड़कियों का भी प्रश्न हल हो जाता है। हिन्दू लॉ के अनुसार विधवा और अनमेरिड सिस्टर्स भी उतना ही हक रखती हैं। सब ही का शेयर उस प्रोपर्टी में है। इसलिए उसके मुताबिक उनके नाम जमीन मुन्तकिल गिरदावरी और दूसरे कागजात में हो। सारी दृष्टि से देखते हुए हम इस नतीजे पर पहुंचते है कि इन्डीविजुअल बेसिस पर सीलिंग कायम किया जावे तो अच्छा तरीका होगा।

१ म० प०

इसके लिए और अर्ज करूं कि एक तो बिहार ने यह रखा है कि जितने भी अन्डिवाइडेड हिन्दू फैमिली के मेम्बर्स हैं उनको जिस दिन से यह बिल एक्ट के रूप में परिवर्तित हो, यह समझ लिया जावे कि वे सेपरेटेड थे। जितने फैमिली के मेम्बर्स हैं, जिनको जमीन पाने का हक है, वे उस दिन से डिवाइडेड

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

समझ लिये जावेंगे और उनको इन्डीविजुअल शेयर जो कानून के मुताबिक मिलना चाहिये वह मिलेगा।

उससे यह जो दिक्कत हमारे सामने आती है विडोज और लड़कियों के लिये हम क्या करेंगे, हमारे पर जो उनका उत्तरदायित्व है उसको हम किस प्रकार निभा सकेंगे, ये सब सवाल हल हो जायेंगे। जितना जिसका हक बनता है उस हिसाब से सीलिंग होता है तो इन्डिवीज्युअल को अपना अपना शेयर मिल जायेगा। हैड ऑफ दी फेमिली को जितना मिलेगा रेटेबल हिसाब से नीचे वालों को भी मिलता जायेगा। बिहार में दिया गया है

"A member of undivided Hindu family hav ng or entitled to a share in any land shall be deemed to be land-holder for the purposes of this Act as if there were partition in the family immediately before the commencement of this Act."

और यह बात मध्यप्रदेश के सीलिंग बिल में भी दर्ज की गई। उनके सेक्शन ६ के क्लॉज २ में दिया गया है :

"where land is held by a joint Hindu family, each member of such family who is entitled to share in the joint family property, shall be deemed to hold an area of such land proportionate to his share in the property to which he would be entitled if a partition were to take place on the appointed day."

१.३ म. प.

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अर्ज करूंगा हमें इस फेमिली की डेफीनेशन को इतनी तरमीमम करनी चाहिये बजाय फेमिली के इन्डिवीज्युअल होल्डिंग हम कायम कर देते है। ये सब समस्या हल हो सकती है और जो दिक्कतें हमारे सामने है व सब रफा हो जायेंगी।

श्री गोकुलचन्द (लछमनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में परिवार के सम्बन्ध में जो परिभाषा दी गई है उस संबन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। वह यह है कि सलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें एक परिवार के लिये तीस स्टेन्डर्ड एकड़ भूमि रखी गई है और वह परिवार पांच आदमियों का होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि परिवार में एक आदमी भी हो सकता है और पांच आदमी भी हो सकते हैं और इससे भी अधिक हो सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आम तौर पर जब खाद्य संबन्धी वस्तुओं की कमी आजाती है उस हालत में सरकार उन चीजों का वितरण–प्रबन्ध अपने हाथ में लेती है जैसा अभी मैंने अलवर में देखा चीनी की कमी आ गई थी, चीनी के भाव बढ़ गये थे इसको देख कर गवर्नमेन्ट ने एक आदमी को एक रुपये की चीनी देने का निश्चय किया। उस हिसाब से एक परिवार में कितने ही सदस्य हो इसी अनुपात से चीनी दी गई। इसी तरह से जहां हम एक फेमिली के लिये तीस एकड़ जमीन रखते हैं वहाँ इससे होगा क्या कि एक आदमी जिस फेमिली से है उसको भी उतनी ही जमीन मिलेगी जितनी पांच

(श्री गोकुलचन्द)

आदमियों की फेमिली को। मेरी इसमें यह राय है कि जिस परिवार में एक ही आदमी हो तो उसको दस एकड़ भूमि दी जानी चाहिये उसके बाद जितने व्यक्ति हों उनको प्रत्येक को पाँच पाँच एकड़ भूमि दी जाय। इससे क्या होगा कि पांच सदस्यों वाली फेमिली को तीस एकड़ ही भूमि मिलेगी जो कि हम इस विधेयक द्वारा देने जा रहे हैं। इस तरह से जिस परिवार में एक सदस्य है तो उसको दस एकड़ और दो हैं तो पन्द्रह एकड़ और तीन हैं तो बीस एकड़ इस तरह क्रमशः बढ़ती जायेगी। इसी तरह की व्यवस्था कर दी जाती है तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी फेमिली के प्रश्न को लेकर दो सवाल उठाये गये हैं एक तो यह कहा गया कि सीलिंग इन्डीविज्युअल बेसिस पर होना चाहिये और इस संबन्ध में प्लानिंग कमीशन का भी उदाहरण दिया गया है। फेमिली के अन्दर कौन कौन आते हैं इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ मेरे ख्याल से जो डेफिनेशन इस बिल में दी हुई है वह बिल्कुल ठीक है प्लानिंग कमीशन की राय है in the Reports of the Comittees of the Panel on Land Reforms :—

"We have examind the question whether in applying ceilings, the aggregate area held by all members of a family should be taken into account or whether land held by individual memb r of a family should be regarded as constituting separate holding for the purpose of ceilings. We are of the view that family is the real operative unit in land ownership as in land management. We, therefore, recommend that in the fixing of the ceiling, the agregate area held by all the members of the family should be taken into account. For this purpose, a family should be deemed to consist of husband, wife and dependent sons and daughters and grand-children. Land held by married daughters and earning sons should be excluded."

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो यह कहा गया कि इनडिविज्युवल बेसिस पर होना चाहिये यह क्राइटेरिया बिलकुल ठीक नहीं है। पुराने जमाने से भी फेमिली को एक ओपरेटिंग यूनिट माना है। इसके साथ साथ जो डिपेन्डेन्ट्स हैं और जो सन्स हैं वे भी रहेंगे और जो अलग रहेंगे उनकी सेपरेट फेमिली मानी जायेगी इसलिये यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज तीन में जो फेमिली की डेफिनेशन दी गई है उससे विरोध होना आवश्यक नहीं है। मगर श्री रावल नरेन्द्रसिंहजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उससे सदन के सामने एक समस्या पैदा हो गई है। यद्यपि वह प्रस्ताव जिस ढंग से लिखा जाना चाहिये था वैसा नहीं रखा गया है फिर भी उस प्रस्ताव से एक समस्या जरूर सामने आयी है। वह समस्या यह है, जिसकी ओर सदन के किसी भी माननीय सदस्य का ध्यान नहीं गया है। जमीन के बटवारे का जहां तक प्रश्न है, अगर जमीन पुत्र के नाम पर है और उसकी पत्नी है, उसके बाल बच्चे हैं

(श्री दयाकृष्ण विजय)

और उसके पास इतनी ही जमीन है जितनी कि सीलिंग की सीमा है, अगर उसके पास कम जमीन है, वह जो मां और पुत्र हैं और इस तरह से उस परिवार में पांच से अधिक सदस्य हैं तो वे इसमें शामिल नहीं आयेंगे, जिनका पालन पोषण करने का नैतिक अधिकार तो उनका रहेगा किन्तु उनकी आजीविका के लिये कोई प्रबन्ध नहीं होगा क्योंकि हमारे इस कानून में परिवार की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अगर उसके पास अधिक जमीन है तो वह निश्चित रूप से परिवार में वितरित हो सकती है। हस्बेन्ड और वाइफ - जो एक दफा पत्नी रहती है आगे जाकर वह मां बन जाती है तो उसका राइट उसमें है या नहीं, यदि जमीन नहीं है तो उसका कोई राइट नहीं होगा। जब पत्नी से वह मां बन जाती है तो वह एक प्रकार से डिपेन्डेन्ट होजाती है तो उसका तो अधिकार नहीं रहेगा और उसके बच्चे उसके अन्तर्गत आजायेंगे। जब उनके पास जो निर्धारित सीमा है उसी सीमा तक भूमि है तो उनको किसी प्रकार का अलोटमेंट नहीं होगा जब अलोटमेंट नहीं होगा तो किसके दरवाजे पर जाकर वे अपना पेट भरेंगे। इस फेमिली की परिभाषा के अन्दर हस्बेन्ड वाइफ और चिल्ड्रन रहा है वह पर्याप्त है; तो इस प्रकार की जो समस्या उपस्थित होगी जिनके मां - बाप जीवित हैं और उस व्यक्ति के पास सीलिंग एरिया से अधिक जमीन देने के लिए नहीं है तो वे किसके पास जाकर अपना पेट भरेंगे। इस तरह से यह जो फेमिली की परिभाषा की गई है वह एक प्रकार से अपूर्ण ही समझी जायेगी। मेरा इसमें यह निवेदन है कि मां और पिता को भी इसमें रखा जाय अगर सीलिंग से अधिक जमीन नहीं है और जमीन लड़कों के नाम पर बटी हुई है। अच्छा हो, यदि इसे माननीय मंत्री महोदय समझने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत अच्छा यह होता आप अमेंडमेंट मूव कर देते।

श्री दयाकृष्ण विजय : अमेंडमेंट इस प्रकार से आया है उसको देखकर यह भाव पैदा हुये हैं इसलिए साफ कह दिया कि अमेंड-मेंट मूव नहीं किया है पर ऐसी उलझन हो गई है जो व्यवहारिक लगती है और जिसका होना नितांत आवश्यक लगता है। मैंने अपना फर्ज समझते हुए निवेदन किया है कि जिस हस्बेन्ड वाइफ, चिल्ड्रन के पास सीलिंग एरिया से ज्यादा नहीं है, वे किस आधार पर जीवित रहेंगे। बच्चों का पालन पोषण करने के लिये उनके पास मीन्स ऑफ सब्सिस्टेन्स नहीं है यह निश्चित बात है। इसलिये इसका माननीय मन्त्रीजी उत्तर दे देंगे तो अच्छा होगा और आशा है वे इस पर उदारता पूर्वक विचार करेंगे।

श्री मोतीलाल (डीडवाना) : फेमिली की डेफिनेशन के सम्बन्ध में कुछ विचार चल रहा है। श्री नरेन्द्रपाल सिंहजी के सुझाव पर........

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : नरेन्द्र-पालजी?

श्री उपाध्यक्ष : A wrong man is being inserted.

श्री भैरोंसिंह : Wrong man ? How is he wrong, Sir ?

श्री उपाध्यक्ष : My point is that the amendment was not moved by Shri Narender Singh, and his name is wrongly being taken.

श्री भैरोंसिंह : That means wrong name I think, not wrong man.

श्री मोतीलाल : जहां तक सवाल डेफिनेशन का है, दो रायें इसमें नहीं होनी चाहियें। जहाँ तक एक सुझाव था अभी श्रीभानसिंहजी का और रामचन्द्रजी का कि इन्डिविजुअल को मान लेना चाहिये। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि जब सीलिंग करने जा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : किसको मान लेना चाहिये।

श्री मोतीलाल : नहीं मानना चाहिए रामचन्द्रजी और श्रीभानसिंहजी ने जो कहा है उसे। क्योंकि जब सीलिंग करते हैं तब निश्चित मानकर चलते हैं कि किसान की उपज क्या है यही नहीं देखना है, यह भी देखना है कि किसान उस सारी जमीन पर खेती कर सकेगा या नहीं। पड़त तो नहीं रह जावेगी। जो पांच व्यक्तियों की फेमिली मानकर चलते हैं तो यह भी देखना होगा कि वे उस पर पूरा प्रोडक्शन भी कर पावेंगे या नहीं। मान लीजिये विधवा स्त्री या स्त्रियां रहेंगी या माता रहेगी। सच बात है। यह समस्या भी है। पर ऐसे भी बहुत रहेंगे कि जो प्रोडेक्शन नहीं कर पावेंगे पूरा। लेकिन इसके साथ देखना पड़ेगा सीलिंग देने के बाद परिवार पूरी तरह प्रोडक्शन भी कर सकता है या नहीं। यह मद्देनज़र रखते हुए मेरा सजेशन यह है कि फेमिली के ऊपर ही जमीन देनी चाहिये न कि इन्डिविजुअल के दृष्टिकोण से।

इस समय जो शब्द हैं वे हैं 'dependent father and mothers' जो विडो हैं और जिनकी रिमैरीज नहीं होती वे भी हैं हिन्दू परिवार में। यह भी समस्या है। एक समस्या और है वाइव्ज़ भी है जैसा मुसलमान....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरी समस्या यह है कि....you are speaking on the amendment or what? Or there is some sort of suggestion?

श्री मोतीलाल : I am explaining that there will be some difficulties in the amendment to include father and mother. I have to suggest similar amendment because in the present amendment there would be difficulties.

श्री उपाध्यक्ष : I would like to discourage such suggestions specially when you have not moved any amendment. This sort of precedent should not be allowed.

श्री मोतीलाल : There is already one amendment and I am supporting that amendment. where the question of husband and wife is concerned, there are some cases in which there are more than one wives of a person. So my objection is that either it should be made clear that 'wife' means 'wife' in plural also or it should be made 'wives'. There are communities in Rajasthan where persons have two or three wives. There are thousands of Muslim kishans who

(श्री मोतीलाल चौधरी)

have got more than one wife. Many Jats and Gujars have more than one wife. So my request is that the Hon'ble Minister should correct this.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : What is this language? Hindi or English?

श्री उपाध्यक्ष : It is alright. This is something in-between.

श्री मोतीलाल : So it should be made clear that wife means 'wives' also.

इस दृष्टिकोण से भी फेमिली मेम्बर जितने बताते हैं पांच के अलावा बूढ़े फादर मदर को इन्क्लूड करने के लिए तो इसको पांच का सात कर सकते हैं और इस बेसिस पर लैंड बढ़ा सकते हैं। इस बेस को मानकर चलना चाहिये। फादर मदर जहां अनेबल हैं उनको कन्सीडर करना चाहिये और ऐसा सुझाव मान लेना चाहिये।

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की धारा ३० बी के भीतर जो परिवार की जिस परिभाषा पर बहस हो रही है वह परिभाषा, वैसे देखा जावे तो, बहुत ही उपयुक्त है और राजस्थान में परिवार का जैसा ढांचा है उसी को विचार में रखकर यह परिभाषा रक्खी गई है। इसके अनुसार एक परिवार में स्त्री, पुरुष उसका लड़का, लड़की और पौत्र सम्मिलित मान कर इस प्रकार की एक परिभाषा मानी गई है। इस पर बहस करते हुए इस सदन में माननीय सदस्यों ने इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, अपने तर्क और वितर्क से बहुत सी बातें इसमें कह डाली हैं। बहुतों ने अपने विवाद में ऐसा कहा है कि यदि पिता बूढा है या माता बूढ़ी है तो फिर उनका लड़का उन्हें जमीन नहीं देगा और यदि उनके कोई विधवा बहन है तो वह किसका सहारा लेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि समस्त भारत में हमारे परिवार का मूल आधार, हमारी संस्कृति के अनुसार, संयुक्त परिवार माना गया है और हमारे जितने कार्य और हमारी सम्पत्ति का बंटवारा भी जोइन्ट फेमिली सिस्टम को आधारभूत मानकर ही किया गया है। इस समय सदन में जो नया विचार रखा गया है कि जमीन का सीलिंग लगाते समय इस जोइन्ट फेमिली सिस्टम को बिल्कुल नष्ट-भ्रष्ट करके व्यक्ति के नाम पर जमीन दी जावे यह बिलकुल ही अनुचित मालूम होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूँगा कि खातेदारी सिस्टम के विषय में जब उनका यह आर्ग्युमेन्ट है कि बेटा अपने बूढ़े पिता या मां को क्यों सपोर्ट करेगा? तो उनका यह कहना बिलकुल निराधार है।

श्री भैंरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : आपका खुद का तो विरोध नहीं कर रहे हैं?

श्री रामचन्द्र : खाता तो पिता के नाम पर होता है। तब तक पिता जीवित है, चाहे वह पत्नी रहित हो या सपत्नीक, वह खाता उस पिता के नाम रहेगा। मरने के बाद वह बेटे के नाम पर होगा। इसलिए अगर पिता अकेला है या बूढ़ा है तो उसको इस बात का कोई डर नहीं कि पुत्र उसको सहारा देगा या नहीं। चूंके खाता पिता के नाम पर है इसलिए पुत्र अपने आप ही पिता की

(श्री रामचन्द्र)

सहायता करेगा।

रहा सवाल बूढ़ी मां का, तो इसके लिए कानून में पहले ही प्रावधान है कि मां अपने पुत्र पर आश्रित होकर रहती है और पुत्र का फर्ज होता है कि जब तक मां जिन्दा है वह उसको सपोर्ट करे। इसलिए अब यह प्रश्न उठाना कि बूढ़ी मां को हिस्सा मिलना चाहिये इसकी जरूरत ही नहीं है। यह कहना कि यदि उसे हिस्सा नहीं दिया जावेगा तो यह बहुत ही अन्याय होगा, यह दलील उनकी कहां तक ठीक है।

रहा सवाल विधवा बहन का। बहन को अगर देखा जाये, वह जब तक पिता के घर में है उसका सारा अधिकार पिता के साथ होता है। जब उसका विवाह हो जाता है तो उसका अधिकार उसकी ससुराल वालों के ऊपर है। उसको फिर यदि पिता के ऊपर डिपेन्डेन्ट रखा जाये तो ऐसा क्यों? वह अगर विधवा है और दूसरी फेमिली की विधवा हैं तो उस दूसरी फेमिली पर ही उसका सारा अधिकार है और कानून के द्वारा वह अपना अधिकार उनसे ले सकती है। इसलिए इस परिभाषा को, बहुत ज्यादा तर्क-वितर्क द्वारा इसको विघटन करने के जो सुझाव रखे गये हैं वे मेरे खयाल से ठीक नहीं हैं। राजस्थान की जैसी संस्कृति है और जैसे खातेदारी सिस्टम यहां पर बने हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो परिवार की परिभाषा धारा ३ में रखी गई है वह बिल्कुल उपयुक्त है और इसी के अनुसार भूमि के उपर सीलिंग लगाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Yes Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दो अमेडन्डमेन्ट्स पेश हुए हैं। एक तो धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा वह उन्होंने वापिस ले लिया है और मैंने उसका जवाब भी पेश कर दिया है। इसके बाद काफी दिलचस्प बहस इस फेमिली की डेफिनेशन के बारे में हुई और उसके ऊपर एक अमेन्डमेन्ट श्रीमाधोपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने पेश किया है। इस पर दो तरह के सुझाव आये हैं। एक तो यह है कि इन्डीविजुअल को युनिट माना जाकर उसके नाम से सीलिंग कायम होनी चाहिए एक एक आदमी के ऊपर। एक घर में एक आदमी है तो उतनी जमीन मिलनी चाहिए। अगर एक परिवार में तीन आदमी हैं तो उतनी जमीन मिलनी चाहिए सीलिंग में। मतलब यह है कि हम फेमिली के लिए सीलिंग नहीं रखकर एक आदमी के ऊपर सीलिंग रखें, एक सुझाव तो यह है कि उसमें विडो मदर, और डिपेन्डेन्ट फादर और सिस्टर को शरीक करना चाहिए और इसके लिए माननीय सदस्यों ने सक्सेशन के बारे में काफी दलीलें दीं उसके ऊपर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा और खास तौर से इस पर दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वे इस समय नहीं हैं....

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : वे रहे, कांग्रेस में आ गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कांग्रेस में आगये, मुबारक है आपको। तो सक्सेशन से यहां फेमिली की डेफिनेशन का सम्बन्ध नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

है। उनका मतलब यह है कि सक्सेशन से इनहैरिट हो जायेगा। मतलब यह है कि जो डेफिनेशन हमने फेमिली की रखी है जैसा आपने अभी मध्य प्रदेश के अन्दर जो जाइन्ट फेमिली की डेफिनेशन में रखा है, बताया कि पार्टीशन के ऊपर अपना शेयर पाने का अधिकार रखते हैं तो सेप्रेट यूनिट मान ली जाये। वह तो हमारी डेफिनेशन में है husband, wife and their dependent children इसका मतलब जोइन्ट फेमिली में ब्रदर्स हैं तो brothers would be treated as separate units altogether. उनको फेमिली से सेप्रेट युनिट शुमार किया जायेगा। इसलिए उसमें डर की कोई बात ही नहीं है कि ब्रदर्स को सेप्रेट नहीं माना है, उनका एक सेप्रेट यूनिट माना है। वैसे जोइन्ट फेमिली में ब्रदर्स इन्क्लूड हो सकते हैं पर जब हम फेमिली को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं husband, wife and their dependent children... .

श्री श्रीभानसिंह : Point of clarification, Sir. Brothers will be treated as separate families, but the problem that Hon'ble Member from Shri Madhopur has raised was that supposing the land is in the name of the eldest brother according to the law of primogeniture, then whether the other brothers uptil now living in a joint family will be entitled to have a share in the land before the imposition of ceiling or not.

श्री दामोदरलाल व्यास : If there are three brothers, they will be treated as three different families.

श्री श्रीभानसिंह : They will be treated as three different families but the lands stand in the name of the eldest brother. So when you impose ceilings, whether that land will be shared between the younger brothers also ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We are now legislating here on the law of ceilings and not on the law of succession. So far as the law of succession or partitions is concerned, that is quite a different law altogether and this law will not affect it. When we impose cilngs and take into consideration the land in joint possession, then we will treat them as three separate units. There is no room for any doubt here.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल इतना सा है कि पिता के चार पुत्र हैं और उनके पास सौ बीघा जमीन है और सारी जमीन पिता के नाम से है तो आप सीलिंग के अनुसार उनके पास सिर्फ २५ बीघा ही जमीन रहने देंगे और ७५ बीघा सीलिंग में ले आयेंगे। तो मेरे पूछने का मतलब यह है कि क्योंकि उनके पास १०० बीघा जमीन है तो पहले चारों में जमीन बांटकर सीलिंग लागू करोगे या पहले उन पर सीलिंग लागू करके फिर जमीन दोगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उस जमीन पर जिसका राइट है उसका राइट सीलिंग से एफेक्टेड नहीं होगा। जोइन्ट फेमिली में बड़े के नाम से जमीन होती है but that does not mean कि जो जोइन्ट फेमिली के मेम्बर्स हैं उनके शेयर पर इफेक्ट पड़ जायगा।

(श्रीदामोदरलाल व्यास)

उनको लैण्डलैस ट्रीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, if they are entitled to that share, they can have that land, and if they are entitled to partition, they can have that.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : One clarification please. Supposing the father is living and he has four sons and they are major and have got their own families. In that case, whether the land will be divided amongst the brothers or it will be treated as a single unit for ceiliding ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is Hindu Law of Succession and Muslim Law of Succession. You can see that.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I would like to take the advantage of the Hon'ble Minister's knowledge of these things.

श्री दामोदरलाल व्यास : Thank you very much, but I would not like to waste the time of the House on this point. If the father is living and the land is in his name and if the sons are dependent on the father, they will be treated as one family.

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : On a point of claification Sir, अगर पिता ने भूमि का बंटवारा कर दिया है और भूमि इतनी है कि सीलिंग के प्रोविज़न से अधिक नहीं है याने कम है तो फिर उस पिता को कौन पुत्र खिलायेगा, कौन पुत्र रखेगा जब कि उसकी सम्पत्ति जीवित ही पुत्रों को बांट दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not finished yet... मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक फेमली की डेफीनेशन का सवाल है, इसमें इस बात की गुंजाइश कतई नहीं है कि भाई है या जोइन्ट फेमिली के मेम्बर हैं उनको एलीमीनेट करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। वह तो अपनी जगह पर हैं। लॉ ऑफ सक्सेशन है वह इन्डीविजुअल लॉ है वह उससे गवर्न होगा। इससे उनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। वे चाहेंगे तो अपना पार्टीशन करा सकेंगे। इसके बाहर जितने भी मेम्बर्स होंगे वे अपनी अपनी जगह पर सेप्रेट फेमिली ट्रीट किये जायेंगे और इसी लिहाज से सीलिंग के लिए भूमि छोड़ी जायेगी। अलबत्ता जो सवाल पैदा होता है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो जो आपकी स्प्रिट है वह एक प्रोविजो के रूप में डाल दीजिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is not at all necessary. यह बहुत जरूरी है कि फेमिली की डेफिनेशन में सब अपना हिस्सा ले सकेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन यह है कि आप लॉ मेरे से ज्यादा जानते हैं लेकिन जहाँ इन्टरप्रिटेशन ऑफ लॉ का सवाल पैदा होता है उसको अदालत नहीं मानती है। वे तो कहते हैं कि जो लॉ में लिखा हुआ है वो मानेंगे। वहाँ पर आपकी स्प्रिट या आपके भाषण को रेफर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट्स तो लॉ जो इन्टरप्रेट करता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है उसको मानती है। लॉ का इन्टरप्रिटेशन करने के लिए if that is the true spirit of yours, then I will request that a proviso may be added that the other brothers of the family will be entitled to partition and then the ceiling would be imposed.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not at all necessary. इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रोविज़ की। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि फेमिली की डेफिनेशन खुद साफ है। इस बात का मतलब यही निकाला जा सकता है। मैं जानता हूँ कि मुझे कोट नहीं किया जा सकता है और जो आप देते हैं उसको भी कोट नहीं किया जा सकता हैं। इन्टरप्रेट लॉ को वे ही करते हैं, और इस डेफिनेशन से यही नतीजा निकलता है, इसके बाहर के जितने भी लोग हैं वे फेमिली के अन्दर सेपरेट युनिट है। इसलिए प्रोविजो की कोई जरूरत नहीं है।

श्री अनोपसिंह : On a point of clarification Sir............

श्री दामोदर लाल व्यास : No Sir, I don't want any interruption.

श्री उपाध्यक्ष : Since the Hon'ble Minister does not wish to yield the floor, I would not interfere.

श्री अनोपसिंह : I want only a little clarification.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसलिए अर्ज करूंगा कि....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि Let me finish first and clarify the things. Then you can ask me in the end. If every time I am interrupted, I can not reply.

अब रहा सवाल इस बात का कि डिपेन्डेन्ट फादर और डिपेन्डेन्ट मदर के लिए कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। उसके लिए अगर आपकी आज्ञा है तो इसी फेमिली की डेफिनेशन में इस बात को एड कर सकेंगे। जहां तक डिपेन्डेन्ट मदर का सवाल है, इसके अन्दर विडोड मदर को एड कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अनोपसिंह : सिस्टर....

श्री दामोदरलाल व्यास : सिस्टर की कोई जरूरत नहीं है। She is married and she has got her own rights. विडोड मदर के अलावा और किसी को एड करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी वज़ह यह है कि अभी बाड़मेर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो जोर की दलील दी थी कि भाई बहन को कह देगा कि मैं नहीं रखता हूँ तो बहन मिल जायेगी। मैं माफी चाहता हूँ कि हम यहाँ पर लॉ आफ सक्सेशन को अमेंड नहीं कर रहे हैं। लॉ ऑफ सक्सेशन में जितनी महिलायों को अधिकार दिये हैं सक्सेशन के ये इस बात से अफेक्ट नहीं होते हैं कि भाई यह कह सके। भाई की प्रोपर्टी पर अगर उसका अधिकार है तो वह अपने आप हिस्सा ले ले। भाई को तीन दफा देना पड़ेगा—वह नहीं कह सकता है कि लॉ ऑफ सीलिंग की वजह से नहीं दे सकता हूँ। रहा मेन्टीनेन्स का सवाल, तो जिसके ऊपर जिम्मेंदारी है—अभी तो हमारे देश के अन्दर हम अपनी जिम्मेंदारी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

को महसूस करते हैं। अभी बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो कि अपनी मां को मेन्टेन करने से मना कर दें, अपने फादर को मेन्टेन करने से मना कर दें। अपनी सिस्टर को मना कर दें, अपनी लड़की को मना कर दें। इस तरह की भावना अभी देश के अन्दर नहीं है। अगर इस तरह की भावना आयेगी तो लॉ बिल्कुल साफ है सक्सेशन का। वह अपना हिस्सा ले सकती है। सीलिंग के लॉ का उससे कोई संबंध नहीं है। जहां तक विडोड मदर का संबंध है, वह इसके अन्दर एड कर दिया जाये आपकी आज्ञा से, सदन की आज्ञा से फेमिली की डेफिनेशन के अन्दर। [Add after "dependent on them", "and the widowed mother of the husband so dependent.]

श्री उपाध्यक्ष : That means "children and grand-children and widowed mother"

श्री दामोदर लाल व्यास : Yes. "Children and grand children and widowed mother" उसमें आ जायेगा।

बाकी के जो अमेन्डमेन्टस हैं वे मुझे स्वीकार नहीं हैं। जैसा कि आपसे अर्ज किया कि वह इंन्डिविज्युअल के लिए सीलिंग इम्पोज़ करने की बात है वह बिल्कुल ऐसी बात है कि जिसको मन्जूर नहीं करता हूँ। इसकी वजह यह है कि सीलिंग इम्पोज करने का मतलब है कि हम सोशल जस्टिस करना चाहते हैं, मगर इसके साथ साथ यह बात भी है कि ज़मीन का, लैंण्ड का प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिये। अगर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि इस तरह से सीलिंग इम्पोज करने से ऐसी बहुत सी फेमिलीज़ हैं जिनमें एक आदमी है, दो आदमी है, दो आदमी हैं या तीन आदमी हैं–इसका मतलब यह है कि उसका मेक्सिमम है, जमीन कम होती जायेगी, वह बहुत छोटी छोटी होती जायेगी जिसके ऊपर अगर लैंड तकसीम करें सीलिंग के जरिये तो I think that will not be better. वह एक ऐसा कम्पेक्ट ब्लॉक नहीं होगा जिसको कि इकोनौमिक होल्डिंग कहा जा सकता है। वह बिलकुल गैर वाजिब होगा कि इन्डिविज्युअल पर सीलिंग लागू हो, इसमें फेमिली को युनिट मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह भी देखना है कि देश का प्रोडक्शन बिलकुल ही नहीं गिरे। इस लिहाज़ से मैं इस सुझाव को मानने को तैयार नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : One "and" will have to be omitted.

श्री दामोदर लाल व्यास : Yes. One "and" may be omitted.

श्री उपाध्यक्ष : रावल श्री नरेन्द्रसिंह, श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष,....

श्री उपाध्यक्ष : Whether withdrawing or not ?

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर लूं माननीय राजस्व मंत्री की इज़ाज़त हो तो। उसके बाद विड्रा कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्लेरिफिकेशन का प्रश्न अब कहां पैदा होगा ?

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने बताया था कि एन्ड में क्लेरिफिकेशन चाहें तो सब का करेंगे। मैं उनके कहने के अनुसार कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : But I will not allow that. उन्होंने कह दिया तो क्या। The only question is whether you are withdrawing or not.

श्री भैरोंसिंह : मैं थोड़े से में अभी आपने जो अमेंडमेंट मन्जूर किया है....

श्री उपाध्यक्ष : I regret I will not allow it.

श्री भैरोंसिंह : क्वश्चन यह आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने अमेंडमेंट दिया उसको हमने देखा नहीं । वह लिख कर सक्यूलेट नहीं किया गया; और जब लिख कर सक्यूलेट नहीं किया गया है तो उसके कॉम्प्लीकेशन्स क्या हो सकते हैं । वह अमेंडमेंट जो मन्जूर हुआ है वह अमेंडमेंट मेरे अमेंडमेंट का एक पार्ट है । उस लाइट में इसको स्टडी करने के बाद में विड्रा करने को यदि कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा विश्वास है कि आप कम से कम समय लेंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझसे अगर ये क्लेरिफिकेशन चाहते हैं तो He can put me a question. आपने जो अमेंडमेंट दिया है उस अमेंडमेंट के एक पार्ट को मैंने स्वीकार किया है । अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं इसको वापिस ले लूं ।

श्री भैरोंसिंह : आपने मेरे संशोधन को इस अंश तक स्वीकार किया है इसका मैं आभारी हूं लेकिन आपने अभी जो भरतपुर से आये हुए माननीय सदस्य का प्रश्न रखा था और उसके अन्दर यह बताया था कि हिन्दू सक्सेशन एक्ट से जोइन्ट फेमिली है और जो उस लॉ के अन्दर राइट्स एक होते हैं उसके अनुसार वह सीलिंग के बाद भी उसी तरह से एक होंगे । लेकिन मेरे सामने, चाहे वह मेरी नासमझी के कारण हो, एक प्रोब्लम है कि सारे सेटिलमेंट के रेकार्ड में मेरा नाम है और चूंकि सेटिलमेंट में मेरा नाम लिखा है इसलिए वह कानून उसी आदमी पर लागू होगा जिस आदमी के नाम ज़मीन सेटिलमेंट में लिखी हुई है न कि वह परिवार पर लागू होगी जो कि उसी जमीन को खाने वाले हैं । अगर परिवार पर लागू होता तो खाने वाले लोगों पर सक्सेशन के अनुसार करेंगे । Ceiling will apply on the person who holds land... लेकिन सेटिलमेंट में लैंड कौन होल्ड करता है, उस एन्ट्री के हिसाब से सीलिंग लागू हो । मसलन मेरे पास १०० एकड़ जमीन है, उसमें से मेरे पास ३० एकड़ ज़मीन रहेगी और ७० एकड़ जमीन सीलिंग के दायरे में चली जायेगी और उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो बात अलग है । लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो आपकी मंशा चाहे जो हो लेकिन कानून की परिभाषा से उससे कवर नहीं होगी। वहां पर एक प्रकार से इन्टरप्रिटेशन और एप्लीकेशन का प्रश्न पैदा हो जायेगा । एडमिनिस्ट्रेटिवली कई प्रकार की डिफीकल्टीज़ पैदा होंगी । खास तौर से मैं निवेदन करूंगा कि राजपूत कॉम्युनिटी के अन्दर जहां पर लॉ ऑफ प्राइमोजेनीचर लागू था अब भी कई ज़मीनें अपने बड़े भाई के नाम से चली आ रही हैं । उस ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं करते हैं । उस स्थिति में जितनी भी बातें या कानून लागू होते हैं वे उसी नाम से लागू होंगे । एग्रीकल्चर इन्कमटैक्स का काम है तो वह उन्हीं के नाम से चलता है, सेटिलमेंट की कार्यवाही है तो सारी उनके नाम से चलती है । लैंड का ओनर वह माना जायगा और सीलिंग एप्लाई होता है तो बाकी के लोगों पर किस तरह का इफेक्ट होगा, केवल इसका क्लेरिफिकेशन चाहता हूं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे खयाल से मैं समझ नहीं सका ठीक तौर से कि लॉ

(श्री दामोदरलाल व्यास)

ऑफ सीलिंग का लॉ ऑफ सक्सेशन के आपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : कोई नहीं मानेगा इसको।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको बताता हूं कि जब सीलिंग इम्पोज़ की जायेगी तो यह फेमिली की डेफिनेशन दी है वह महज़ यूनिट बताने के लिए दी है। उस एरिया में किस युनिट को लागू करते हैं। इस तरह की बात समझ रहे हैं कि जो मालिक दर्ज होगा उसी की जमीन मान ली जायेगी और सीलिंग इम्पोज़ करते वक्त ज़मीन दी जायेगी या ली जायेगी और दूसरे कानूनों के अन्तर्गत जिन जिनका अधिकार ज़मीन पर है उनका भी ध्यान रखा जायेगा। सिर्फ सीलिंग एरिया मुकर्रर करने के लिए इस युनिट को काम में लाया जायेगा। अगर जोइन्ट फेमिली है, हिन्दू जोइन्ट फैमिली है और ज़मीन एक आदमी के नाम दर्ज है और ४ मेम्बर हैं फेमिली के तो अपने आप वे शुमार किये जायेंगे और ४ फेमिली हैं तो उतनों में उस ज़मीन को फलाना पड़ेगा। यह तो महज़ युनिट इसलिए बनाया है कि इस युनिट में इतनी ज़मीन आ जायेगी। एक युनिट, दो युनिट, तीन युनिट। जहां उसका अधिकार होगा तो हमने लिखा है कि युनिट में जितने मेम्बर्स बढ़ते जायेंगे तो ज़मीन भी बढ़ती जायेगी। मैक्सिमम लिमिट मुकर्रर कर दी गई है। इस तरह से ब्रदर्स हो सकते हैं जिसके लिए आप फर्मा रहे हैं तो २, ३, ५, ब्रदर्स हो सकते हैं, उनकी फेमिली हो सकती है। They will definitely be treated as separate units. तो ज़मीन किसी के नाम हो और किसी के नाम नहीं है खाली इस बात से काम नहीं चलेगा। वह आप जानते हैं कि लॉ ऑफ पार्टीशन और एग्रीक्लचर टिनेन्सी एक्ट वह आलरेडी अलग अलग है। और इसके अन्दर जितने और शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वह ज़मीन किसी के नाम पर हो, वे पार्टीशन कराने के हकदार हैं और सीलिंग उन पर इम्पोज़ होगा और इसे मुस्तरका समझा जायेगा।

श्री अनोपसिंह : Point of clarification, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : No claiifications any more.

प्रश्न यह है कि.......

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका कुछ अंश को माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं उस अंश तक इसे वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : उस अंश तक नहीं, पूरा अंश ही वापिस लिया जायेगा। प्रश्न यह है

(श्री उपाध्यक्ष)

कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने सेक्शन ३० बी में क्लॉज ३ के अन्तर्गत रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये।

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सेक्सन ३० बी में, क्लॉज ३ के अन्तर्गत, जो संशोधन राजस्व मंत्री जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज ३ के अन्तर्गत सेक्शन ३० बी को संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृति)

क्लॉज ३ के अन्तर्गत सेक्शन ३० बी को संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Section 30 C. Dr. Bahadur Singh to move.

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सिलक्ट कमेटी ने इस सेक्शन में जो संशोधन किया है इसके स्थान पर मैं चाहता हूँ कि मूल बिल में जो क्लॉज है उसे ही स्वीकार किया जाय। "Original Section 30c be retained."

सिलेक्ट कमेटी ने इस तरह से रखा है कि एक फेमिली को ३० स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन दी जायगी और वह स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन मानी जायेगी जिसमें १० मन गेहूँ पैदा हो। इसके अन्तर्गत यह माना गया है कि एक किसान की आमदनी ३६०० रु० हो। जिसे यहां पर स्टेन्डर्ड एकड़ बना लिया गया है उसके बरखिलाफ सीलिंग कमेटी ने जो कि अपनी रिपोर्ट में लिखा है उस पर पहले विचार कर लें। सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ३१ में लिखा है :

"राजस्थान में मिट्टी की सबसे उल्लेखनीय बात उसकी अद्भुत विभिन्नता है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में उनके रंग, गहराई तथा भौतिक व रासायनिक गुण प्रत्येक तहसील में एक गांव से दूसरे गांव के बीच और एक खेत से दूसरे खेत के बीच भी विभिन्न है। वे जलवायु की परिवर्तनशील परिस्थितियों, वर्षा, सिंचाई व अन्य कार्यवाहियों के प्रति विभिन्न तरीकों से प्रतिक्रियाएं करती हैं। अतएव उनकी उर्वरता के सम्बन्ध में कोई सामान्य वक्तव्य देना असम्भव प्रतीत होता है। फिर भी विशेषज्ञ सामान्य रूप से तीन किस्म की जमीनों की परिभाषा कर सकते हैं। काली, श्यामली व भूरी और उनकी बनावट, ढांचे, रचना, रंग या रासायनिक गुणों का व

(डॉ० बहादुरसिंह)

उनसे उत्पन्न होने वाली उत्पादक महत्ता का विवरण कर सके हैं।"

इसके बाद में पैरा ४० की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं : "मिट्टी की किस्म व स्थिति, भू-क्षेत्रों के आकार, जलवायु, वर्षा तथा अन्य कई बातों व सबसे महत्वपूर्ण किसान की व्यक्तिगत रुचि द्वारा पैदावार प्रभावित होती है। मौसमी परिवर्तनों की अपेक्षा, कार्य की दक्षता, पूंजी व श्रम के साधन तथा काश्त की वृद्धि, उसको प्राप्त होने वाली पैदावार को तथा उससे प्राप्त होने वाली वास्तविक लाभ को अधिकांश रूप से निर्धारित करेंगे। विभिन्न फसलों की प्रति एकड़ पैदावार परिशिष्ट "जे" में बताई गई है। परिशिष्ट "जे" में दिये गये आकड़ों में मालूम होगा कि अन्तर उल्लेखनीय है। १९५३–५४ के दरम्यान फसल कटाई के प्रयोगों के परिणामों को लेते हुए कुछ मुख्य फसलों की पैदावार के उच्चतम व निम्नतम आकड़े हैं।

	उच्चतम (मन प्रति एकड़)	निम्नतम (मन प्रति एकड़)
गेहूँ	१३.३० (जालोर)	४. ३॥ (झालावाड़)

जालोर में गेहूँ १३.३० मन एक एकड़ में पैदा होगा और झालावाड़ में ४.३॥ मन प्रति एकड़ पैदावार होगी। इसी तरह से जमीन की किस्म एक सी नहीं है और पैदावार की स्थिति एक सी नहीं है तो फिर यहां कैसे माना जाता है कि १० मन एक एकड़ में पैदा होगा। १० मन की पैदावार निकालने के लिए केलकुलेशन हर खेत का निकलना पड़ेगा। इसलिए मूल बिल में जो दिया है वही तरीका ठीक रहेगा। आपने मान्यता यह रखी है कि किसान की आमदनी ३६०० रू० हो और शिड्यूल में २४०० रुपये रखे हैं। इस शिड्यूल पर विचार करेंगे तब ड्योढा मान लेंगे। एक स्टेन्डर्ड एकड़ को मानने के लिए हमको कितनी कठिनाई पड़ेगी। नाप, तोल या वजन का प्रश्न ऐसा है जिसको सारे हिन्दुस्तान के बेसिस पर रखना पड़ेगा। एकड़, तोल या रुपये पैसे का हिसाब ऐसा है जो सारे हिन्दुस्तान में एकसा होना चाहिये। आपके हिसाब से राजस्थान में स्टेन्डर्ड एकड़ अलग होगा। जितनी जमीन में १० मन गेहूँ पैदा हो उसे आप स्टेन्डर्ड एकड़ मानते हैं। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का हाल बता दूं कि मौजूदा एकड़ में १० मन गेहूँ पैदा नहीं हो सकता। वहाँ इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा। लोग समझेंगे कि हमारे पास १० एकड़ जमीन थी अब १५ कैसे हो गई। सीलिंग के हिसाब से १० एकड़ ज़मीन नहीं हैं। आपका मन्तव्य ३६०० रुपये को आमदनी का है और आपका जो शिड्यूल है उसमें २४०० रु० का हिसाब दिया है। इसलिए मूल विधेयक में जो धारा है उसे स्वीकार करना चाहिये। प्रवर-समिति ने जो धारा (सी) रखी है मैं उसका विरोध करता हूँ और मूल धारा का समर्थन करता हूँ। शिड्यूल विचार करें उस समय इसे देख लिया जाय।

श्री श्रीभानसिंह (ब्याना) : ३० सी में गवर्नमेन्ट ने या सिलेक्ट कमेटी ने एक क्राइटेरिया ले डाउन किया है जिसके अनुसार राजस्थान में सीलिंग होगा। इससे पहले कि मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव करूं,

Page No 59

ानसिंह)

ा इस प्रकार है :—

use 3, Section 30 C.

e following shall be substituted ion 30 C, namely :—

C. Fixation of Ceiling area. 'ling area in each Tehsil of the or a family consisting of five rs shall be the area of land ned opposite the name of that in column 2 of the fifth le:

vided that, where the members mily exceed five, the ceiling relation thereto shall be d for each additional member scale as may be prescribed, ever that it does not exceed he area of land mentioned e the name of that Tehsil in 2 of the fifth Schedule. ग एरिया पर "The ceiling area mily consisting of five or less e members shall be 30 standard land."

पर कुछ विचार रखूं क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने जवाब र यह कहा था कि इन्डेविजुअल हेगा तो अनइकोनोमिकल होगा और नोमकिल युनिट नहीं आयेगा । मैं नना चाहूँगा कि आखिर उनका या र गवर्नमेन्ट का कोनोमिक युनिट क्या है ? कितने एरिया ऑफ़ लैंड को किस डिस्ट्रिक्ट में आप इकोनोमिक युनिट मानते हैं? जो अगर इकोनोमिक युनिट राजस्थान गवर्नमेन्ट के सामने क्लीयर होता तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप ने जो १० मन का हिसाब रखा है वह डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वैरी करता है। और वेरिएबिल कितना युनिट है उसके लिए आप क्लीयर नहीं हैं । पहली बात तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप का इकोनोमिक युनिट क्या है ? दूसरी बात यह है कि आप इन्डिविजुअल बेसिस को नहीं मानते हैं, फेमिली बेसिस को मानते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर यह फेमिली बेसिस आया कहाँ से ? मैं मानता हूँ कि मेरी इतिहास की नॉलेज कम है । लेकिन भारतवर्ष में एग्रीकल्चर कभी भी फेमीली बेसिस पर नहीं हुआ और न किसी लॉ में एग्रीकल्चर को फेमिली बेसिस पर माना या डिफाइन किया। मगर अब थर्ड एलीमेन्ट हुआ, वह फार्मिंग का है। मेरी नोलेज में फेमिली फार्मिंग क्यों इन्ट्रोड्यूस हुआ है, वह इस लिए हुआ है कि प्लानिंग कमीशन एक इकोनोमिक युनिट को डिफाइन नहीं कर सका। जब प्लानिंग कमीशन ने पहला प्लान स्टार्ट किया था तो इकानोमिक युनिट का स्लोगन शुरू किया था। जब सैकिन्ड प्लान तक प्लानिंग कमीशन आया तो उसने इसको चेन्ज कर दिया फेमिलीयुनिट में। तो फैमिली फार्मिंग एक नई चीज है, इसको इन्ट्रोड्यूस करके सर्टेनटी से कह दें कि प्रोडक्शन बढ़ जायेगा इसलिए फेमिली फार्मिंग को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि यह हाइपोथेटिकल, कन्वेंशनल और विशफुल थिंकिंग है कि अगर इन्डिवि-

(श्री श्रीभानसिंह)

जुअल को लैंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं फेमिली फार्मिंग का, इसकी सक्सेस भविष्य बता सकता है। अभी सेंटेन्टी से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कह दें, मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब सीलिंग कमेटी ने जो क्राइटेरिया रखा, वह यह रखा कि राजस्थान के अन्दर तीस एकड़ के बेसिस को लेकर हम जमीन डिस्ट्रीब्यूट करें और ३० एकड़ भी क्या है? जहां उस एरिया के एक एकड़ के लिए माना जाय कि उसकी पैदावार १० मन है। सीलिंग के लिए रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कह दें कि यह फ्लक्चूअस नहीं है, For all times to come सीलिंग इम्पोज करते हैं, जब तक यह फेल न हो जाय तब तक सीलिंग लागू रहेगी। अगर यह लागू रहेगी तो उसका क्राइटेरिया ऐसा बनाना चाहिये जो फिक्स्ड क्राइटेरिया हो, एक फ्लक्चूएटिंग क्राइटेरिया नहीं हो, एक वेरीएबल क्राइटेरिया न हो, एक पर्मानेन्ट क्राइटेरिया हो। अगर फ्लक्चूएटिंग और और वेरीएबल क्राइटेरिया आप रखते हैं तो जस्टीफिएबल नहीं कह सकते, उसमें आरबीट्रेरीनेस आयेगी। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन को कन्ट्रोल कौन कौन सेक्टर करते हैं; क्या आपने उन पर काबू कर लिया है। कहीं हैवी रेन फाल होता है, कहीं बिलकुल रेन फाल नहीं होता है, कहीं हिल स्टार्म आते हैं, फोर्सेज ऑफ नेचर पर अपनी स्टेट का प्रोडक्शन डिपेन्डेड है। हम कह नहीं सकते कि आज जो २० मन का प्रोडक्शन जमीन दे रही है, नेक्स्ट ईअर भी प्रोडक्शन उतना ही होगा। हो सकता है कि सारी की सारी क्राप डेस्ट्रोय हो जाय। अभी तो फोर्सेज आफ नेचर को आप कन्ट्रोल नहीं कर सके, फिर भी १० मन का क्राइटेरिया रखते हैं। कितना प्रिकेरिअस और वेरीएबल क्राइटेरिया है। यह कहा जाय कि यह धोखा देने वाला क्राइटेरिया है, इस पर आप राजस्थान में सीलिंग लागू करते हैं, तो हमारा पर्पज है, वह सर्व नहीं होता, जस्टिस नहीं होती। अब इस क्राइटेरिया को लिंक करते हैं इन्कम से, चाहे २४०० रुपये कह दीजिये, चाहे ३६०० रुपये कह दीजिये। सीलिंग का जो मकसद है, वह लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। कोई सीलिंग एग्रीकल्चरल इन्कम पर नहीं होगा, सीलिंग कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर नहीं हो रहा हैं। यदि आप १० एकड़ रखते हैं तो मेरे को या लेमेन को लगता कि गवर्नमेंट सीलिंग प्रोड्यूस पर लागू कर रही है, अगर गवर्नमेंट २४०० रु० या ३६०० रु० की इन्कम की बात कहती है तो लगता है कि सीलिंग इन्कम पर लागू कर रहे हैं। मगर यह सीलिंग का गलत तरीका है। मैं जहां तक सीलिंग का मकसद समझता हूँ, वह यह है कि गवर्नमेंट ओनरशिप को कम करना चाहती है इसलिए लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। इस हद तक मैं सीलिंग को समझता हूँ। इस हद में अगर देखते हैं तो न प्रोडक्शन का क्राइटेरिया लेना पड़ेगा और न इन्कम का क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। हमारा एक क्राइटेरिया है कि राजस्थान में अवेलेबल लैंड कितना है, उस पर कितनी पोपूलेशन है। इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया नहीं ले सकते। अगर इन्कम का क्राइटेरिया लागू करते हैं तो इस डिमान्ड में वेट है कि विलेजेज़ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिन्सिपल को लागू करते हैं तो अरबन एरिया में भी इस प्रिन्सिपल को लागू करना चाहिए। इस लॉजिक से आप

(श्री श्रीभानसिंह)

एस्केप नहीं कर सकते, इसका जवाब नहीं दे सकते कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रिन्सिपल पर अरबन एरिया में भी इन्कम कम करनी चाहिए, इस डिमान्ड को आप नहीं हटा सकते हैं। तो एग्रीकल्चरल इन्कम पर सीलिंग नहीं है, सीलिंग है अनोरशिप पर। कोई व्यक्ति २० एकड़ जमीन को लिमिट करना चाहे, या २० एकड़ जमीन को यूनाइट करना चाहे और इस प्रकार उसकी इन्कम १० हजार हो जाय तो उसको कम नहीं कर सकते। अगर आप ओनरशिप को कम करते हैं तो एरिया ऑफ कल्टीवेशन को कम नहीं कर सकते। जो २४००, ३६०० की इन्कम आपने रखी है, दो व्यक्ति मिल कर छः हजार या १० हजार की आमदनी कर सकते हैं। तो आपको प्रोडक्शन पर सीलिंग नहीं लागू करनी है, ओनरशिप पर सीलिंग लागू करनी है। इसको लेते हैं तो क्वान्टिटी ऑफ लैंड आपको देखनी पड़ेगी। जब यह देखते हैं तो जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे लैंड लैस लेबरर्स हैं, चाहे प्रोपराइटर्स हैं, चाहे एबसेन्टी लैंड होल्डर्स हैं, जब आपने ६० पर्सेन्ट ऐसी पोपूलेशन को लिया है तो हरएक आदमी का हक है कि जब तक आप उसके लिए दूसरा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं, जब तक दूसरी इन्कम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तब तक उसका हक है, राइट है कि वह जमीन आपसे ले। यह मान कर चलते हैं कि उसका हक है, राइट है, तो हरएक इन्डीविजुअल को ज़मीन देनी पड़ेगी। हर एक इन्डीविजुअल के प्रति स्टेट को लाइबिलिटी है, इन्डीविजुअल को फीड करने की, एजूकेशन दिलाने की सप्लेन करने की। इन्डीविजुअल है वह स्टेट की लाइबिलिटी है, फेमिली लाइबिलिटी नहीं है। जब इन्डीविजुअल को मानेंगे तो इकोनोमिक और सोशल जस्टिस होगी। कलेक्टिव जस्टिस फेमिली की करना चाहते हैं तो इन्डीविजुअल को भुलाना चाहिए, इसको जस्टिस नहीं मान सकते। यह मान कर लैंड को डिवाइड करें और राजस्थान की कल्टीवेबल लैंड को डिवाइड करते हैं तो शायद एक पर फेमिली २७.५४ एकड़ लैंड आता है। तो कोई भी राजस्थान के अन्दर, मैं यह मान कर चलता हूँ, चाहे इन्डीविजुअल हो, चाहे कोई फेमिली हो, किसी को २७.५४ एकड़ से ज्यादा राजस्थान के अन्दर जमीन नहीं मिल सकती, कोई ज्यादा जमीन क्लेम नहीं कर सकता, यह हमारे राजस्थान की एक यूनिट है, चाहे इकोनोमिक यूनिट है, चाहे अनइकोनोमिक यूनिट है, चाहे हम कोई साइन्टीफिक रीजन नहीं दे सकें, तो भले ही २७.५४ एकड़ को आप २८ एकड़ कर दीजिये, उससे ज्यादा कोई फेमिली क्लेम नहीं कर सकती। अब २७.५४ एकड़ को इन्डीविजुअल में डिवाइड करें तो दो, तीन एकड़ जमीन आयेगी। कोई भी इन्डीविजुअल तीन एकड़ से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि लैंड इतना ही है। जब लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो जो क्राइटेरिया है वह यह है कि होल ऑफ राजस्थान के अन्दर २८ एकड़ पर फेमिली आप दे सकते हैं और एक इन्डीविजुअल क्लेम कर सकता है वह तीन एकड़ जमीन क्लेम कर सकता है। इसको लेकर चलें तो यह होगा, जो शिड्यूल मैंने दिया है. वह भरतपुर के बेसिस पर दिया है, कि कितना लैंड आपके पास मौजूद है, कितने एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जितने लैंडलैस लेबरर्स मौजूद हैं, उसको वर्क आउट करके जो इन्डीविजुअल भरतपुर में क्लेम कर सकता

(श्री श्रीमानसिंह)

है, वह दो एकड़ क्लेम कर सकता है। अब इन्डीविजुअल दो एकड़ क्लेम करे तो फेमिली जो क्लेम कर सकती है वह ज्यादा से ज्यादा १० एकड़ क्लेम कर सकती है। अब एग्रीकल्चर को आप स्टेरोटाइप कर दें तो दिक्कत आ सकती है, शायद प्रोडक्शन की दिक्कत आ सकती है, सबको एम्प्लोयमेंट पूरा न मिले। मैंने भरतपुर में २० एकड़ रखा है, फिर भी १० एकड़ ज्यादा रखा है, वह इसलिए रखा है कि जो शिडयूल्ड पोपूलेशन है उसके पास एलीमेंट आफ फ्लेक्सिबिलिटी रहे, जिससे वह इम्प्रूवमेंट कर सके और हायर्ड लेबरर्स से काम ले सके और हर तरह से एक अच्छी यूनिट बना सके। इस क्राइटेरिया को लेकर मैंने हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर डिवाइड किया लैंड को, जो शिडयूल के अन्दर है, उसको देखिये, उसके बेसिस पर डिवाइड करें लैंड को, तो मैं नहीं कह सकता कि हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, हर तहसील के अन्दर इतने आदमी रह जायेंगे, लेबरर्स, जिसको लैंड प्रोवाइड नहीं कर सकते। सीलिंग का जो यह मतलब है कि हमको एक एक लैंड लैस को जमीन देनी है यह भी डिस्प्यूटिंग पोइन्ट है और बहुतों ने आरग्यूमेंट रखा कि जिन आदमियों ने आज तक लेबर का वर्क किया उनको एग्रीकल्चरल काम से एन्ट्रस्ट करते हैं तो क्या सर्टेन्टी से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ जायेगा। जितने लैंड लैस एग्रीकल्चरिस्ट हैं वे क्या सब एक्सपीरियेन्सड हैं। जो शहर के अन्दर रहने वाले लेबरर्स हैं, और जो गांव से आते हैं, उतना ही एक्सपीरियेन्स रखते होंगे। जितने एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, वे सारे प्रोसेस में एक्सपीरियेन्सड नहीं होंगे क्योंकि कोई प्लोइंग के लिए एम्प्लोय करता है, कोई हारवेस्टिंग के लिए रखता है या कोई कूए से पानी देने के लिए एम्प्लोयड होते हैं....

२ म० प०

तो एक आदमी जो अच्छा लेबरर है उसको पूरा एग्रीकल्चर का प्रोसेस है उसकी पूरी नोलेज नहीं, यह फीयर भी है। इन सातों में एग्रीकल्चर को रख दें तो यह दिक्कत होगी। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर लेबरर को एम्प्लोय करे और एम्प्लोय करने के लिये लैंड दे पर साथ ही यह देखना है कि इससे कहीं हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की खराबी नहीं हो जाय। जो आज अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको इकोनोमिक बनाना है। हम अनइकोनोमिक होल्डिंग्स को नहीं रहने दें और डिस्ट्रिब्यूट कर दें लेबरर्स में तो प्रश्न यह आता है कि आखिर इन अनइकोनोमिक होल्डिंग्स पर कोई प्रोडक्शन नहीं, उनको क्यों कन्टिन्यू करने दिया जाय। या तो इनको खत्म किया जाय या कोऑपरेटिव फार्मिंग हो, यह भी हो सकता है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स वाले कोऑपरेटिव फार्मिंग में जोइन नहीं होना चाहें। इन दो चीजों को लेकर चलते हैं तो सीलिंग क्राइटेरिया राजस्थान में हाई नहीं हो सकता, लोअर क्राइटेरिया रहेगा और प्रोडक्शन, जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है, हालांकि इस सम्बन्ध में पूरे फैक्टर्स एन्ड फिगर्स नहीं हैं पर जो स्टेटिस्टेक्स एक्यू किये हैं उनसे पता चलता है कि एक एक्स-मिनिस्टर यू. पी. के हैं उन्होंने एक किताब लिखी है और बताया है कि स्माल स्केल फार्मिंग पर प्रोडक्शन ज्यादा है, जितने बिगर फार्म्स हैं, यू. एस. ए. के यू. एस. एस. आर. के उन पर उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई हैं जितनी कि डेन्मार्क की है। तो राजस्थान के

(श्री श्रीमानसिंह)

अन्दर ही नहीं सारे देश में स्माल स्केल फार्मिंग से ज्यादा प्रोडक्शन है, उनके काफी रिलायेबल फार्मर्स हैं। तो इस सूरत में स्माल स्केल फार्मिंग को कन्डेम नहीं कर सकते। स्माल स्केल फार्मिंग से कोई हमारा प्रोडक्शन कम हुआ है यह हम नहीं मान सकते।

राजस्थान के जो होल्डिंग्स हैं वे १०० एकड़ से १००० एकड़ तक के बहुत कम हैं। सबसे मेजर होल्डिंग्स हैं one to ten acres बीच के 10 to 60 acres हैं। मेन कन्ट्री-ब्यूशन लिया जाय जो राजस्थान के १० टू ६० एकर्स होल्डिंग्स हैं। तो इससे क्लीयर है कि जो स्माल फार्म्स भी रखें तो हमारे प्रोडक्शन को धोखा नहीं पड़ेगा। लैंड रिफार्म्स की समस्या है, सीलिंग की समस्या है, हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाने की समस्या है, हर एक को जमीन देने की समस्या है, लेबरर्स को एम्प्लोय करने की समस्या है, चाहे सेंटिमेंटली इसको रोटी-रोजी, कपड़े की समस्या कहा जाय, कुछ भी कहा जाय वह तभी हल हो सकती है जब कि हम हर एक के लिये, कम से कम मेजोरिटी के लिये लैंड प्रोवाइड कर दें। कोई कह सकते हैं कि यह किसानों के साथ अन्याय होगा लेकिन मैं कहूँगा कि जिससे हमारे कन्ट्री को फायदा हो, ४ लाख लेबर पोपुलेशन है, अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, उनको जमीनें दें तो इससे कैसे किसानों को नुकसान हो सकता है।

पर-केपिटा इन्कम इतनी कम आती है कि उससे वे कुछ कर नहीं सकते। हाउस में कहा जाता है कि उनको इन्जीनियर नहीं बना सकते, एज्यूकेशन हिट होगी, अब भी इन्जी-नियर उनके हैं जिन्होंने लैंड ज्यादा ले रखी है, जिनके हैं वे लेबर को एक्स्प्लोइट कर रहे हैं। वे चाहे इन्जीनियर बना लें, चाहे कुछ बना लें, लेबरर्स का एक्स्प्लोइटेशन किया जाता है। लोअर सीलिंग अगर राज-स्थान में लागू किया जाय तो लेबर एक्स्प्लोइ-टेशन बन्द हो जायगा। इन्टेन्सिव कल्टिवेशन करें, सीलिंग का पर्पज है इन्टेन्सिव कल्टि-वेशन करें, यह मकसद, यह पर्पज इससे साल्व होता है कि एक आदमी अपनी लैंड पर तरक्की करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाये।

१० एकड़ का क्राइटेरिया रखते हैं तो राजस्थान में जमीन कहां मिलेगी ? रेवेन्यू मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को यह तो क्लीयर होना चाहिये कि १० एकर्स का क्राइटेरिया लगाया है तो कहां से हमें जमीन मिलेगी।

मिस्टर शुक्ला ने जो शिड्यूल दिया है-तो राजस्थान में गंगानगर एक आध जगह का ५२ मान्ड्स यील्ड है. बाकी जगह बहुत कम है। अगर १० एकर्स का क्राइटेरिया रखते हैं तो यह मुमकिन नहीं हो सकता। यह क्लीयर नहीं है कि रीडिस्ट्रिब्यूशन के लिए एक एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी लैंड चाहियेगी, यह गवर्नमेंट के सामने क्लीयर पिक्चर नहीं है। जब सीलिंग सीधा इम्पोज करने जा रहे हैं तो एक तहसील का, एक डिस्ट्रिक्ट का क्लीयर पिक्चर गवर्नमेंट के सामने होना चाहिये, यह तभी हो सकता है कि लैंड लिमिट तय कर दें।

जहां मैंने डिवाइड किया है, डेजर्ट, सेमी-डेजर्ट, हेवी रेनफाल का, नेचर का, सोइल का क्राइटेरिया है, पोपुलेशन का क्राइटेरिया है, इनको ले कर मैंने डिवाइड किया है। मेरे शिड्यूल को देखेंगे तो 1 to 50 bighas.

(श्री श्रीमानसिंह)

तक पहुंच जाता है। भरतपुर आयेंगे तो २० एकड़ रह जाता है, जावली, रूपवास में, भले ही २० एकड़ रहा हो, बूंदी कोटा, झालावाड़, झुंझनूं, अलवर इन जगहों में ३० एकड़ का क्राइटेरिया रखेंगे तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि वहां इतनी लैंड मिलेगी कहां से ?

तो मैं यह कहूँगा कि जो हमारे अगेन्स्ट में यह चार्ज लगाते हैं कि स्लोगन्स में बह कर लॉ बना देते हैं तो सीलिंग का जो लॉ है उसको एक्चुअली आपको वर्क आउट करना है, आपको लागू करना है जिससे लोग फील करें कि लॉ बना। तो आपको कम सीलिंग रखनी होगी। अगर आप लार्ज सीलिंग रखेंगे तो that will be turned into mere slogan. तो यह सब हमको प्रेक्टिकल देखना है और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉ सीलिंग को राजस्थान में लागू करना है। लॉ सीलिंग के लिये यह कहा जाता है कि यह तो गरीबी का बंटवारा है। कहा यह जा रहा है कि हम गरीबी का बंटवारा कर रहे हैं। इसका जवाब मैं और तो नहीं दे सकता लेकिन यह कहूंगा कि राजस्थान ही क्या हमारा पूरा देश ही गरीब है और जो चीज हमारे पास नहीं है उसका बंटवारा हम नहीं कर सकते। हमारे पास गरीबी है। हम सब गरीबी को बांट सकते हैं। सोशियल पावर्टी के बर्डन को मैं और गवर्नमेंट चाहे तो इक्वेलाइज कर सकते हैं। लग्ज़री को हम चाहें तो इक्वेलाइज कर सकते हैं लेकिन रिचेज़ का प्रश्न है उसको हम डिस्ट्रिब्यूट नहीं कर सकते।

I have got this land in Rajasthan and that I can distribute to the people in this quantity. Whether it is a Socialism, whether it is a capitalism or whether you call it communism but atleast it is social justice; atleast it is equalisation of the burden which I can give. I can only equalise the worke. I have no well to distribute and this is my socialism which I want this House to accept.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष, मेरे अमेन्डमेंट इस प्रकार हैं:—

(a) the word 'seven' be substituted for the word 'five' occurring twice in the second line.

(b) In the second line, the words 'standard acres of land' occurring after the figures '30' be replaced by the words 'acres of 90 acres of unirrigated land'

(c) In the first proviso, the word 'Seven' be substituted for the word 'five' and the word 'Standard' be omitted.

(d) In the third line of the first proviso, the words 'Forty-Five' be substituted for the word 'sixty'.

(e) The following proviso be substituted for the second proviso:-

"Provided further that the ceiling area for Tehsils in semi-desert areas shall be one and a half times and for tehsils in desert areas twice the area mentioned in this section."

Page No 65

(श्री सोहनलाल भटनागर)

और आखरी है:—

(f) Explanation with its proviso be deleted.

माननीय उपाध्यक्ष, यदि हम इस बिल को देखें तो इसकी सारी आत्मा है, इसकी सारी जान है वह यह सेक्शन ही है । माननीय उपाध्यक्ष, यह सही है कि सीलिंग कमेटी का निर्माण हुआ । उसने भी कई दिनों तक इस प्रश्न के बारे में विचार किया । उसके बाद सलेक्ट कमेटी बनी, उसने भी इस पर विचार किया और सलेक्ट कमेटी ने नया फार्मुला पास किया । उसकी एक दूसरी विचारधारा थी और जो कुछ विचारधारा प्रस्तुत की गई है मैं उससे इत्तफाक नहीं रखता और इसीलिये संशोधन रखा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा छोटा सा संशोधन है । फैमिली में ५ सदस्यों के बारे में कहा गया है । जब हम ओरीजनल बिल को देखते हैं तो उसमें ७ दिया हुआ है । मगर सिलेक्ट कमेटी ने सुझाव दिया है ५ का । मगर उसने अपनी इस विषय में कोई राय नहीं दी है कि किस वजह से उसने ५ किये । जब हमने इसमें बच्चों को लिया है और ग्रान्ड चिल्ड्रन को भी लिया है और हमारे अभी राजस्व मंत्री ने 'विडो मदर' को भी एड किया है । इससे हर एक फैमिली को ज्यादा एरिया मिलेगा और सीलिंग का जो पर्पज है वह समाप्त हो जावेगा ।

दूसरा है ३० एकड़ कर दिया जावे । यह किस सिद्धान्त पर किया जावे, इस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा । अभी भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने कई बातें कहीं । एक तो आपरेशनल युनिट और दूसरा इनकम के बारे में कहा यह उनका बेसिस ठीक नहीं है । मैं निवेदन करूंगा कि हमें सारी बातों को देखना पड़ेगा और इस बात को देखना होगा कि इस दिशा में जो दूसरे देश हैं वे किस विचारधारा को अपना रहे हैं और इसके साथ साथ प्लानिंग कमिशन ने अपनी क्या राय दी है ।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी ग्रामीण जनता जो काम करती है उसकी औसत आमदनी ५००) है । उसमें २॥ आदमी समझें तो १२००रु० कम रहती है । अगर आपरेशनल युनिट माना जावे तो बहुत छोटा होगा । मेरा खयाल है कि आगे आनेवाले समय में सीलिंग का वापिस विभाजन करना होगा और कुछ ही वर्षों में अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हो जायेगी और वह लैन्डलैस की डेफिनेशन में आ जावेंगे । जब हम यहां पर सीलिंग को पास करने जा रहे हैं तो हमें सारी बातों पर विचार करना होगा । हमें आगे आने वाले वर्षों के लिए भी प्रावधान रखना होगा । ऐसा न हो कि कहीं वे लोग जल्दी ही भूमिहीन हो जायें और फिर वही समस्या हमारे सामने आये । १२००) रुपयों का रखा है, कितने मल्टीपल होने चाहिये । इसके लिए कुछ लोगों का विचार है कि दुगुना हो । भरतपुर से आनेवाले माननीय सदस्य ने जो सिद्धान्त रखा है अगर उसको मान लिया जावे तो वह दो से ज्यादा होगा । कुछ लोग ५ या ७ बताते हैं । मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि फैमिली होल्डिंग्ज को और हमारी स्थिति को देखते हुए ३ ठीक है ।

कई प्रदेश हैं उनमें ३० एकड़ को माना

(श्री सोहनलाल भटनागर)

है। अभी पंतजी ने दिल्ली में बिल पास किया उसमें ३० एकड़ माना है। अब देखना यह है कि ३० एकड़ और ३० एकड़ स्टेन्डर्ड में क्या फर्क है। मैं यह निवेदन करूंगा कि लॉ हम जो भी बनावें वह बिलकुल सिम्पल होना चाहिये। मगर जो क्राटेरिया स्टेन्डर्ड एकड़ को मापने के लिए दिया गया है उसमें बड़ी दिक्कत आयेगी। एक तहसील के लिए ३० स्टेन्डर्ड एकड़ कितना होगा और यही दूसरी तहसील के लिए ५० भी हो सकता है और कहीं ७० एकड़ भी हो सकता है और कहीं दो सौ भी हो सकता है इसलिए ऐसा लॉ बनाना मेरे खयाल से ठीक नहीं होगा जिससे बिलकुल हमें असमंजस में लटकना पड़े। माननीय राजस्व मंत्री कह सकते हैं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां ३० एकड़ के फार्मुला को रखा है। मैं यह कहूँगा कि यहां की परिस्थितियां बिलकुल भिन्न थीं। सारी स्थिति एग्जीक्युटिव के हाथ में देते हैं यह उचित नहीं है। ५ एकड़ इधर-उधर भले ही हो सकते हैं। हम सदन में इस बात का निर्णय कर सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि कमेटी ने भी इस पर सोचा। हम नहीं चाहते कि भविष्य में एग्जीक्युटिव को अधिकार सौंपें कि वह आगे चल कर हर एक तहसील में वर्किंग करे और निर्णय करे कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ कितने एकड़ के बराबर वहां पर होंगे। यह मेरे खयाल से ठीक नहीं होगा और आगे आनेवाले दिनों के लिए हमारे राजस्थान की जनता पर एक प्रकार की तलवार हर समय लटकती रहेगी। इसलिए यह निर्णय नहीं होगा कि कितना सीलिंग होना चाहिये। इसलिए मैंने जो सीलिंग का फार्मुला दिया है इर्रिगेटेड लैंन्ड के लिए वह काफी है। अनइर्रिगेटड लैन्ड के लिए श्री टाइम्स यानी ६० एकड़ से रखा है यह एक साधारण सी बात है। इसको सारे देश में माना गया है। इसके साथ में एक बात और है कि ३६०० रु० की आमदनी का सिद्धान्त है इसको पूरा करता है। इन सारी बातों को देखते हुए ३० एकड़ का फार्मुला रखा है वह ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे 'A standard Acre shall mean the area of land which with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars is found in the prescribed manner to be likely to yeild 10 mds. of wheat yearly; and in case of land not capable of producing......' जो कुछ इसमें दिया हुआ है उसके अलावा और भी सरकार चाहेगी जहां पर गेहूँ नहीं हो नाज हो उसकी इक्वेवेलेन्ट वेल्यू को केल्कुलेट करेगी। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि अगर हमें सीलिंग का उद्देश्य भूमिहीन को भूमि मिलने का है तो इसे पास करें। यह सुन्दर है।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा संशोधन है उसमें यह है कि इसमें यह प्रावधान रखा है कि एक फैमिली के मेम्बर्स की संख्या बढ़ेगी इसलिए उसको डबल कर दिया जावेगा। राजस्थान की स्थिति को देखते हुए उसको डबल कर देंगे तो फिर बाकी के भूमिहीन किसानों को देने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचेगी। इसलिए मैंने निवेदन किया है इसके द्वारा कि ३० एकड़ का डयोढा ४५ एकड़ कर दिया जावे। राजस्थान में आज भी देख लीजिये कि ३० एकड़ भूमि तो रखो, लेकिन भूमि भिन्न २ प्रकार की है, जलवायु

(श्री सोहनलाल भटनागर)

भिन्न प्रकार का है और उसकी उपज भी भिन्न प्रकार की है। इसलिए एक दम केवल ३० एकड़ का क्राइटेरिया लगा देना उपयुक्त नहीं होगा। सिलेक्ट कमेटी ने भी इसको माना है। उसने तीन केटेगरीज़ बतायी हैं। एक तो फरटाइल, दूसरा डेजर्ट और तीसरा सेमी-डेजर्ट। इसलिए प्रोविजो एड कर दिया कि जहां सेमी डेजर्ट होगा तो ड्योढी हो जावेगी और डेजर्ट होगा तो डबल होगी। इसलिए इसके द्वारा इस बात की भी शंका नहीं रहेगी कि डेजर्ट या सेमी डेजर्ट एरेया को भारी हानि होगी। इस बात का नुक्सान होगा यह आशंका भी मिट जावेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें खास जो बात है वह आखिर का प्रोविजो और एक्स्प्लेनेशन को हटाने की बात है। प्रोविजो में दिया हुआ है कि चाही जमीन भी बारानी मानी जावेगी। इसके लिए सिलेक्ट कमेटी ने काफी विचार विमर्श किया लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कह देना कि चाही जमीन बारानी है तो वह तो ऐसा ही होगा कि सूर्य को चन्द्रमा कह दिया जाय और रोशनी को अन्धकार कह दिया जाय। इसके बारे में एक दलील यह दी जाती है, कि कुंए खोदने का इन्सेन्टिव मारा जावेगा। इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि सीलिंग लागू कर रहे हैं वह प्रजेन्ट पर कर रहे हैं और सलेक्ट कमेटी ने जैसी राय दी है कि मान लीजिये कि २५ वर्ष आगे के लिए कोई कुंआ खोदेगा उसको मान सकते हैं लेकिन प्रजेन्ट जमीन है उसमें चाही जमीन को बारानी मानते हैं तो यह घोर अन्याय होगा। हम देखते हैं कि जो पीवल एरिया है उसमें काफी कीमत देनी पड़ी है। इसलिए दोनों लैन्ड में भिन्नता न मानें तो न्याय और तरीके की दृष्टि से ठीक नहीं होगा। इसलिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने २६ एकड़ का बताया वह ठीक नहीं है लेकिन जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने भी माना है कि १६ एकड़ आता है। किसान ठीक तरह से जोवन यापन कर सकें, गुजारा भली प्रकार से कर सकें, बच्चों को पढ़ा-लिखा सकें, इन सारे दृष्टिकोणों को देखते हुए तीन फेमिली होल्डिंग फार्मुला को जिससे ३० एकड़ बैठता है, जो एक सिंपल फार्मुला है, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस सिम्पल फार्मुला को माने तो ठीक होगा। वरना ऐसे कॉम्प्लीकेटेड फार्मुला को मान कर जब कि आप एक तरफ तो सीलिंग के सिद्धान्त को मानते हैं और दूसरी तरफ उसको खत्म करते हैं। आपने टिनेन्सी एक्ट पास किया उसमें पहले ऐसा कॉम्प्लीकेटेड तरीका रखा था कि जिससे कई किसान खातेदारी के हक प्राप्त नहीं कर सके और उसको देखते हुए सरकार ने आगे जाकर इस सदन में उसमें संशोधन पास करवाया और उसको सिम्पल बनाया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एकरेज़ का सिम्पल फार्मुला, जिसको सारे प्रदेशों ने माना है, क्राइटेरिया ठीक बताया है, इस फार्मुला को मान लिया जावे तो ठीक होगा।

श्री चन्दनमल वैद (सरदारशहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूं, मैं मेरे से पहले बोलने वाले सलूम्बर से आये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करना चाहता हूँ। यह बिलकुल ठीक है कि जब हम एक कानून बनाने जा रहे हैं और जिस कानून का असर राजस्थान के लाखो, मैं कहूं करोड़ों तो

(श्री चन्दनमल वैद)

कोई अत्युक्ति नहीं होगी, गरीबों और किसानों पर पड़ेगा, किसान आम तौर पर गरीब ही है। इसका असर ऐसे लोगों पर पड़ेगा जो कानून और गजट को बहुत कम समझते हैं। इसलिए कानून का कम से कम निश्चित होना जरूरी है। अगर अनिश्चित कानून बनाते हैं तो निश्चित रूप से इसके द्वारा काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं या बीच के पिछलग्गू हैं वे इसका नाजायज फायदा उठावेंगे और अपना काम बनावेंगे। ऐसे लोगों की बन आवेगी। इसका असर लाखों और करोड़ों पर पड़ेगा जो कि अशिक्षित हैं, कम जानकार हैं कानून और गज़ट के बारे में। इसलिए कानून निश्चित होना चाहिये।

श्री **मदनसिंह** (दांता रामगढ) : मारवाड़ी भाषा में कर दें कानून।

श्री **चन्दनमल वैद** : टाकुर साहब, कुछ शिकारी की भाषा में बोल रहे हैं।

श्री **उपाध्यक्ष** : वे सदस्य की भाषा में बोल रहे हैं।

श्री **चन्दनमल वैद** : मुझे ऐसा समझ में आ रहा है... ... खैर।

तो ऐसी अनिश्चितता से मेरा मतलब अंग्रेजी भाषा अथवा हिन्दी भाषा से नहीं था। मेरा मतलब तो केवल इतना ही था कि जो कुछ फार्मुला या बात कही जावे वह निश्चित होनी चाहिये, समझ में आने वाली होनी चाहिये और इतनी क्लीयर होनी चाहिये कि सन्देह किसी को न रहे कि ३० एकड़ से क्या मंशा है। मान लीजिये कि यह फार्मुला एडोप्ट कर लिया, तीस एकड़ मुकर्रर कर दिया। वह कैसा होगा? उसके लिए सरकार को चार तरह के रूल्स बनाने पड़ेंगे। मैं बताऊं इसमें लिखा है: A standard acre shall mean the area of land which with reference to its productive capacity, situation, soil classification..." पहला तो यह है कि प्रोडक्टिव केपेसिटी और सोइल केपेसिटी जमीन की क्या है? इन चीजों को दृष्टि में रख कर 'and other prescribed particulars' वे प्रेस्काइब्ड पर्टीकुलर्स जिनके विषय में सरकार रूल्स बनायेगी। एक रूल तो यह होगा कि प्रेस्काइब्ड पर्टीकुलर्स क्या होंगे? 'is found in the prescribed manner' किस मेनर में फाउन्ड होगी, पता लगेगी वह मेनर भी प्रेस्काइब करेगी। इस तरह से दो रूल तो सरकार ने बना दिये। to be likely to yield 10 mds of wheat yearly: and in case of land not capable of producing wheat the other likely produce thereof shall for the purpose of calculating a standard acre, be determind according to the prescribed scale, सरकार स्केल प्रेस्काइब करेगी। मान लीजिये कि गेहूँ पैदा नहीं होता है और दूसरी चीज़ पैदा होती है तो प्रेस्काइब्ड स्केल के अनुसार उसको दूसरी चीज़ में कैसे बदल सकते हैं। मान लीजिये कि बाजरा पैदा होता है तो कितना बाजरा दस मन गेहूँ के बराबर होगा? एक दफा इसको प्रेस्काइब कर देगी सरकार लेकिन उसको फिर चेन्ज करना पड़ेगा। जैसे कभी बाजरा का भाव कम होगा, बाजरा १६) मन है और गेहूँ १८) मन है, कभी गेहूँ १३), १४) मन हो सकता है और बाजर उससे कम और अधिक भी हो सकता है। वो जो स्केल एक दफा प्रेस्काइब कर देगी उसमें

(श्री चन्दनमल वैद)

बारबार चेन्ज करती जावेगी। कभी दस मन गेहूँ १५ मन बाजरे के बराबर होगा और कभी २० मन बाज़रे के बराबर होगा। तीन तरह के ये रूल्स हुए। चौथा इस तरह है: 'So as to be equivalent in terms of money value to 10 mds. of wheat" तो यह तीन चार तरह के रूल्स बनायेंगे। इसके बाद सोइल क्लासिफिकेशन की बात आती है। गवर्नमेंट यह तय करेगी कि कहां क्या स्टेन्डर्ड एकड़ होगा। इस प्रकार से जिस कानून में इतनी अनिश्चितता व्याप्त है उन सारी अनिश्चितताओं का शिकार बेचारे गरीब किसान जो इन सब बातों का गैर जानकार होगा वह होगा और इससे फायदा बहुत संभव है बीच के लोग उठायेंगे। सिलिंग की प्रोब्लम बहुत लेग्नीच्यूड प्रोब्लम है। हमारे माननीय मंत्री महोदय और सरकार की कोशिशों के बावजूद भी लोग गलतियां, खामियां और बेईमानियां करेंगे। इसलिए मैं इस बात का समर्थन करता हूँ कि जो भी हम कानून बनावें वह निश्चित होना चाहिये।

इसके अलावा यह भी कहा गया है कि सेमी-डेजर्ट एरिया के अन्दर ड्योढ़ा रख दिया जाय, दूना रख दिया जाय। लेकिन यह डिफाइन करना कि यह सेमी-डेजर्ट एरिया है और यह नहीं है, इसका तय करना बड़ा मुश्किल होगा। हमें जिला वाइज कन्डीशन देखकर के यह तय करना चाहिये जैसा कि बिल में यह तय था कि इतनी ज़मीन इस तहसील में इकोनोमिक होल्डिंग मानी जावेगी और इतनी जमीन एक परिवार के लिए होनी चाहिये वह ठीक था। उसमें भी थोड़ा बहुत न्याय अन्याय हो सकता है पांच दस परसेन्ट...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जौहरी बाजार जयपुर): There are some semidesert areas on your side.

श्री चन्दनमल वैद: I am from a semi-desert area and therefore it is also a semi-desert area.

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन की तरफ आता हूँ और मैं इस खयाल से प्रेरित होकर रख रहा हूँ कि सलूम्बर से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन यदि मंजूर नहीं होते हैं तो मेरा निवेदन है कि वे मेरे संशोधन की तरफ ध्यान देने की कृपा करें। उनका यदि संशोधन मान लेते हैं तो निश्चित रूप से मैं अपना संशोधन वापिस ले लूंगा....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा): Is it a commitment before the House ?

श्री चन्दनमल वैद : Yes Sir.

उपाध्यक्ष महोदय मेरा जो संशोधन है वह न्याय और इक्वींटी के आधार पर आधारित है। हम जब लैन्ड होल्डिंग पर सीलिंग कायम करने जा रहे हैं तो, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, हमारी मन्शा यह होनी चाहिये कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन उन लोगों को दें जो केवल जमीन पर ही आश्रित हैं। अगर हमारी यही मन्शा है तो हमें निश्चित रूप से यह कोशिश करनी चाहिये बिना इस बात की परवाह किये कि हमारी जमीन की उपज कम हो जायेगी या किसानों पर इससे बड़ा अत्याचार हो जायगा। इन सब खतरों का सामना करते हुए हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि ज्यादा से ज्यादा जमीन हम उन लोगों को दें जो लैन्डलैस टीनेन्ट की केटेगरी

(श्री चन्दनमल वैद)

में आते हैं—जो फिगर्स लैन्डलेस लेबर के दिये गये हैं उनको वह मिले, उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जा सके ऐसी चेष्टा करनी चाहिये। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 'Provided further that no Ceiling area shall be less than 30 ordinary acres of land.' इसको मान लेने के बाद तीस स्टेन्डर्ड एकड़ एक फेमिली के लिये माना गया है। माननीय मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि अगर तीस स्टैंडर्ड एकड़ तीस आर्डिनरी एकड़ से कम होता है वह नहीं होना चाहिये। एक तरफ तो वे यह कहते हैं कि एक आदमी के गुजारे के लिये २०० मन गेहूँ होना चाहिये; दूसरी तरफ यह कहते हैं कि वह तीस एकड़ से कम नहीं होगी। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूं कहीं ऐसा एरिया है जहां १५ एकड़ में ही तीन सौ मन अनाज पैदा होता है उसमें भी आप तीस एकड़ से कम नहीं देंगे। जहां १५ एकड़ में तीन सौ मन अनाज पैदा होता है और वहां भी आप तीस एकड़ देते हैं। मुझे इस बारे में कोई आपत्ति नहीं जो आप यह समझते हों कि हमारे पास जमीन काफी है और लैन्डलैस लेबर कम है इसलिये हम ज्यादा सीलिंग रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यदि वास्तव में ऐसी हालत है तो आपको पचास साठ एकड़ की सीलिंग रखनी चाहिये। यह तो उनके सोचने की बात है। वे चाहे जितना रखें। हम तो केवल यह चाहते हैं कि सीलिंग की मिकदार हम रखना चाहते हैं उससे हम ज्यादा से ज्यादा लेन्ड लैस लेबर को बसा सकें। अगर वे यह समझते हैं कि हमें तीस एकड़ से कम नहीं रखनी चाहिये तो उसी मिकदार से उस जगह की सीलिंग भी बढ़ा देनी चाहिये जहां पर तीस आर्डिनरी एकड़ हमने रखा है। मान लीजिये राजस्थान में एक ऐसा हिस्सा है जहां तीस एकड़ में पांच सौ मन गेहूँ पैदा होता है उसी के अनुसार आपको दूसरी जगह की सीलिंग भी बढ़ा देनी चाहिये, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात को मानेंगे नहीं। जिस तरीके से सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उससे तो ऐसा होना नहीं है। न्याय के नाम पर आप ऐसा मत कीजिये कि आगे जाकर यह अनुभव हो कि एक ही जगह के लोगों को जहां कमाई के साधन अच्छे हैं उन लोगों को भी उतनी ही जमीन मिलेगी जितनी कम साधन और कम कमाई की जगहों पर मिलेगी। यह न्यायोचित कभी नहीं कहा जा सकता। एक हो रियासत में, एक ही राज्य में एक जिले और दूसरे जिले में एक गांव और दूसरे गांव में इतना भेद हो यह कभी न्याय नहीं कहा जा सकता। लोग इसे अन्याय कहने से डरेंगे तो न्याय तो कभी नहीं कह सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : आपके दिमाग में यह बात है कि गंगानगर के इलाके में जहां जहाँ दस एकड़ में तीन सौ मन अनाज पैदा हो सकता है वहाँ केवल दस एकड़ तक की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

श्री चन्दनमल वैद : मेरे दिमाग में तो यह बात नहीं थी। मुझे उदयपुर का ऐसा इलाका मालूम है जहां केवल दस और पन्द्रह एकड़ में ३०० मन गल्ला पैदा होता है। अगर आप गंगानगर को बात कहते हैं तो गंगानगर को भी इसमें शामिल कर लिया जाना चाहिये। इसके अलावा चाहे वह कुंभलगढ़ में हो, कुशलगढ़ में हो, दांता

Page No 71

(श्री चन्दनमल वैद)

रामगढ़ में हो चाहे सरदारशहर के इलाके में हो–सभी जगह एक सा बर्ताव होना चाहिये ।

एक माननीय सदस्य : मगर मुश्किल तो यह है कि इसमें वह आ नहीं सकते ।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित रूप से अपने आपको साफ कर देना चाहता हूँ । मुझे इस विषय में कोई आपत्ति नहीं यदि माननीय मंत्री महोदय यह समझते हों कि हमारे पास काफी जमीन है तो आप सीलिंग की सीमा बढ़ा सकते हैं । इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी । लेकिन एक ही राज्य में एक ही जिले की दो तहसीलों में भिन्न भिन्न बातें रखते हैं तो वह फर्क किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिये ।

दूसरा संशोधन है चाही जमीन के सिलसिले में । जो कुऐं से सिंचित् जमीन होगी वह बारानी समझी जायेगी । मेरा गंगानगर के साथियों से निवेदन है कि मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : आप यह चाह भी नहीं सकते ।

श्री चन्दनमल वैद : मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि चाही जमीन को इर्रिगेटेड लैन्ड में शामिल कर देते हैं तो बहुत से लोगों को कुआ खोदने में उत्साह नहीं रहेगा । क्योंकि कुआ होते ही वह इर्रिगेटेड लैन्ड मान ली जायेगी और सीलिंग में कमी कर दी जायेगी । हमने जो बिल में प्रोविजन कर रखा है कि सीलिंग स्थापित होने के बाद भूमि पर जो भी इम्प्रूवमेन्ट होता है-कुआ खोदते हैं या अच्छे बीज से या खाद से जमीन का इम्प्रूवमेन्ट किया जाता है. तो उसको नज़रअन्दाज कर दिया जायेगा, उनको इसमें इनवोल्व नहीं किया जायेगा और ५७ के पहले की मानेंगे नहीं । आगे जो इम्प्रूवमेन्ट किया जायेगा उसको नजर अन्दाज कर रहे हैं तो ऐसी हालत में यह कहना कि किसी ने अपनी जमीन में कोई इम्प्रूवमेन्ट कर लिया या कुआ खोद लिया तो उसको इर्रिगेटेड लैंन्ड मान लेंगे और कुआ खोदने का उत्साह नहीं रहेगा, यह बात सही नहीं है । जब इस तरह से मान लेते हैं तो जहां आप कुएं से सिंचित भूमि को इर्रिगेटेड मान लेते हैं तो जो भूमि तालाब से या नहर से सिंचित होती है उसके लिये क्या कहेंगे । क्या इर्रीगेटेड भूमि भालरा से सिंचित होने वाली भूमि को ही मानेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : वैल इर्रिगेटेड भूमि में और नहर से इर्रीगेटेड भूमि में कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेन्स आता है उसके बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री चन्दनमल वैद : इसके लिये मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये निवेदन कर दूँ–जहां स्टेन्डर्ड एकड़ की परिभाषा दी गई वहां पर कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन आदि सब बातों का हवाला दिया हुआ है । स्टेन्डर्ड एकड़ को जज करते समय माननीय मंत्री महोदय को खयाल रहेगा कि किस जमीन की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है । अगर कोई पहाड़ी एरिया है तो उसकी कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है वहां सिलिंग क्या होना चाहिये । जमीन पहाड़ी है, मार्केट की दूरी कितनी है इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेन्डर्ड एकड़ तय किया जायेगा ।

(श्री चन्दनमल वैद)

इस वास्ते आपका यह कहना कि प्राड.क्टिव कैपेसिटी लिखी है न....

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : माननीय सदस्य बताने की कृपा करें What about the cultivated produce... नो, इर्रिगेशन की कॉस्ट डिफरेन्ट है या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : I think the Hon'ble Minister is competent enough to take into consideration all these things and I am sure he will take care of everybody of us.

श्री सज्जनसिंह : I am asking about the knowledge of the Hon'ble Member speaking on the subject.

श्री उपाध्यक्ष : His knowledge is not challengable here.

श्री भैरोंसिंह : He can tell us the true picture of the Black market and the Black markteers...

श्री चन्दनमल वैद : ऑफ कोर्स। यह जरूर है। जिस समय इस बात का खयाल रक्खा जावेगा उस समय इस बात का भी खयाल रखा जावेगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय. मैं यह अर्ज कर रहा था कि अनइर्रिगेटेड और इर्रिगेटेड के सिलसिले में हमें वैल इर्रिगेटेड लैंड को भी इर्रिगेटेड लैंड में मानना चाहिये। यह वाजिब है। ठीक है। खर्चे की बात कही जाती है तो मैं समझता हूँ कि पेरेनेयल ...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : (अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member shall not please disturb the debate.

श्री चन्दनमल वैद : पैरेनियल सोर्सेज में भी खर्च आता है और इसमें भी चार्जेज वगैरह देने पड़ते हैं। गंगानगर या दूसरी जगह पानी मुफ्त में नहीं मिलता है। उनको भी आबियाना देना पड़ता है। अभी आबियाना के चार्जेज बढ़े थे तो वहां आबियाना आन्दोलन चला था। जिनको आबियाना का नाम सुनाई न दिया हो वे आबियाना आन्दोलन का नाम जरूर जानते होंगे। तो वहां पानी में खर्चा नहीं आता यह ठीक नहीं। इसलिये यह कहना कि वैल-इर्रिगेशन में खर्चा आता है और पैरेनियल में खर्चा नहीं आता, यह सही नहीं है। फ़र्क थोड़ा बहुत हो तो यह समझ में आ सकता है। इसे मन्त्री महोदय स्टेन्डर्ड एकड़ तै करते समय डिटरमिन करेंगे पर यह कह देना कि बारानी के बराबर मान लें ठीक नहीं हैं। वैल-इर्रिगेटेड है तो १५।१० मन अनाज पैदा हो जाता है और जहां कैनाल एरिया है वहां कोई एक मुट्ठी होता हो ऐसी बात नहीं है। तो यह न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि उन सभी बातों का खयाल रख कर मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें। [संशोधन :—Section 30 C. Second provise to the Section and proviso to the explanation be deleted.]

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : [Insert between the words 'of' and 'Land' the words "Perennially irrigated' and also insert the same words between the words 'of' and 'land' in the first proviso. Delete the 2nd proviso.

Replace the explanation and its proviso by the following :—"Explanation:— 'A standard acre' will be equal to one ordinary acre of perennially irrigated land, 1 1/2acres of seasonally irrigated land, 2 acres of 'talab 'irrigated land, 2 1/2 acres of of lift irrigated land of 3 acres of Barani land."] उपाध्यक्ष महोदय, आज इस क्लॉज में हम एक नॉर्म ले डाउन करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति को एब्सोल्यूटली ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रखनी चाहिये इसमें नॉर्म या स्टेन्डर्ड ले डाउन करने जा रहे हैं। इस पर काफी अमेन्डमेन्ट्स आये हुए हैं और कई सदस्यों ने अपने विचार भी इस पर प्रकट किये हैं।

लेकिन मैं समझता हूँ कि यह जो विचार यहां जाहिर किया गया है ज्यादातर लोगों के विचार से यह जाहिर होता है कि उन्होंने यह सोच रक्खा है कि जो सीलिंग या नॉर्म लग रहा है वह इसलिये कि हमारा एम इस वक्त जो है लैंडलैस लेबर को जमीन देना वह पूरा हो। यों बेशक ऑब्जेक्टिव यह है कि इक्वली अवेलेबल लैंड हो एग्रीकल्चरल पोपूलेशन के अन्दर। इसको इक्वली डिस्ट्रिब्यूट कर देना। जैसा बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि २८ एकड़ के हिसाब से बांट देना चाहिए सारे राजस्थान में। दूसरे सलुम्बर से आने वालों ने कहा कि गांव के अनुएम्लोइड के अन्दर उन्हीं को जमीन देने के लिये सीलिंग लागू कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूँ कि नॉर्म क्या होना चाहिये। इस पर विचार करने के लिये यह भी जानना जरूरी है कि आया इस सीलिंग के सिद्धांत हैं जिनको हमने स्वीकार किया है, उनको सारे देश ने स्वीकार किया है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो इसको नहीं मानती, और मन्जूर करने के साथ साथ उसका बेसिस क्या है, किस बेसिस पर, ओब्जेक्टिव से सीलिंग का सिद्धांत मुकर्रर किया, इसकी तरफ भी हमारा खयाल रहना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : स्वतंत्र पार्टी ने नहीं माना इस सिद्धांत को।

श्री पी० के० चौधरी : स्वतंत्र पार्टी को छोड़कर बाकी सबने माना है। Thank you for that.

तो यह जो हमारा सीलिंग का आइडिया है-हिन्दुस्तान ने अपनाया है। दूसरे किसी देश में स्टेच्यूटरी सीलिंग नहीं लगाया गया। सोशलिस्टिक स्टेट में भी, रशिया में भी जमीन पर सीलिंग का प्रश्न नहीं है। लेकिन हिन्दुस्तान ने सबसे पहले इस आइडिया को अपनाया है। पहली योजना में सबसे पहले हमने इसको अपनाया। साथ साथ हमारी इकोनोमिक पॉलिसी सैकन्ड फाइव इयर प्लान में तै की हुई है। दूसरी योजना में लैंड पॉलिसी के दो काइटोरिया रक्खे हैं। लैंड पॉलिसी का हमारा ओब्जेक्टिव है।

Our land policy is bassed on Social justice and increased agricultural productivity.—यानी सोशल जस्टिस। इसे भारत सरकार ने स्वीकार किया है। इसका मतलब यह नहीं कि एग्रीकल्चर की जितनी जमीन है उसे दस या पन्द्रह एकड़ में बांटने की नहीं है। Not to divide the

(श्री पी० के० चौधरी)

available land equally among everybody यह नहीं है। यह भी हमारी पॉलिसी नहीं है कि जो सीलिंग से जमीन मिलेगी उसे सारी को अनएम्प्लोयड को दे देंगे। हमारी पालिसी है सोशल जस्टिस की। इसमें क्या आता है। Excess concentration of property and land, यह न हो।

जहां तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सम्बन्ध है, आर्टिकल ३९ में स्पष्ट है कि the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of preduction to the common detriment; और हमारी सीलिंग कमेटी ने भी पॉलसी इसी के अनुसार तय की है। इसमें आर्टिकल ३९ के सब क्लॉज १ ए, बी, सी इसमें भी इसी को बेसिस माना है। कन्सेन्ट्रेशन ऑफ वैल्थ या लैंड न हो। इसी तरह in one and or concentration of land in the few hands, यह नहीं हम चाहते। यह बेसिस है। इसका बेसिस यह नहीं कि सारी जमीन को अरिथमेटिकली बराबर बांट दें या जो सीलिंग से जमीन मिलेगी वह गांव के अन्दर जितने अन्-एम्प्लोयड हैं उनमें बांट देंगे। यह हमारी पॉलेसी नहीं है। यह रहेगी तो मैं समझता हूँ कि देश कभी तरक्की नहीं कर सकता और न हमारा जो ऑब्जेक्टिव देश के लोगों का स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, वह हासिल हो सकेगा।

All our policies should be directed towards the raising of the standard of the common man of India.

तो लैण्ड का अरिथमेटिकली इक्वल बंटवारे से नहीं होता है और न अनएम्प-लायड को जमीन देने से इसका हल होता है। इसका हल लैण्ड रिफार्म का ऑब्जेक्टिव है, उसको सेकिण्ड प्लान में डिफाइन किया गया है इसका एक कुटेशन मैं आपको देता हूं। सेकिण्ड प्लान के चैप्टर ९ के पेज १७८ में कहा गया है :

"The objectives of land reform are two fold : firstly to remove such impediments upon agricultural production as arise from the character of the agrarian structure and secondly, to create conditions for evolving; as speedily as may be possible, an agrarian economy with high levels of efficiency and productivity."

यह हमारे लैण्ड रिफार्म का ऑब्जेक्टिव है। उसको मद्दे नज़र रखते हुए हमारी लैण्ड पॉलिसी का बेसिस है सोशियल जस्टिस और इन्क्रीज़्ड प्रोडक्टीविटी का, इसको खयाल में रखते हुए हमें इस पर विचार करना है। इस पर बोलने से पहले मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के पेज २ पर आकर्षित करता हूं। उसमें उन्होंने कहा है : The Committee are, therefore, of the feeling that some scientific, equitable and reasonable formula should be adopted for fixing Ceiling. यानी सीलिंग एरिया क्या होना चाहिए? उसके ओरीजिनल बिल में जो प्रोविज़न था वह प्रोविज़न साइन्टीफिक नहीं है। इसलिए हमें ऐसा फार्मूला तय करना चाहिए, यह उनका कहना है। It should be a scientific, equitable and resonable formula, लेकिन उन्होंने जो फार्मूला इक्वेलिटी का प्रोड्यूस किया और

Page No 75

(श्री पी० के० चौधरी)

इसको बड़ा ही साइन्टीफिक बताया है वह फार्मूला बिलकुल ही डिस्क्रिमिनेटरी और मोस्ट अन्-साइन्टीफिक मालूम होता है । उपाध्यक्ष महोदय, वह डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है कि यह जो फार्मूला है इसको एक्सेप्ट करने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल १५ को वाइलेट करेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्युशन का आर्टिकल १५ होता है : The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. उपाध्यक्ष महोदय, यहां प्लेस आफ बर्थ आता है । वह इस तरह से आता है कि इस क्लॉज में स्टेन्डर्ड एकड़ रखा और कम से कम ३० आर्डिनेरी एकड़ एक व्यक्ति को जमीन मिलेगी । दूसरों के लिए रखा है कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ जो है वह १० मन गेहूँ जहां पैदा हो वह एक स्टेन्डर्ड एकड़ है । जैसा पहले बताया गया है उदयपुर, मालपुरा और गंगानगर में एक ऑर्डिनेरी एकड़ में १० मन तो क्या २० मन गेहूँ भी पैदा हो सकता है और होता है लेकिन अनफॉरचुनेटली if anybody is born in the distt. of Chur or यानी समझ लीजिये कि जयपुर जिले में किसी का जन्म हो गया तो उसके पास जो एक स्टेन्डर्ड एकड़ होगा उसमें १० मन से ज्यादा कभी नहीं पैदा हो सकता है लेकिन जो फरटाइल एरियाज़ हैं जैसे उदयपुर, गंगानगर आदि हैं क्योंकि हमने ३० एकड़ स्टेन्डर्ड सीलिंग माना है और इससे कम नहीं होना चाहिए इसलिए वहां ज्यादा पैदावार मिलेगी । जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिये मानते हैं इसमें आर्टिकल १५ का वाइलेशन होता है । आर्टिकल १५ में on account of his place of birth. है । मैं समझता हूँ कि प्लेस ऑफ बर्थ के लिये एक आदमी ने जयपुर जिले में या सीकर जिले में जन्म लिया या झूंझनू में जन्म लिया तो वहां मैक्सिमम १० मन के ऊपर फिक्स हो जायेगा लेकिन गंगानगर या उदयपुर में एक स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन नहीं होगा, वहां पर तो एक आर्डिनेरी एकड़ होगा जिसका प्रोडक्शन २०–२५ मन हो सकता है । इसलिए यह जो नॉर्म ले डाउन किया है आर्टिकल १५ का जो टेस्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा between man and man on account of their place of birth. उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करता है और कोई भी प्रोविज़न जो आर्टीकल के प्रोविज़न को कॉन्ट्रेडिक्ट करता है वह नल एण्ड वाइड समझा जाता है ।

दूसरी बात उपाध्यक्ष महोदय, इस नॉर्म के लिए एक टेस्ट रखा है और वह है इन्क्रीज़ड प्रोडक्टीविटी का । यह जो एक स्टेन्डर्ड एकड़ हमने अपनाया है उसका असर हमारी इन्क्रीज़्ड प्रोडक्टीविटी पर क्या पड़ता है । कोई भी आदमी बिल पेश होने के पहले कोशिश नहीं करेगा कि उसकी जमीन में ज्यादा प्रोडक्टीविटी हो,

२.५५ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन) कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि जो एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना है उसमें १० मन से ज्यादा पैदावार करे । वह वहां इतना पैदा करेगा कि ५ मन ही एक स्टेन्डर्ड एकड़ में पैदा हो जिससे सीलिंग फिक्स करते समय उसके पास १५ बीघा जमीन का उसका मेज़रमेन्ट बन जाये । इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो क्लॉज़ है जिसका १० मन के हिसाब से स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है उसका एडवर्स इफेक्ट उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर पड़ेगा,

(श्री पी० के० चौधरी)

लोग जान बूझकर उसकी प्रोडक्टीविटी को रोक देंगे।

दूसरी बात यह है कि जो १० मन का आप स्टेन्डर्ड एकड़ मानेंगे वह कौन से साल की फीगर्स आप लेंगे। मैं समझता हूँ कि आज तक हमारे पास प्रोडक्टीविटी के साइन्टीफिक फिगर्स नहीं होंगे और अगर इसको आज हम तय करेंगे तो लोग जान बूझकर, डेलीबरेटली प्रोडक्टीविटी को कम कर देंगे। तो आज जब कि हमारे सामने खाद्य समस्या है उसके ऊपर भी इसका एडवर्स इफेक्ट होगा। आज मंत्री महोदय कहेंगे कि हम पुराने हिसाब से लेंगे लेकिन आम पब्लिक जो है, जो किसान लोग हैं, आपके यहां पर इनहेरीटेन्स का इन्टरप्रिटेशन और सक्सेशन का लॉ देखने नहीं जायेंगे। वह तो यह देखेंगे कि १० मन का एक स्टेन्डर्ड एकड़ बनायेंगे तो इस बिल की चर्चा होने के बाद में There is a tendency already developed. कि लोगों ने प्रोड्यूज़ करना कम कर दिया अगर प्रोड्यूज़ ज्यादा करेंगे भी तो उसको कम बतायेंगे। तो यह जो १० मन पैदावार का एक स्टेन्डर्ड माना जायेगा यह जो फार्मुला है उसका असर जाकर हमारी प्रोडक्टीविटी के ऊपर पड़ेगा और जैसा कि सभापति महोदय, आप जानते होंगे कि हर साल लगभग १०० करोड़ रुपये का अनाज पैदा करते हैं। पी० एल० ४४ का एग्रीमेंट है उसमें हमने ८० करोड़ रुपये का अनाज वहां से ला रहे हैं। लगभग एक महीने पहले यह एग्रीमेन्ट हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो फार्मुला इसमें लागू किया गया है यह साइन्टीफिक नहीं है और वह डिस्क्रिमिनेटरी है और उसका इफेक्ट प्रोडक्टीविटी के ऊपर पड़ता है। तो हमारी जो बेसिक लैण्ड पॉलिसी है, सोशियल जस्टिस की और इन्क्रीज्ड प्रोडक्टीविटी की यह टेस्ट उसको सेटिसफाई नहीं करता है लेकिन उसका जो फार्मुला मैंने रखा है वह डेफिनेट है। वह कोई इनडेफिनेट नहीं है। मेरा फार्मुला सभापति महोदय, इस प्रकार है कि स्टेन्डर्ड एकड़ जो सीलिंग का लिया है ३० पैरेनियल इर्रिगेटेड एकड़ 30 acres of Irrigated land और उसका मल्टीपल जैसे सीजनल इर्रिगेटेड है तो एक एकड़ तालाब से इरेगेटेड होगा तो दो एकड़। इसलिए मैंने डेफिनेट फार्मुला दिया है। इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कौन सी जमीन में कितना एरिया सीलिंग में आता है वह डेफिनेट हो जाता है और मैं समझता हूँ कि उसको जब तक हम डेफिनेट नहीं करते हैं तो आगे जाकर सीलिंग को इम्पलीमेन्ट करने में यह प्रोविज़न रखा है कि हर एक व्यक्ति अपना डिक्लेरेशन देगा एक्सेस लैण्ड का। जब तक आप सीलिंग एरिया फिक्स नहीं करते हैं तब तक यह नहीं होगा।

लेकिन आपने जो फार्मुला रखा है उसमें हरेक व्यक्ति के लिए सीलिंग का एक स्टेन्डर्ड एकड़ रहेगा। हरेक होल्डिंग्स के के लिए, हरेक गांव की होल्डिंग के लिये अलग अलग स्टेन्डर्ड एकड़ नियत किया जायेगा। जब तक हर गांव के लिए इन्डिविजुअल स्टेन्डर्ड एकड़ मुकर्रर नहीं करते हैं तब तक कोई भी व्यक्ति सीलिंग एरिया का एक्सेस डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है। इसलिए जो नॉर्म, फार्मुला दे रखा है उस फार्मुले से आगे जाकर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि यह जो फार्मुला मैंने रखा है नार्म के लिए

(श्री पी० के० चौधरी)

वह काफी ठीक हैं, अगर उसमें इन्डेफिटनेनेस नहीं है, उसमें मिसअन्डरस्टैंडिंग का कोई प्रश्न नहीं है, और अभी जो आर्टीकल ३६ का जिक्र किया गया है। आपकी सीलिंग कमेटी ने जब कि सीलिंग बनाने का निर्णय लिया था तो उसमें पेज १७१ पर उन्होंने कहा है:–

३ म० प०

"It was decided that even though the area to be obtained by the imposing of ceiling may not be very large, ceilings have to be imposed as a matter of social justice and in the implementation of the general policy in this behalf dictated by the directive principles enshrined in clauses (a), (b) and (c) of Article 39 of the Constitution."

and again:—

"It appears to us that in relation to land, as also in other sectors of economy, individul property in excess of any norm that may be proposed, has to be justified in terms of public interest and not merely on grounds of individul rights or claims. We are, therefore, in favour of the principle that there should be an upper limit to the amount of land that an individul may hold." यानी फर्स्ट फाइव इयर प्लान में सलेक्ट कमेटी ने सोशल जस्टिस के बेसिस पर करना तय किया है और सेकन्ड प्लान में जो लैण्ड पॉलिसी का बेसिस ले डाउन किया है, इन दोनों चीजों को खयाल में रखते हुए मैंने जो फार्मुला रखा है, मैं समझता हूँ वह ज्यादा उपयुक्त है और सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री लक्ष्माचन्द जैन (सांचोर) : सभापति महोदय, क्लॉज़ ३ के सेक्शन ३० सी में एक छोटा सा मैंने संशोधन रखा है जो इतना सरल है और जो इस प्रकार का है कि जिसको शायद सदन के सभी महानुभव सहर्ष स्वीकार करेंगे :

Substitute "the area of land assessed to an annual rent of Rs. 100" in place of "30 standard acres of land"; and in frist proviso, substisute "the rent assessed on such area of land does not exceed Rs 300.00" in place of the words "it does not exceed sixty standard acres of land" occurring in the first proviso.

तो सभापति महोदय, मेरे इस संशोधन का मूल आधार यह है कि राजस्थान के अन्दर भू–प्रबन्ध द्वारा जमीनें सब सैटेल होकर उनका रेन्ट डिक्लेअर हो गया है। जब रेन्ट डिक्लेअर होगा तो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा करें कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ माना जाय। आपने जो सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश की है उसके अन्दर आपने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखे हैं। तो स्टेन्डर्ड एकड़ का माप तौल जहा कि गेहूँ पैदा होता है वहां ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जमीन होगी, लेकिन जहां पर गेहूँ पैदा नहीं होता है तो वहां पर एक एकड़ के अन्दर १० मन गेहूँ या उस गेहूँ की कीमत के बराबर जितनी आमदनी होती

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

है उतनी आमदनी की जमीन रखी जायेगी। अब इस सब का माप तौल करने के लिए आपको अपनी एक सेपरेट एजेन्सी कायम करनी पड़ेगी, और सेपरेट एजेन्सी कायम करने के साथ साथ जनता के सामने कितनी प्रोब्लेम्स खड़ी होगी? उसके सामने आपने पहले इस प्रकार के कानून बना कर कि जागीरदार और काश्तकारों को लड़ाया जाय, उसके बाद पटवारी और अमीन के द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग ने काश्तकार को चूसा। उसके बाद तीसरा यह हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब कानून बनाने जा रहे हैं कि एक स्टेन्डर्ड एकड़ हम तय करेंगे और स्टेन्डर्ड एकड़ एक एकड़ बराबर १० मन व्हीट के होगा। आखिर उस चीज को मनाने के लिए आपको अपनी एक एजेन्सी कायम करनी पड़ेगी। आपको अपना एक विभाग मुकर्रर करना पड़ेगा जो कि इस चीज का माप तौल करेगा कि फलाने काश्तकार के पास यह जमीन इतनी है और उसका स्टेन्डर्ड एकड़ एक बीघे के बराबर कितना मानते हैं, और जो प्रोड्यूस होता है वह कौन इसकी कीमत को आंकेगा कि एक एकड़ के बराबर इतनी भूमि होनी चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति काश्तकार के सामने आयेगी, जिनको उलझन होगी। सरकार को और काश्तकारों को झंझट होगी। उनको वकीलों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और एक मुश्किल खड़ी होगी।

दूसरी चीज यह है कि जब कि सरकार ने भू-प्रबन्ध की रेट्स डिक्लेअर कर दी हैं तो सरकारके पास इस किस्म के फिगर्स मौजूद हैं, सरकार के पास आंकड़े मौजूद हैं कि कौनसी जमीन अच्छी है, उसकी रेट अलग बता दी है चाहे वह गंगानगर में हो। अगर वह अच्छी जमीन है और अच्छा नाज वहां पर पैदा होता है, अच्छा गेहूँ वहां पर पैदा होता है तो रेट अच्छी बना दी है। जैसलमेर बाड़मेर, और जालोर के अन्दर हल्की जमीन है, रेतीली जमीन है, वहां पर कम अनाज पैदा होता है तो उस जमीन की कीमत सरकार ने रेन्ट के अन्दर कम बता दी है। सरकार ने स्टेन्डर्ड रेन्ट को डिक्लेअर करने में पहले माप तौल की अजमायश की होगी। उस माप तौल से अन्दाजा लगाकर जमीन की रेट निश्चित की होगी। जब आपकी रेट निश्चित होगई, आपने तय कर दी कि अच्छी रेट्स है, जिस काश्तकार के पजेशन के अन्दर अच्छी जमीन है उस जमीन की रेट ऊंची रख दी और हल्की जमीन की कमती रख दी। इस प्रकार से पूरे फिगर्स हैं आपके पास। हरेक काश्तकर को पता है कि उसके पास जो लैण्ड है उसकी कीमत उसको मालूम है। उसको यह मालूम है कि इतनी जमीन है। अगर अच्छी जमीन है तो ज्यादा रेन्ट देना पड़ता है और हल्की जमीन है तो कम रेन्ट देना पड़ता है। जब कि जमीन की समस्या इतनी सुलझी हुई है तो हरेक का पट्टा देख कर या अपना रेकार्ड देखकर मान लेना चाहिए कि १००) रु० का जो रेन्ट देता है उसके पास इतनी स्टेन्डर्ड ज़मीन रह जाती है। उससे ज्यादा है तो हमको सोचना है कि उन पर किसी प्रकार का सीलिंग आ

(श्री लक्ष्मीचन्द जैन)

सकता है या नहीं। जब आपके पास इस प्रकार के पूरे पूरे साधन हैं और उसको पर्याप्त नहीं समझते हैं और उसके लिए इस प्रकार की मुश्किल खड़ी कर देते हैं कि स्टेन्डर्ड एकड़ मानेगें। उस स्टेन्डर्ड एकड़ की माप तौल उन्हीं के हिसाब से लेते हैं-गेहूँ के हिसाब से लेते हैं, ज़मीन के हिसाब से लेते हैं, तो नहरी इलाके में जहां कि एक एकड़ में १० मन से ज्यादा गेहूँ पैदा होता है तो वह भी ३० एकड़ ज़मीन रख सकेगा चाहे उसमें १० से ज्यादा १४ या १५ मन कितना ही होगा लेकिन आप तो अपने स्केल के हिसाब से केवल १० मन गेहूँ मानेंगे। जब कि एक जगह गेहूँ ज्यादा पैदा होता है तो उनका स्टेन्डर्ड ऑफ़ लिविंग ऊंचा हो जायेगा और चूंकि आपने निर्धारित कर दिया है तो स्टेन्डर्ड वही १० मन गेहूँ का मानेगें यानी उसकी कीमत ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के हिसाब से होगी चाहे वहां पर २० एकड़ में ही ३०० मन या ६०० मन गेहूँ पैदा करते हैं। उसके पास भी ३० एकड़ ज़मीन रह जायेगी, मगर डेज़र्ट एरिया का रहने वाला है जो कि बड़ी मेहनत करता है और सौभाग्य से ४, ५ साल में ठीक बारिश होती है, और ज़मीन उसके पास है तो, तो उपज की सीमा आपने बना दी है, एक परिमाण आपने बना दिया है, उस परिमाण के अनुसार जहां पर गेहूँ पैदा नहीं होगा तो ज़मीन १० मन की कीमत जो होगी उसके अनुसार उस ज़मीन में जो पैदा होगा उसको कीमत होगी, उसके अनुसार वह नियत करेगें।

तो मेरा यह सुझाव है कि रेन्ट आपके पास है और रेन्ट तय करते हैं कि कम से कम १००) रु० जो लगान दे इतनी ज़मीन एक फेमिली के लिए रहनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा अगर फेमिली बड़ी है और मेम्बर्स ज्यादा हैं तो ३००) रु० लगान दे, इतनी ज़मीन उसके पास रहनी चाहिए। क्योंकि लगान की रेट निकली हुई है, आपने शाया कर दी है, आपने मान लिया है, आपने रेन्ट डिक्लेअर कर दिया है तो ऐसी हालत में इस किस्म की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा इस किस्म की व्यवस्था नहीं होने से इस सरकार के सामने कई किस्म की प्रोब्लमस खड़ी होगीं। कृषकों को दिक्कत होगी, सरकार को दिक्कत होगी। जनता में सरकार के प्रति ऐसी भावना पैदा होगीं कि कई लोग यह आरोप लगावेगें कि एक काश्तकार जिसकी खेती अच्छी है या नहीं है, उसका स्टेन्डर्ड कमती मान लिया है चाहे अच्छी खेती हो चाहे खराब खेती हो तो भी कमती मान लिया है। इस किस्म के आरोप सरकार के खिलाफ लगाये जायगें। इन सब आरोपों से बचने के लिए राजस्व मंत्री महोदय को मेरा जो छोटा सा संशोधन है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी स्टेन्डर्ड एकड़ उसको मानना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा ३००) रु० का लगान देने वाली ज़मीन हो। इतनी भूमि उनके पास रहनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ उसको स्वीकार किया जाय।

राजा श्री मानसिंह : Mr. Chairman, Sir.

The real essence of this Ceilings Bill is this particular clause. In it we are to define what the ceiling area for a family shall be. In it we

(राजा श्री मानसिंह)

are also to define as to what a standard acre shall be. I have to move my amendments, firstly :—

Substitute the word "four" for the word "five" wherever it occurs in the section.

In the original Bill, Sir, a family was considered to be a family consisting of 7 members. The Select Committee without giving any reasons or facts and figures have lowered that figure to five. After all we are not setting a limit on families' by taking five or seven or 11 as the figure of the members of which a family should consist of. But we are to act on the basis of actual fact and as to the number of persons to be affected by this Act-the persons by whom the land has to be surrendered and the persons to whom land has to be given. My suggestion that a family should connsist of four members is quite a reasonable one. In view of the extensive family planning propaganda that the Government have been carrying on during the past few years, I think the number of members in families who have to surrender their lands would not be more than four. On the other hand, if a family is taken to consist of four members for the landless persons, then also more land will be allotted to them and for them the members sitting across have been crying hoarse.

My second amendment is in the first proviso :—

In the first proviso replace the words "at such scale................. exceed sixty" by the words " at the scale of ten".
and my third amendment is :—

In the 'explanation' replace the figures "10" wherever it occurs by the figures "15".

It is difficult for us in actual fact to discuss this clause, or the Bill as a whole, because the Government have made no effort whatsoever to give us any facts or figures as to how much land has to be affected by this Bill, how much land has to be distributed and how many landless agriculturists there are in Rajasthan. We have requested the Government that they should give us expert opinion. I am sorry, Sir, that I do not consider the Hon'ble Revenue Minister to be an expert agriculturist. He may be an expert advocate, but not an agriculturist and even at this stage I would challenge him to tell me the difference between a she-buffaloe and a he-buffaloe. The Chief Minister had, however, mentioned that only 1/2 percent of the population are to be affected by this Bill. Of the 1/2 percent of population that are to be affected by this Bill, I imagine that only one percent of the landless agriculturists are to be given land, which will mean, Sir, that land has to be distri-

(राजा श्री मानसिंह)

buted only to one percent of the landless agriculturists and the 79 percent of the landless agriculturists will remain vagarant.

There is no futuristic policy in this Bill, Sir. We are formulating a Bill on the basis of population that exists today. We say that a family should consist of five members. But ten years hence those persons will consist of five separate families. The children of today will have grown up, they will have married and they will have their own families and then there will be no provision to give them extra land. The Bill seeks to give 30 standard acres to a family of five persons. Ten years hence, when there will be four or five families, these thirty standard acres will be divided in four or five families and each family will get roughly six to eight acres.

The income figure for fixing the ceilings has been estimated at Rs. 3,600/- per annum, whether caring whether in actual fact Rs. 3,600/- are enough to educate two or three children, to arrange for their marriage, to carry on every day living of the family and to meet other expenses. If the Government feels that this amount of Rs. 3,600/- is sufficient for one family to maintain itself, then the Government should give a lead to us in this and fix their salaries at Rs. 300/- per month instead of Rs. 1000/- per month. We are discussing this matter away from our voters today, but tomorrow the same Government will have to seek their votes, the votes of the people whose incomes have been put at Rs. 3,600/- per year, while the members of Government are drawing more than Rs. 12,000/- per year.

Whether ceilings are required in Rajasthan or not is not the question, Sir. Passing of ceilings on land holdings has become a fashion in this country. There may have been necessity in other provinces but because it has been passed in those provinces, we have to pass it here also. Therefore, this Bill is proceeding.

On the one hand we are afraid of Chinese agression physically, but mentally the Chinese aggression has already taken place. We are going from socialistic pattern of society, which Shri Jawahar Lal Nehru himself even could not define, to the Chinse pattern of society. In our Prime Minister's own words, Sir, he mentioned concerning a particular crisis that the Chiness have a peculiar brand of mind. They have one track mind in which they consider themselves superior to every body else". Unfortunately, the Prime Minister forgets that his junior leaders are of the same brand of mind. They also consider themselves superior to every body else. Any suggestion that we may give from this side is considered to be reactionary.

(राजा श्री मानसिंह)

As I was trying to explain, Sir, this holding of 30 standard acres is bound to become an un-economic holding if it is to be divided amongst total members of the family 10 or 15 years hence. It may be said that the Tenancy Act of 1953 prohibits that the land will not be divided into un-economic holdings, but that section itself does provide for division in different forms.

Some of the Hon'ble Members have been frank to convince us that it is foolish to imagine that the tiller will be the owner of the land. Zamindary has been abolished; Biswedari has been abolished and the tiller will not be the owner of the land. At the most he can have khatedari rights. I think this is the correct interpretation. Land that is to be surrendered and collected by the Government over and above the ceilings, will not be distributed to individual landless agriculturists, but it will be given to them through co-operative societes. The co-operative societies themselves will not function efficiently.

श्री दामोदरलाल व्यास : Mr. Chairman, we are not dealing with the distribution of land acquired by the ceilings. We are only discussing the extent of a ceiling area. I think our Hon'ble friend is going much a head of that......

राजा श्री मानसिंह : I am not going ahead at all. I am trying to explain that by fixing a certain figure of ceiling what is going to happen in future and whether ceilings are required at all or not. The Bill can be thrown out even at this stage. So, Sir, to think that by fixing a ceiling on land huge Jagirs will be abolished, huge estates will be surrendered and there will be crores of acres of land avilable for distribution to the landless agriculturists, is nonsense. It will not be so and any land that the Government may wish to distribute later on will be through co-operative societies which themselves will not function and ten or fifteen years hence the Government will say that their policy has failed and therefore they are going to have collective farms and people will be forced to work as surfs on these collective farms. This is the Government policy.

It has been suggested by one Hon'ble Member from Bharatpur that the only sound distribution of land will be to distribute the acreage of Rajasthan land according to the number of individuals in the population. Sir, I do not agree with this. Our main concern in this country today is to increase food production. If you are going to have un-economic holdings, and an un-economic holding is that on which a cultivator has to devote less than 200 day in a year, then our food production will suffer. But Sir, if you just imagine that the land is

(श्री राजा मानसिंह)

to be distributed in this way then how the resources will be distributed equally. When Udaipur gets more in front of the other districts, Bharatpur gets the least though it gives much in face of others. We find in the industrial side that one is given 90 lacs loan to establish a Cement Factory whereas on the question of the policy that no person should derive more than three thousand and 6 hundred rupees per year from land. That is why Sir.........

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : Are you getting She-buffaloes or not?

श्री राजा मानसिंह : That is why Sir I have put forward these views. I don't agree with the Government policy but since this policy is being forced upon us atleast we should (inaudible) it. There are three methods-one to lower the figures of the families which I have suggested or secondly to increase the standard acre from 30 acres which I have not suggested and thirdly to increase production figures of the Standard Acres which I have suggested.

श्री सभापति : श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास ।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभ नगर-सु०) : माननीय सभापति महोदय........

श्री सभापति : There are some amendments.

श्री मुरलीधर व्यास । आपके संशोधन है ना कुछ ? बोलिये आप ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): माननीय सभापति, मेरे जो संशोधन है, वे ३० सी में है, मेरे दो संशोधन हैं, [(1) Substitute "15 standard acres" for "30 Standard acres" in the section- (2) Delete the last proviso.] एक तो यह है कि जो हमने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा है, वह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखा जाय । यह जो संशोधन मैंने रखा है, मैं समझता हूँ कि जब इस संशोधन को मैं रखता हूँ तो बहुत से सम्माननीय सदस्य ऐसा महसूस करते होंगे कि सीमा बहुत कम है और इससे किसी प्रकार से राजस्थान का कोई लाभ नहीं होगा और उसके लिए नाना प्रकार की दलीलें भी पेश की जायेगी । अभी मेरे पूर्व जिस वक्ता ने जमीन की सीमा के सम्बन्ध में जो नीति यहां पर रखी है, उन्होंने तो इस सीमा, जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ है, उसको भी उन्होंने कहा है कि यह बिलकुल बेसलैस है और यह रीति-रिवाज चला है सारे मुल्क के अन्दर, उस आधार पर जिस प्रकार से दूसरे प्रान्तों में रिवाज चला, उसी प्रकार से, उसी रिवाज के तरीके पर सीलिंग की जा रही है, इसमें कोई तथ्य नहीं है । मैं समझता हूँ कि यह रिवाज कोई नया नहीं है, सीलिंग की बात पहले कभी नहीं हुई, अभी किसी प्रान्त ने किया इसलिए राजस्थान में आ रहा है, इस बात को कह कर महान् उद्देश्य को ठुकरा देना और यह कह देना, मैं समझता हूँ कि अत्यन्त अशोभनीय बात है और होना तो

Page No 84

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह चाहिए कि आज हम किसी बात को लेकर चले, आखिर इस सीलिंग को लाना चाहते हैं। जहां तक सीलिंग का सवाल है, मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में कहा था और जो सरकार की नीति है और जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें भी किस प्रकार से सीलिंग का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, क्या स्थिति है, कितने लोग हमारे मुल्क के अन्दर है, हमारे राजस्थान के अन्दर है, जिनके पास कम जमीन है, करीब साढे चार लाख आदमी इस प्रकार के हैं, जिनके पास जमीन नहीं हैं, और ३० लाख आदमी इस प्रकार के बताये गये, जिनके पास एक एक एकड़ से भी कम जमीन है इस प्रकार सारी हालत, जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में है, इससे स्पष्ट है कि हमारे यहां की हालत क्या है, कितने भूमिहीन हैं, कितने लोगों के पास जमीन है, कितनी जमीन है और हम क्या करना चाहते हैं। अभी भरतपुर से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहा, इकोनोमिकल होल्डिंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, परन्तु जिन लोगों के पास एक एकड़ जमीन है, ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास कुछ भी नहीं हैं, क्या उन लोगों के पास जमीन नहीं पहुंचेगी ? किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ेगा ? आखिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्राइटेरिया मानते हैं कि कम से कम जो आर्थिक स्थिति है, उसका विकास हो। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, हमारी सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है : "Large number of excessively small holdings is a very serious problem and has been described as the greatest single obstacle to economic and social progress of the State" यानी राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में यदि सबसे बड़ी बाधा है तो वह यह है कि आम लोगों के पास में जमीन बहुत थोड़ी है, आर्थिक जोत से बहुत कम है और उसकी संख्या बताई गई है, वह २५ लाख के आस पास है। तो यह वस्तुस्थिति है और जो उद्देश्य हैं और जो मूल उद्देश्य हैं, इस उद्देश्य में रखा गया है कि इसका भी समाधान करे और उसके साथ ही साथ सामान्य न्याय लोगों को दे सकें।

अब सामान्य न्याय की बात है, सोशियल जस्टिस की बात है, हम सब कहते हैं कि सोशियल जस्टिस मिलना चाहिये और सबको सोशियल जस्टिस देने के लिये रास्ता निकाला जाता है तो उस रास्ते को किस तरह से निकालना चाहिये, किस तरह से उस रास्ते पर चलना चाहिये इसकी गहराई में हम नहीं जाते।

आज सारे राजस्थान के आंकड़े हमारे सामने मौजूद हैं और उन आंकड़ों के आधार पर हम इस मूल उद्देश्य को अपने सामने रखें कि हम सामाजिक न्याय, सोशियल जस्टिस सब लोगों को दें, आर्थिक जोत से कम जमीनें हैं उनको जमीनें मिलें, जो बिलकुल भूमिहीन लोग हैं उनको भी जमीनें मिल सकें। ये ३ मुख्य उद्देश्य हमारे सामने हैं इनकी पूर्ति कैसे हो। कम स्टेन्डर्ड एकड़ रखें तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें जमीनें देनी हैं और हमारे पास कुल कितनी भूमि है, १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखें तो कितने ऐसे लोग हैं, कितनी आबादी है जिनको पूरा आर्थिक लाभ होगा, इससे कितने लोग रोटी रोज़ी की आमदनी कर

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकेंगे ? तो वह हिसाब लगा कर देखा जाय तो पता चलेगा कि........

राजा श्री मानसिंह : वह हिसाब आपके पास है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : जो है, वही रख रहा हूँ। जो सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको आपने पूरा पढ़ा नहीं और आप तो बिना देखे ही कह देते हैं। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में सारा हिसाब दिया है उस हिसाब से देखेंगे तो ५०० एकड़ से ज्यादा वाले '५०० लोग हैं और ५६० आदमी ऐसे हैं जिनके पास १००० एकड़ से ज्यादा जमीन है।

श्री सज्जनसिंह (बूंदी) : माननीय सदस्य ने कहा कि सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह है कि ३० लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास १ एकड़ जमीन है तो यह सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में कहां है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने यह कहा है कि साढ़े चार लाख आदमी ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ जमीन है। ६० लाख ऐसे हैं जिसके पास एक एकड़ से कम है....

श्री सज्जनसिंह : आपके हिसाब से इतनी जमीन कहां से आयेगी ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कहता हूँ जिन्होंने सारे इलाकों में घूम-घूम कर जांच की है उनको आधार मानेंगे या जो यहां बैठे बैठे बात करते हैं उनकी बात को आधार मानेंगे ? जो अधिकारी घूम कर जांच कर सकते हैं वह जांच घर बैठ कर नहीं की जा सकती। जगह जगह घूम फिर कर जो जांच की गई है उसके मुकाबले में घर बैठ कर बातें की जाय. उनके लिये यह कहा जाय कि ज्यादा केपेबल है, यह उचित नहीं।

तो मैं यह कह रहा था कि जो मूल उद्देश्य हमने माना है उसकी पूर्ति का हमें खयाल रखना चाहिये। वह नहीं रखते हैं तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ पर सदन में बहस हुई तो इसकी व्याख्या नहीं कर सकते, इसलिये मैंने १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखा, इस आधार पर सीमा निर्धारित करेंगे, भूमि वितरित करेंगे तो जमीन आपके पास बचेगी। मैं इसी मूल उद्देश्य की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज राजस्थान के अन्दर कुल ८ करोड़ एकड़ जमीन है। उसमें से ३ करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो जोती जाती है और दो, ढाई करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिसे जोतने लायक जमीन कह दिया गया है और बाकी दूसरी जमीन कृषि लायक नहीं है। ३ करोड़ एकड़ की बात है, जो ज़मीन काम में लाई जाती है, उसको एकमात्र आधार मानें और उसकी इस प्रकार से सीमा रखें कि उस जमीन में से जमीन निकाल कर दूसरों को वापिस मिल सके। जोती जाने वाली जमीन ३ करोड़ एकड़ है, उसकी बात है; उसको एकमात्र आधार मानें, जोतने लायक ३ करोड़ एकड़ भूमि है और एक करोड़ किसान हैं। एक आदमी के पीछे ३ एकड़ जमीन रखी जाय तो ५ आदमी के परिवार के हिस्से में १५ एकड़ भूमि आती है। तो इस मूल स्थिति को खयाल में रखना होगा और इसके आधार पर बात करनी होगी।

कई माननीय सदस्यों ने दलील दी कि कल आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो घरों के परिवारों में किस तरह जमीन बट सकेंगे। यह दलील मेरी समझ में नहीं आती।

(श्री मुरलीधर व्यास)

देश की सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान, थर्ड फाइव ईयर प्लान जिनमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम नई जमीनें तैयार करेंगे तो इस पर आपको कोई भरोसा ही नहीं है ? अगर १० साल में जनसंख्या में वृद्धि होगी तो नई जमीन भी तैयार होगी, नहरें भी बनेंगी और दूसरे लोगों को जो जमीन आज बेकार पड़ी है वह दिलाई जा सकेगी ।

आप यह दलील दें कि आज ही हमें सोचना है, आगे कुछ होगा ही नहीं, इस आधार पर भावी विकास की कल्पना को छोड़ देना उचित नहीं । तो मैं समझता हूँ कि इस मामले में सरकार को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिये । बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो बराबर का बंटवारा करना चाहते हैं । सीलिंग में १५ एकड़ करने से क्या बंटवारा हो जायेगा । यह बराबर बंटवारा नहीं, लाखों लोग जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, जिनके पास १ एकड़ से लेकर ५ एकड़ तक की तादाद में जमीनें हैं, ऐसे लोगों को आप किस प्रकार रिलीफ दे सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह : क्या इससे आपका मतलब यह है कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको जमीनें पहले दी जाय और उनको देने के बाद जो जमीनें बचे वह लैंड लैस टिनेन्ट्स को दी जाय ?

श्री मुरलीधर व्यास : पहले उन लोगों को ही दी जाय जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं, इनके बाद जो लैंड लैस टिनेन्ट्स हैं उनको भी दी जाय। यह नहीं करेंगे तो जो लोग एक एकड़, दो एकड़ पर बैठे हुए हैं वे लोग क्या करेंगे । जिसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है वह समाज में, जाति में ठुकराया जाता है, तो सामाजिक न्याय तो धरती है, जिसके पास थोड़ी बहुत धरती है उसको न्याय मिलता है ।

सारे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के इलाके को लीजिये, बूंदी, कोटा का इलाका लीजिये और पता लगाइये कि इलाके में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक एकड़ या दो एकड़ जमीन है । आप उन लोगों को ज्यादा, आर्थिक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जमीनें देना चाहते हैं तो उनको भुलावे में नहीं रख सकते । इन आकड़ों की वास्तविक जांच करनी चाहिये और बूंदी, कोटा, जयपुर जालोर और दूसरे इलाके हैं जहां कुओं से सिंचाई होती है, एक दो एकड़ में लोग घर बना कर, झोंपड़ी बना कर बैठे हैं और उससे निर्वाह करते है । हमेशा उनके पास एक या दो एकड़ जमीन रहेगी तो इससे उनकी जिन्दगी हमेशा दुखःदायी रहेगी । अगर हमें उनकी जिन्दगी को सुखी बनाना है और उनकी दशा को सुधारना है जो ८० प्रतिशत लोगों की है तो उनकी तरफ देखना होगा और १० या २० प्रतिशत लोगों की जिन्दगी की तरफ नहीं देखना है । हमें यह देखना होगा कि अधिकांश लोगों का किस प्रकार से जीवन ऊंचा हो सकता है । २० पर्सेन्ट लोगों के पास ज्यादा जमीन है । जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है वे लोग जमीन पर निर्भर नहीं रहते हैं । उनके पास दूसरे साधन होते हैं जिन पर वे अपना गुजारा करते हैं । उनके पास अपने गुजारे के लिये दूसरे साधन मौजूद हैं । परन्तु जिनके पास दूसरे साधन नहीं हैं और केवल जमीन का ही एक साधन हैऔर उनके पास जमीन

Page No 87

(श्री मुरलीधर व्यास)

कम है ऐसे अधिकांश लोग हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपका जो मूल उद्देश्य उनकी पूर्ति करना है तो आपको जो आपने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रख दिया है वह उचित नहीं होगा और उससे आपके उद्देश्य की कतई पूर्ति नहीं होगी। अगर हमारे माननीय मंत्रीजी यह कहते हैं कि इतनी इतनी जमीन लोगों को देंगे जो लाखों लोग बेकार बैठे हैं, अगर इसके फिगर्स देंगे तो हमें पता लग सकता है कि इतने व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को आप ठीक कर सकेंगे। अगर वे इस प्रकार के फिगर्स दे दें तो ठीक बात है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर सही माने में देखा जावे तो मैं कहता हूँ उसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर सही माने में आप उनका जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं और सामाजिक क्रांति लाना चाहते हैं और उन लोगों को सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो आपने जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की बात रखी है उसको आपको १५ स्टेन्डर्ड एकड़ करना होगा। दिल्ली में होम मिनिस्टर ने जो रखा है वह ३० एकड़ है। उससे मामला ठीक तरह से बैठ जाता है। मगर जहां स्टेन्डर्ड एकड़ का सवाल आता है वहां पर १० मन के हिसाब को देखना होगा। इसका नतीजा यह होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन रख सकेंगे और दूसरे लोगों को जमीनें नहीं मिल सकेगी। दूसरी बात इसके साथ साथ यह है कि उन इलाकों में जहां सिंचाई कुओं से होती है उसको अलग आपने बारानी मान लिया है। हमारे देश में (राजस्थान) में जितनी सिंचाई कुल होती है जो करीब ३३ या ३४ लाख एकड़ आंकी जाती है उसमें से २४ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जहां पर कुओं से सिंचाई होती है। इन सारे एकड़ों को आपने बारानी मान लिया है।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह फिगर्स कहां से कोट किये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : यह राजस्थान के स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पर है। जो किताब राजस्थान स्टेटिस्टिक्स की है उसमें साफ दिया गया है। वेल के फिगर्स कितने हैं उसमें २२ लाख एकड़ दिया हुआ है। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार से आंकड़े दिये है। और सारे इलाकों को यह कह कर कि बारानी की तरह माना जावेगा जिस प्रकार बीकानेर में एक आदमी को १०० या १५० एकड़ मिलती है तो किसी इलाके को २५० या ३०० एकड़ मिलेगी। यानि ४०० या ५०० बीघा होगी। एक आदमी जिस इलाके में दो बीघा जोतता है वह अब एकड़ के हिसाब से २॥ गुनी हो जावेगी। तो ऐसी हालत में यह जो कानून बन रहा है उसका फायदा सारे बड़े बड़े लोगों को मिल जावेगा। लोगों के पास ५०० बीघा जमीन होगी और वह जमीन भी स्टेन्डर्ड जमीन होगी और यह बताया जावेगा कि यह जमीन बारानी है। यह जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर का हाल है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर जहां पर ज्यादा जमीन है उसको बांटने का प्रश्न है और जहां ज्यादा लोग बसते हों तो वहां पर आबादी और साधनों को दृष्टिकोण में रखते हुए आपको कार्य करना होगा। आप कहेंगे कि लाखों एकड़ जमीन पड़ी है। हमारे बीकानेर में हिज हाईनेस ने दो लाख एकड़ जमीन भू-दान में दी है और उसको लेने वाला कोई नहीं है। इसलिये जो जमीन आज उपयोग में आ रही है उसका मूल

Page No 88

(श्री मुरलीधर व्यास)
उद्देश्य रखना होगा और उसके अनुसार सीमा निर्धारित करनी होगी न कि उस स्थान पर जो लोग रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति दो एकड़ भूमि कहीं जोतता है और आप उसको कहे कि हम तुमको दूसरी जगह १०० एकड़ भूमि देंगे इसको छोड़ दो तो वह नहीं छोड़ेगा क्योंकि १०० एकड़ में भी वह काम नहीं कर सकेगा जो २ एकड़ में कर सकता है। यह सही बात है कि उसको हम यह कह कर गुमराह करते है। इसके अलावा इस ३० स्टेन्डर्ड एकड़ में जो सबसे बड़ी बात जोड़ी है वह यह है कि जो कुओं से सिंचित भूमि है उसको बारानी मानो जावेगी और उसी प्रकार से सीमा निर्धारित आप करेंगे। मैंने जो संशोधन दूसरा किया है वह यह है कि कुओं से सिंची जाने वाली जमीन उसी तरह से मानी जावे जिस प्रकार गंगानगर की जमीन को मानते हैं। इसमें आदमी का खर्चा पड़ता है तो वहां पर बेटरमेंट लेवी और पानी का खर्चा हो जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो मैं यह कहूँगा कि क्या यह कॉन्सटीट्यूशन के खिलाफ नहीं है कि कुओं से सिंचाई होने वाली जमीन को बारानी मान ली जावे। तो यह भी तो आखिर इसी प्रकार की बात है। अगर सही माने में राजस्थान की सरकार इसको पास करने के पहले यह कहे दे कि इस प्रकार के ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखने से जो लाखों परिवार जिनके पास अनइकोनोमिकल होल्डिंग्स हैं उन लोगों को किस प्रकार से जमीन देकर साधन सम्पन्न कर सकेगी तो मैं समझूंगा कि वाकई में उन्होंने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रख कर कुछ किया है। अगर इसके आंकड़े बतादे तो उचित होगा। अगर नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से छानबीन की मैं सलूम्बर, चितौड़, बूंदी और कोटा गया और गांवों में किसानों की हालत को देखा और मैं कहता हूँ कि एक एक गांव में १०० परिवारों में से ८० परिवार आपको ऐसे मिलेंगे जिनके पास एक एकड़ या दो दो एकड़ भूमि होगी। यह वस्तुस्थिति है। अगर इस वस्तुस्थिति को ध्यान में न रख कर अगर हम सीलिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारे उद्देश्य की किसी भी हालत में पूर्ति नहीं हो सकती। आगे जाकर हमने इसमें कुछ परिवर्तन भी किया है। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट में कमेटी ने छानबीन करके फ़ेमिली ७ सदस्यों की मानी। उसने २४०० की इनकम की, उसको हमने ३६०० किये। फिर हमने कुओं से सिंचित जमीन को बारानी मानी जावेगी यह किया है। मैं यह कहूँगा कि यह सारे मूल उद्देश्यों को तहसनहस कर देगी और जो आप सामाजिक न्याय लोगों को देना चाहते हैं वह उनको किसी भी हालत में मिल नहीं सकेगा और मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस प्रकार से जिनको आप पिछड़े हुए कहते हैं, मैं यह कहूँगा कि हरिजनों के पास तो एक एकड़ भी जमीन नहीं है और वे कोई कम आबादी वाले नहीं हैं, राजस्थान में १।३ ऐसे लोग हैं। लेकिन जहां आप उनके सामाजिक स्तर को उंचा करना चाहते है तो आपको अपने बुनियादी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को १५ स्टेन्डर्ड एकड़ करना होगा और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन लोगों को इसका लाभ पहुंचा सकेंगे। अन्यथा उनको न तो इससे कोई लाभ होगा न उनको सामाजिक न्याय ही

(श्री मुरलीधर व्यास)

मिलेगा, न सोशियल जस्टिस होगी और न भूमि का बंटवारा होगा। भूमि के बंटवारे की लोग निन्दा करते हैं। बंटवारे का सवाल कैसे आया ? जमीन, आप जिनके पास ज्यादा है उनसे निकाल कर उनको देंगे जिनके पास जमीन नहीं है। अगर यह प्रश्न हल नहीं होता है तो सामाजिक न्याय लोगों को नहीं मिलता है। इसके अलावा आपने आंकड़े बताये कि ८० प्रतिशत लोग हैं। इससे आप किसी हालत में दे नहीं सकेंगे और लोगों को किसी प्रकार का लाभ नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह १५ स्टेन्डर्ड एकड़ रखे हैं। स्टेन्डर्ड एकड़ को भी डिफाइन किया गया है। वैसे तो इसमें भी काफी अड़चनें पड़ेगी लेकिन १५ कर देने से कुछ न कुछ तो जमीन निकाल ही सकेंगे। नहीं तो मूल उद्देश्य जो सीलिंग का है उसमें भी गड़बड़ी पैदा करेंगे। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय शायद इस चीज को कहते है, मैं बार बार इसी चीज को स्ट्रेस करता हूँ कि कुछ लोग कहते है कि क्या यही समाजवाद है, क्या बंटवारा करना ही समाजवाद है ? नाना प्रकार की टीका करते हैं। अन्य इलाकों में कुछ हो या नहीं लेकिन राजस्थान तो ऐसा इलाका है जहां पर सोशियल जस्टिस लोगों को दे सकते थे और सीलिंग निर्धारित करके लोगों को लाभ पहुँचा सकते थे लेकिन इस प्रकार से राजस्थान में सीमा निर्धारण करके लोगों को लाभ नहीं मिल सकता तो हिन्दुस्तान में फिर कहीं भी नहीं मिल सकता क्योंकि वहां पर जमीन पर ज़्यादा प्रेशर है और जमीन की कमी है। हमारे यहां यदि आबादी ज्यादा है तो जमीन भी ज्यादा है और आम लोगों को लाभ न दे सकें और सामाजिक न्याय न दिला सकें तो फिर दूसरे इलाकों में इसकी गुन्जाइश नहीं है। इसलिए मैं इस बात को पूरे जोर से कहना चाहता हूँ कि आगे आने वाला समय बतायेगा कि आपने परिवर्तन नहीं किया था और जिस सीमा को आप मानते है....

श्री सज्जनसिंह : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप १५ एकड़ से कितनी आमदनी का अनुमान करते है ?

श्री मुरलीधर व्यास : १५ एकड़ से कितनी आमदनी हो सकती है और क्या हो सकता है तो मैंने इतना ही इस प्रकार से कहा है कि इसके लिए आमदनी का दृष्टिकोण नहीं रखा है। मेरा जो दृष्टिकोण है वह यह है कि यह कह कर अधिकांश लोग हैं, आमदनी का ही मूल उद्देश्य है या आमदनी निर्धारित करके कोई स्टेन्डर्ड तय करके, कॉलेज में कैसे पढ़ेंगे आदि बातें कह कर सामाजिक न्याय दिलाने का जो उद्देश्य है, उसको नहीं दबाना चाहिये। यदि आप १५ मान लेंगे तो जहां आप ३० एकड़ पर ३६०० की आमदनी का अनुमान लगा कर चलते है वहां १८००) हो जायेगी। लेकिन जो आधी रोटी खाकर अपनी जिन्दगी को बसर करता है उसको तो कुछ न कुछ साधन आप उपलब्ध करा सकेंगे।

श्री हरिप्रसाद यादव : (बल्लभनगर-जु.) आपने कहाकि १५ एकड़ में आमदनी १८००) हो सकती है। मैं भी किसानों के एरिया से आता हूँ। यह हो नहीं सकती। आप तो सिलेक्ट कमेटी के मेम्बर रह चुके हैं।

(विरोधी पक्ष द्वारा हीयर हीयर)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो इसके लिए इतना ही कह सकता हूँ कि इससे तो आप अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि आप गंगानगर इलाके में चले जाइये कि जहां पर दो ऐकड़ भूमि में १८००) की आमदनी होती है, आपको कई और भी स्थान बता सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : On a point of clarification Sir. थोड़ी देर पहले माननीय सदस्य ने बताया कि जो एक्सेस लैंड होगी उसको पहले उन लोगों में बांट दी जावेगी जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं। उनको अनइकोनोमिक होल्डिंग वालों से इकोनोमिक होल्डिंग वाले बनावेंगे तो उसके बाद जो लैंडलैस हैं, लेबरर्स हैं उनकी प्रोब्लम को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। क्या उनका यह सोशलिज्म है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स वालों की हालत को अच्छा कर दिया जावे और बाकी लैंडलैस जो लेबरर्स रहते हैं वे उसी तरह से रह जावें ?

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, यह जो सवाल है कि इस प्रकार से जो लैंडलैस लेबरर्स की स्थिति है तो उसके लिए यही कह सकता हूँ कि हर आदमी की हालत अच्छी हो जाय यह कोई इस प्रकार की बात नहीं है। मैं उस तरीके से सोचता हूँ कि इतनी जमीन है तो इस तरह से होना चाहिये। मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि अधिकांश लोग, ८० प्रतिशत लोग है जो इस तरह से दबे हुए हैं कि आज उनकी हालत अच्छी नही है तो उन की हालत इस प्रकार से सीलिंग लगने से अच्छी होगी।

श्री भैरोंसिंह : उन लैंड लैस लेबरर्स की संख्या ज्यादा है बनिस्बत उन लोगों के जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं। जो लैंड लैस लेबरर्स हैं उनको भी जमीन दिलाना चाहते है या नहीं या उनको यों ही रख देना चाहते हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : ये आंकड़े गलत हैं कि लैंड लैस लेबरर्स ज्यादा हैं। अनइकोनोमिक होल्डिंग वालों से उनकी संख्या कम है और जैसा कि इसमें पहले ही बताया गया है कि लैंड लैस लेबरर्स की संख्या ४ लाख है।

तो पहला सवाल है कि एक एकड़ या दो एकड़ है वे पंचायतों के तरीके से दी जावेंगी। जितनी भी सीलिंग लगाने के बाद जमीन निकलेगी वह लोगों में पंचायतें बांटेंगी, कैसे लोग हैं यह देखा जायेगा उनके द्वारा और इस तरह से उन लोगों को वहां पर मिल सकेंगी। यह तो जमीन निकालने के बाद ही सारा सवाल आयेगा। पहले जमीन निकालने की बात तो करें। मिलने का सवाल तो बाद का है। पहले जमीन निकाल कर तो बतायें। या तो आप यह कह दीजिये कि जमीन निकाल नहीं सकते। यदि नहीं निकाल सकते तो फिर ऐसी क्यों बात करते हैं। जैसा कि बयाना से आने वाले सम्मानीय सदस्य ने कहा कि हम तो स्लोगन देने का काम करना चाहते हैं। यदि ऐसी मन्शा हो और इस तरह से इस बिल को पास कर दिया तो फिर काम नहीं चलने वाला है। इससे किसी को लाभ नहीं होने वाला जिनको कि लाभ दिलाने की बात करते हैं। आप आंकड़ों के आधार पर बतायें। या तो लोगों को गुमराह करना चाहते है या धोखा देना

(श्री मुरलीधर व्यास)

चाहते हैं तो सरकार कह दे कि ठीक बात है ३० एकड़ रखना चाहते हैं और रखेंगे चाहे लाखों लोगों को जमीन मिले या न मिले, उनको लाभ पहुंचे या नहीं, सामाजिक न्याय उनके साथ हो या न हो, चाहे उसमें से कोई जमीन निकले या न निकले। कितनी जमीन मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी और कितनी जमीन इस प्रकार से निकाल सकेंगे ये आंकड़े निकाल कर बतायें तब ही होगा। पांच सात वर्ष पहले जमीन निकालने की बात थी वह समय तो निकल गया। यदि इसको ५३ से लागू कर दें तो शायद कुछ जमीन निकाल सकें। परन्तु यदि इसको ५७ से लगा कर जमीन निकालना चाहते हैं तो जमीन निकालना भी मुश्किल हो जायेगा। इसलिए मैंने तीसरा अमेन्डमेन्ट दिया है इसको ५३ से लागू किया जाय न कि ५७ से। लोगों को इससे थोड़ा सा कष्ट तो होगा, आपस में लड़ेंगे लेकिन जमीन तो आप बांटने के लिए निकाल सकेंगे। आपको एक नीति तो इसके लिए बनानी ही पड़ेगी। यदि आप इसके लिए कोई मूल उद्देश्य न रखे और इस प्रकार से फिर कानून में आगे जाकर परिवर्तन करते जाओ तो कोई लाभ नहीं होने वाला है, जाना तो है बम्बई और चलते २ बैठ गये कलकत्ते की गाड़ी में। आखिर इसका मतलब क्या होगा? जहां गन्तव्य स्थान पर पहुँचाना चाहते थे वहां नहीं पहुँच सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मूल उद्देश्य को अपनाना पड़ेगा, मूल रास्ते को अपनाना पड़ेगा। यदि नहीं अपनायेंगे मूल उद्देश्य को, और केवल स्लोगन देते जावेंगे कि राजस्थान सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया है, २० एकड़ रख दिया है, ३० एकड़ रख दिया इससे कोई लाभ नहीं पहुंचने वाला है। आखिर कोई आंकड़े तो प्रस्तुत करें कि इस प्रकार से इतने लोगों को लाभ मिल सकेगा। यह तो आगे आने वाला समय ही बतायेगा कि आप अपने मूल उद्देश्य को सामने न रख कर जो करने जाते रहे हैं उससे लाखों लोगों के पास जमीन नहीं रहेगी और वे उसी हालत में रहेंगे जिस हालत में आज रह रहे है, आप उनको जमीन नहीं दे सकेंगे और उनकी हालत बुरी से बुरी रहेगी, यही कह कर इसको समाप्त करता हूँ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन इस बिल की धारा तीन के भाग तीन में इस प्रकार है :

Substitute "20 acres" for "30 is tandard acres" occurring in the second line.

अभी-अभी इस धारा के सम्बन्ध में जो सदन के समक्ष विचार आये हैं, वे मेरी दृष्टि में तीन-चार प्रकार के हैं। एक विचार सरकार का है, जिन्होंने ३० स्टेन्डर्ड एकड़ को रखा है, यह उनके खयाल से भूमि की अधिकतम सीमा होनी चाहिये। इसके अलावा जो सुझाव माननीय सदस्यों की ओर से आयें उनमें से कुछ तो इस मान्यता के हैं कि किसी भी प्रकार से सीलिंग को आवश्यक नहीं समझते। दूसरे वे हैं, जो इस सीमा को कम मानते हैं। तीस स्टेन्डर्ड एकड़ की सीमा को वे कम मानते हैं, वे चाहते हैं कि इस सीमा को और बढ़ाया जाय। एक विचार-धारा यह भी है कि तीस स्टेन्डर्ड से कम सीलिंग रखना चाहिये, मैं भी इस विचार का हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर यह विधेयक

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

हमारे सामने आया है, वह उद्देश्य आज या कल का हो, यह बात नहीं, बहुत पुराना उद्देश्य है, वह यह है कि हमारे देश में जितने लोग भूखे नंगे हैं, या जिनकी आर्थिक हालत बहुत गिरी हुई है, आज के स्वतंत्रता के युग में कम से कम हम चाहते हैं कि उनका भी जीवन साधारण नागरिक के समान हो। इसी उद्देश्य को लेकर हमारी राष्ट्रीय योजनायें चल रही हैं और इसी को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने कई प्रकार के कानून बनाये हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए जागीरदारी, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया है, और इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए जिन लोगों के पास, जो जागीरदारी या जमींदारी की परिभाषा में नहीं आते, जिनके पास निश्चित सीमा से अधिक जमीन है, उस भूमि की सीमा को निश्चित करना इस बिल का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सीलिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ शब्दों में लिखा है:—

"The objective has been to reduce disparity in wealth and income, eliminating exploitation, and providing security for tenant and worker and bring equality of opportunity to different sections of the rural population."

यह उद्देश्य इस बात को स्पष्ट करता है, कि आज हमारे ग्रामीण जीवन में और शहरी जीवन में एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति की स्थिति में जमीन आसमान का अन्तर रहा है। गांवों के अन्दर ऐसे लोग हैं, जिनके पास हजार बीघा, डेढ़ हजार बीघा और पांच सौ सात सौ बीघा तक जमीन है। साथ ही सैकड़ों की तादाद में यहां तक कि ८० फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनके पास अब तक अपनी जमीन नहीं है, वे बड़े किसानों के यहां जमीदारों की जमीन को बोते रहे हैं, जो पेशे से किसान रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए यह सब से आवश्यक चीज है कि भूमि उनके पास हो जो आज तक उनके पास नहीं रही है।

आज जो कुछ मतभेद सदन में है व इस कारण आवश्यक है कि यहां जिन जिन माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये हैं, उनमें दो श्रेणी के लोग हैं एक तो वे हैं, जिनको अंग्रेजी में "Haves" कहते हैं और दूसरे वे लोग हैं जिनको "Haves not" कहा जा सकता है। एक तो वे लोग हैं, जिनके पास हजारों बीघा जमीन है और उसके मालिक रहे हैं। आज जब उनकी जमीन की सीमा निर्धारित की जाती है, तो वे आज यह कहते हैं, कि वे बच्चों को कैसे पढ़ायेंगे आज तक जो इस जमीन की कीमत पर बड़े-बड़े आराम भोगते आये हैं, उनमें अवश्य कमी आने वाली है, लेकिन आज वे उन लाखों लोगों की दशा की ओर नहीं देखते, जो भूखे हैं और नंगे हैं। उनको अपनी सुख सुविधाओं का अधिक खयाल है, वे नहीं चाहते कि उनकी सुख-सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी हो। आज देश में लाखों लोग ऐसे हैं,जिनके पैर में जूता है तो सिर पर टोपी नहीं। और सिर पर टोपी है, तो पैर में जूता नहीं है। जो दिन भर मेहनत करता है, लेकिन जिसके पास दो समय का खाना नहीं। इस हालत को देखते हुए हम चाहते हैं, जिनके पास आवश्यकता से या निर्धारित सीमा से अधिक जमीन है वह उनको मिले और इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए यह विधेयक हमारे सामने आया है। मैं उन माननीय

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सदस्यों से अनुरोध करता हूँ, कि वे अपनी राय देते समय अपनी व्यक्तिगत चीजों को व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में न रखते हुए, व्यक्तिगत सुख-सुविधा का खयाल न करते हुए यहां की जो अधिकांश जनता है, उस पर इसका क्या असर पड़ता है इसको ध्यान में रखते हुए अपनी राय जाहिर करेंगे और उसी के अनुसार भूमि की सीमा का निर्धारण करेंगे, तो हम अधिक से अधिक लोगों को इससे लाभान्वित कर सकेंगे।

आज यह भी सोचा जा रहा है, कि तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से जो आमदनी होने वाली है, उससे हम इतना आराम नहीं दे पायेंगे। वे यह सोचते हैं, इससे तो हमारा स्टेन्डर्ड गिर जायेगा। मेरा निवेदन है, स्टेन्डर्ड की बातें वे लोग करते हैं जिन्हें हम या तो सफेद पोश किसान कह सकते हैं या जिनको जेन्टलमेन किसान कह सकते है। वास्तव में जो धरती के लाल हैं, जिनको धरती माता के पवित्र रज से कपड़े मैले होते रहते हैं, वे इस तरह की स्टेन्डर्ड की बातें नहीं करते ! वे केवल दो बीघा ही जमीन चाहते हैं। आज हम यदि इन लोगों की आर्थिक हालत को सुधारना चाहते हैं तो हमने जो मापदंड रखा है, उसको और उतार कर रखना होगा। हो सकता है, सरकार ने जो आधार माना है, वह किन्हीं एक्सपर्ट्स की राय को सामने रखते हुए आधार माना हो। लेकिन अगर वे गांवों में जाकर लोगों की दशा को देखेंगे और सुनेंगे तो आज का किसान पचास-पचास और सौ-सौ बीघा की बात नहीं करता। स्टेन्डर्ड एकड़ जो शब्द आपने रखा है, उसको समझने के लिए उसे वकीलों के पास जाना पड़ेगा। एकड़ शब्द ही पहले, काफी कठिन है, वहां आपने इसके साथ स्टेन्डर्ड शब्द को जोड़ कर इसको और भी दुहरा बना दिया। वे तो सीदे सादे शब्दों में बीघा जानते हैं और वे बीघों में ही बातें करते हैं। अगर उनको दस पंद्रह या बीस बीघा जमीन मिल जाती है, तो वह आराम से जिन्दगी बसर कर सकते हैं। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने संशोधन में बीस एकड़ भूमि रखी है....

एक माननीय सदस्य : इसको बीघा कर दीजिए।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : बीघा भी हो सकता है। जब हम किसान के पास पहुँचेंगे, पटवारी लंबरदार या पंचों से बातें करेंगे, तो बीघों की बातें करेंगे, अब तो उसकी जगह एकड़ों में समझाने की कोशिश करें।

५. १०. म. प.

(श्री मुरलीधर व्यास, सभापति, पदासीन)

स्टेन्डर्ड शब्द ऐसा रखा है, इससे बड़ी गलत फहमी पैदा हो सकती है। इसकी जो परिभाषा की गई है, वह भी एक प्रकार से गोरख धंधा है। स्टेन्डर्ड शब्द का जो प्रयोग है, वह साधारण लोगों की समझ में नहीं आयेगा। जिनको इससे लाभ मिलने वाला है, वे तो इसको सही रूप में समझ पायेंगे लेकिन वास्तव में जिन लोगों को भूमि चाहिये, उनको तो अपना पेट भरने के लिए भूमि चाहिये, वे स्टेन्डर्ड की तरफ नहीं जायेंगे।

वे चाहेंगे कि कितने बीघा जमीन मिले या एकड़ भी कहते हैं, तो उसे फलाकर देदें। लेकिन ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की तरफ जाते हैं तो न मालूम कहीं पर दो सौ बीघा, कहीं

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पचास से दस बीघा तक भी आ जाता है, और इससे किसान यह नहीं समझ पावेगा कि कितनी जमीन उसको मिलेगी। वह पटवारी या दूसरे दूसरे लोगों के चक्कर में रहेगा। यदि स्पष्ट शब्दों में एकड़ भी रख देते हैं, तो भी ठीक है। अच्छा तो यह है, कि बीघा ही फला कर रखा जावे। पर अगर एकड़ शब्द भी रक्खें, तो सिम्पल २० एकड़ ऐसा रख दें। स्टेन्डर्ड शब्द इसमें न जोड़ें।

अब जब यह कहा जाता है, कि इससे तो स्टेन्डर्ड गिरेगा। किसान क्यों नहीं वकीलों इन्जीनियरों की तरह या दूसरे लोग जिनकी अच्छी आमदनी हो, जो ज्यादा आराम से रहते हैं, उनकी तरह अच्छी जिन्दगी बसर करे। मैं कल्पना करता हूँ, कि वह युग आवे कि किसान के बच्चे भी महात्मा गांधी जैसी कल्पना करते थे, उस तरह से आराम की जिन्दगी बसर करे। पर आज कैसे हो सकती है वह चीज, यह हमें देखना है। इसमें समय लगेगा। जो विकास का काम चल रहा है, जो योजनाएं चल रही हैं, वह किसान की हालत सुधारने के लिए भी किया जा रहा है। पर यह अधिक भूमि रख लेना किसान के लिए नहीं होगा। यह तो वे सफेद पोश किसान, जेन्टलमैन किसान, जिनको कह सकते हैं, रख सकते हैं। बाकी के किसान अभी तक क्या रहे हैं। आज उनकी हालत यह रही है। वे किसान के बेटे हैं, लेकिन जमीन उनके पास नहीं है। हमारे इधर गांव-गांव में हजारों जो जाटव-हरिजन हैं, कितनी ही ऐसी जाति, जिनको हम विमुक्त जाति कहते हैं, जरायमे पेशा जाति कहते हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जिनको हरिजन, जाटव, अछूत कह रहे हैं, मेरा विश्वास है हिन्दू धर्म ने किसी को अछूत नहीं माना। उसका किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है। उनको अछूत इसलिए माना गया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हमारी आपकी तरह सफेद पोश वे नहीं रह सके, इसलिए उनको अछूत मान लिया गया। उनके पास जमीन नहीं थी अपना पेट भरते थे वे लोगों की गुलामी और मज़दूरी करके। अब जरूरत है कि वे सम्मान के साथ रहें।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर-सु०): माननीय सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि आज भी वे तो वही बेगार कर रहे हैं, शिकमी काश्तकार हैं आज भी वे भरतपुर में।

(हंसी)

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं समझ नहीं पाया। रोगी खुद ही नहीं समझ पाया कि डॉक्टर उसके इलाज के लिए कोशिश कर रहा है।

(हंसी)

तो इसके लिए यह कहा जा रहा है, कि जिस समय यह कानून बन जावेगा उस समय शिकमी आदि इस तरह के शब्द ही हट जावेंगे। कोई शिकमी काश्तकार तब नहीं रहेगा, कोई दूसरे का जोता मजबूर होकर नहीं रहेगा। वे मालिक होंगे अपनी जमीन के। यही तो मैं कह रहा था। माननीय सदस्य समझे नहीं।

इस प्रकार जो अछूत बनाये हुए हैं, ये इसलिए हैं, कि उनको हम धन्धा नहीं दे

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

पाये, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बना पाये। इसलिये हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग वे हैं, जिनको दुर्भाग्य से अछूत कहा जा रहा है।

इसी प्रकार हमारा ही देश है, जहां जरायम पेशा भी लोग होते हैं, जो जन्म से जरायम माने जाते हैं। बाप जिसका चोर तो बेटा भी उसका चोर माना जावे, यह भी इस देश में ही है। इसके कारण हैं, उनकी आमदनी के साधनों का छीना जाना। आज कितनी ही जातियां ऐसी हैं, जिनको माना ही यह जाता है कि उनका काम चोरी करना है। रोज उनको पुलिस के थाने में हाजिरी देनी है। यह स्थिति किसी स्वतन्त्र देश के लिए शान और इज्जत या प्रतिष्ठा की बात नहीं हो सकती कि इतने लोग जरायम, चोर, लुटेरे आदि बन कर रहें। स्पष्ट ही इसका कारण यह है कि उनके लिए कोई कमाई के साधन नहीं छोड़े गये। आज सौभाग्य से देश स्वतन्त्र हो जाने के बाद, उनके लिए स्कूलें चलाई जा रही हैं। उनके उत्थान के लिए हर सम्भव काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ, उनमें से इन्जीनियर निकलेंगे, डॉक्टर बनेंगे, पढ़े लिखे बनकर प्रगति करेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक भी उनमें से अपढ़ हैं, उनका जीवन तो भूमि पर ही निर्भर हो सकता है। इसलिए उनके लिये भी हमें भूमि देना है। ऐसे तमाम लोगों की व्यवस्था, अगर हमें देश के उत्थान के लिए करनी है, तो यह तभी हो सकती है, जब हम उनको भूमि दें और यह देखें कि हमारी भूमि कितनी है। मैं समझ नहीं सकता कि जब यह रिपोर्ट तैयार की गई, तो इस प्रश्न पर इस दृष्टि से भी विचार किया गया या नहीं।

३० स्टेन्डर्ड एकड़ रक्खा। यह, यह देख कर रक्खा कि यहां एक ऐसा जीवन मापदंड रख दें, कि उसमें लोगों को अधिक सुविधाऐं मिलें। जिन के पास हजारों बीघा जमीन अब तक रही है, हम यह भी नहीं चाहते, कि उनसे सभी जमीन एक साथ लेली जावे। यह कहा जाता है कि अगर उनसे एकदम जमीन ले ली जावेगी, तो उनका जीवन का मापदंड कम हो जावेगा। मैं समझता हूँ कि यह ठीक है लेकिन उससे भी अधिक खयाल उनका करना था जिनका अब तक जीवन का कोई मापदण्ड रहा ही नहीं। जो अब तक केवल निरे चोर, लुटेरे और जरायम पेशा ही बने हुए हैं, अछूत बने हुए हैं। जो दूसरों के मज़दूर और गुलाम बन कर अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। आखिर उनका जीवन स्तर भी ऊपर उठाना है या नहीं। इस पर विचार नहीं किया गया।

अब इसमें जो स्टेन्डर्ड एकड़ कहां कितना रहे, इसकी सूची दी है....

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं पूछना चाहता हूँ कि अछूतों को जो चोर बताया यह खुल्लमखुल्ला बुरी बात है।

(हंसी)

श्री सभापति : ऐसी बात नहीं है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य ठीक ढंग से सुन लिया करें। मैंने जरायम पेशा लोगों की बात अलग कही है और अछूतों की अलग। दोनों को उन्होने मिला कैसे लिया। आप इसमें शामिल मत होइये।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अब तो कानूनन कोई अछूत रहा ही नहीं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यही कह रहा था। उनको अछूत पहले कैसे बनाया गया। उनको जीवन यापन के साधन नहीं दिये गये। आज जरूरत इस बात की है कि कानून से ही नहीं, व्यवहार में भी उनकी स्थिति को ऊपर उठाया जाय। उनको आर्थिक साधन दिये जावें, ताकि उनका जीवन मापदंड ऊपर उठे। आज तो कानून के होते हुए भी गांवों में हालत बुरी है। कोई उनको आज भी कुओं पर चढ़ने नहीं देता। और न मालूम उनकी क्या दुरावस्था है। कानून तब तक कारगर नहीं हो सकता, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं दी जाती। जब अधिकार मिल जावेंगे और वे भी किसान बनकर दूसरे किसान के साथ बैठ कर मिलकर काम करेंगे, तो उनको भी अपना जीवन मापदंड ऊपर उठाने का अवसर मिलेगा। नहीं तो वे कभी नहीं उठ सकते। इसलिये जरूरत इस बात की है, कि उनको ठीक करने के लिये उनको इतनी जमीन देनी होगी कि उससे उनका भरण-पोषण ठीक तरह से हो सके।

इसी तरह एक और जो बड़ी दलील दी गई है, वह है, इकोनोमिक होल्डिंग की। मैं मानता हूँ, इसको अगर तीस से ज्यादा जमीन रहती है, तब तो इकोनोमिक रहती है, नहीं तो नहीं रहती। मैं समझता हूँ कि यह दलील शायद नहीं दे सकते हैं। जो उस इकोनोमिक होल्डिंग की बात करते हैं जिसमें ट्रैक्टर और मैकेनाइज्ड फार्म की बात आती है। तब तो अलग बात है। इस पर मैं बाद में यथावसर कहूँगा। यहां तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि एक किसान परिवार में पुरुष, स्त्री और बच्चे शामिल हैं वे पूरी मेहनत करें तो एक परिवार तीस चालीस बीघा से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता। अच्छी तरह से पैदा कर सकता है पर्सनल लेबर से कर सकता है, व्यक्तिगत परिश्रम से कर सकता है, तो इतना ही कर सकता है। हां, जैसी केनाइज्ड फार्मिंग की कल्पना आप कर रहे हैं, वह नहीं आ रही है, इसमें। यह मैं मान सकता हूँ। आगे वहां, इसका जिक्र आवेगा वहां यथास्थान इस पर भी मैं विचार प्रकट करूंगा। इसलिये मेरा विश्वास है, कि व्यक्तिगत परिश्रम से वह बहुत अधिक जमीन को अच्छे ढंग से जोत नहीं सकता, जितना कि एक साधारण, जैसा मैंने बताया, उतनी जमीन को कर सकता है। दस, बीस, पचास बीघा जिसको 'इन्टेन्सिव कल्टीवेशन' कहते हैं व्यक्तिगत परिश्रम से अच्छी तरह हो सकती है। हजारों सैकड़ों बीघा की खेती तो बिना मशीन की सहायता से नहीं हो सकती और जिसके बीच से होकर नहर न निकाली जावे, जिसके चारों ओर कांटों की बाढ़ न लगा दी जावे। यह तो बड़ों-बड़ों की बातें हैं जिनके बारे में मैंने पहले कहा था कि ऐसा अमेरिका और इंगलैंड में हो सकता है। मैं जिस किसान के स्टेन्डर्ड की बात कहता हूँ, वह इस प्रकार नहीं है।

वे यह चाहते हैं कि अपने हाथ से काम करें, हम काम करें, हमारी स्त्रियां काम करें, हमारे बच्चे काम करें उस जमीन को अपनी समझें उस धरती-माता की सेवा करें। यह उनकी कल्पना है। यह उनकी कल्पना ज्यादा जमीन रखने से पूरी नहीं हो सकती है। यह जमीन उतनी हो कि जिसके ऊपर ठीक तरह से काम कर सकें। इसलिए यह जो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ का सीलिंग रखा है, जिसको २० स्टेन्डर्ड

(जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

एकड़ कर दिया जाये और यही ठीक है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): धरती-माता ज्यादा होतो उसको काटा जाये ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : धरती-माता के पुत्र इतने हैं कि काटने की नौबत ही नहीं आयेगी ।

श्री भीमसेन (लूण करणसर): ऐसे पुत्रों को आप बीकानेर की तरफ भेजिये, हमारे पास जमीन बहुत है ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : विमुक्त जाते के कुछ लोग जो कि भरतपुर के हैं, वह बीकानेर की तरफ गये । मुझे मालूम है वहां राजस्थान कैनाल निकल रही है । वह न जाने कितनी जगह घूम कर आये, लेकिन उनको कहीं भी जमीन नहीं मिली । मैं आपको बताऊं कि वह आपके एक विमुक्त जाति के अधिकारी से चिट्ठी लेकर गये और हनुमानगढ़ पहुँचे, लेकिन उनको कोई जमीन नहीं मिली....

श्री दामोदरलाल व्यास : हनुमानगढ़ में तो जमीन नहीं होगी । अगर राजस्थान कैनाल में कुछ लोग जाने को तैयार हों, तो आप भेज सकते हैं । हनुमानगढ़ की बात दूसरी है, वहां पर तो भाखरा एरिया है....

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : खैर, कहीं की भी हो, हो जमीन ।

श्री भीमसेन : माननीय सभापति महोदय, हनुमानगढ़ भाखरा एरिया है और वहां पर बहुत से गाडोलिया लुहारों को जमीन दी गई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ और वहां कोई भी आकर नहीं बसे ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं तो उनकी बात कह रहा हूँ जिनको मना कर दिया । लेकिन खैर कोई बात नहीं है । मैं कहता हूँ कि कम से कम मैं १५० परिवार आपको देने को तैयार हूँ । आप उनको कहीं भी बसायें । वह बावरिये हैं । आप उनको कहीं भी जाकर डाल दें । हां, रेगिस्तान में तो वह वैसे भी मर जायेंगे....

श्री भीमसेन : रेगिस्तान में भी तो आदमी रहते हैं ।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : वह तो आपको ही मुबारक है । वह तो नहरी इलाके से जाते हैं और उसी तरह का जीवन बिताना चाहते हैं । यह जो इकोनोमिक होल्डिंग की बात है, मैं कहता हूँ कि आखिर उसका आशय क्या है ? हम यह चाहते हैं कि हमारी जमीन से ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो । आज जरूरत इस बात की है, कि ज्यादा पैदावार हो । लेकिन आज जरूरत इस बात की नहीं है कि ज़मीन ज्यादा बढ़े । जरूरत इस बात की है कि जो जमीन है उसके ऊपर अधिक से अधिक पैदावार हो । वह तभी हो सकती है जबकि हम भूमि में अच्छे से अच्छा खाद देंगे, हमारे पास सिंचाई की ठीक व्यवस्था होगी, हमारे पास बैल अच्छे होंगे, हल अच्छे होंगे और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम परिश्रम करेंगे । आज जरूरत इस बात की है कि ज्यादा पैदावार हो । जमीन को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है । जो थोड़ी जमीन है, उस पर पूरा परिश्रम करें । यह तभी हो सकता है जबकि होल्डिंग इकोनोमी का हम

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

सिद्धांत पूरे रूप से मानें। यह नहीं है कि बड़ी बड़ी जमीनें हीं इकोनोमिक होल्डिंग में आती हों। मैं तो कहता हूं कि जिसमें हम अपना जीवन अच्छी तरह से चला सकें, वही हमारी इकोनोमिक होल्डिंग है और वह इकोनोमिक होल्डिंग २० स्टेन्डर्ड एकड़ की है। एक एकड़ में पता नहीं, कितने बीघा होते हैं। भरतपुर में २। बीघा के करीब एक एकड़ है। शायद १।।। बीघा के करीब हो....

एक माननीय सदस्य : २।। बीघा है।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : २।। बीघा होगा।

राजा श्री मानसिंह : I would like to know whether the Hon'ble Member can cultivate personally or not...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय सदस्य को बतला सकता हूँ कि मैं खेती करता हूं। मेरे बाप दादा जमीन पर काम करते आये हैं। मेरे पास ७५ बीघा जमीन है, तो तीन भाइयों के अन्दर है। हां, मेरे पास हजार दो हजार बीघा जमीन नहीं हैं, मैं साफ कह दूँ।

एक माननीय सदस्य : आप तीनों भाई उस पर जीवन बसर करते हैं ?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : एक भाई हमेशा वहां पर रहता है। हम दो भाई उसको देखते हैं। मैं हजार दो हजार बीघा का किसान नहीं हूँ। इसलिए मैं अपने जैसे ही किसान चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुट्ठी भर लोगों के लिए सौ बीघा की कल्पना नहीं करता।

राजा श्री मानसिंह : Has he built his house in Jaipur on that...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्या कहा गया ? हां, मैं समझता हूँ कि अगर मोती झील में बैठकर अरोदा में जमीन की जा सकती है, तो यहां से भी की जा सकती है।

राजा श्री मानसिंह : I am a big landlord...

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : I am a small kisan. I am not a big landlord. इसलिए मैं किसान की बात कर रहा हूँ। इसलिए किसानों की दृष्टि से....

श्री भैरोंसिंह : Then this is a struggle between a prince and a Kisan

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मेरा सुझाव है, कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के स्थान पर २० स्टेन्डर्ड एकड़ कर दिया जाये। यह नहीं है कि हम कितने लोगों को ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं। मेरी कल्पना यह नहीं है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन मिले। मेरी कल्पना यह है कि ज्यादा से ज्यादा, कितने लोगों का पालन-पोषण हो सकता है। अगर हम ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से २० स्टेन्डर्ड एकड़ ले आयेंगे, तो यदि सबका नहीं तो अधिकांश ८०-९० प्रतिशत लोगों का गुजारा हो सकेगा। इसलिए इस दृष्टि से मैं यह संशोधन पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको इसी रूप में स्वीकार किया जायेगा।

श्री सभापति (श्री मुरलीधर व्यास) : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मेरा भी एक अमेन्डमेन्ट ३० सी में है :

In the explanation replace the figures "10" wherever they occur by the figures "20".

माननीय चेयरमैन, आज सदन में बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण बिल के ऊपर बहस हो रही है जिसका संबंध सीलिंग से है। यह सीलिंग कोई बार बार होने नहीं जा रहा है। यह जो आज सीलिंग हो जायेगा वह हमेशा के लिए कायम रहेगा। इस सीलिंग का जो क्राइटेरिया रखा गया है वह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ रखा गया है और प्रत्येक स्टेन्डर्ड एकड़ में १० मन अनाज की पैदावार का औसत रखा गया है। अब १० मन अनाज का भाव १२ रुपये प्रति मन के हिसाब से लगाया जाये तो १२० रुपये होता है और इस तरह ३० स्टेन्डर्ड एकड़ में वह ३६०० रुपये होता है। जो नैट आमदनी है वह २४०० रुपये एक किसान की रह जायेगी। अब मैं माननीय चेयरमैन महोदय, आपके द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि यह जो सीलिंग रखी गई है यह एक फेमिली के ऊपर है जिसमें कि ५ मेम्बर होंगे। अब यह सीलिंग बार-बार नहीं होगी और फेमिली हमेशा के लिए ५ ही रहेगी और जो भाव रखा गया है वही भाव हमेशा रहेगा, यह मानने में नहीं आता है। १०-१५ वर्ष के बाद सीलिंग तो वही रहेगा और वही १० मन प्रति एकड़ पैदावार होगी और १५ वर्ष के बाद ५ के बजाय फेमिली में १५ मेम्बर्स हो गए तो ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के अलावा उनको और जमीन दी जायेगी क्या ?

दूसरी बात यह है कि क्योंकि आपने सीलिंग तो कर दिया और फेमिली की डेफिनेशन में ५ मेम्बर्स का प्रोविजन रख दिया तो क्या ५-१० वर्ष के बाद फेमिली के मेम्बर बढ़ेंगे नहीं ...

श्री दलपतसिंह (आबू) : अगर कोई १० मर गए तो।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने १० मन के ऊपर भाव निर्धारित करके जो आंकड़े लगाये हैं-मैं निवेदन करूं कि यह किसको मालूम है कि १० वर्ष के बाद यही रेट्स रहेंगी। सन् ३८ की लड़ाई छिड़ी उस समय भी गेहूँ छः सात सेर के थे और उसके बाद में आज रेट्स इतनी घट गईं। आज सरकार इतनी बड़ी बड़ी योजनायें बना रही है और उन योजनाओं के अन्दर करोड़ों और अरबों रुपया लगा रही है जिसमें नहर ला रही है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जितनी पैदावार बढ़ेगी, उतना ही भाव गिरेगा। आज गल्ला कम है, इसलिए भाव बढ़ता जा रहा है। अगर यह भाव गिरेगा तो २४०० रुपये से घटकर किसानों की आमदनी करीब ६००-७०० ही एक फेमिली की इन्कम आ जायेगी....

रावराजा श्री सरदारसिंह : अब फैमिली तो इतनी बढ़ जायगी और आमदनी यहीं की यही रहेगी। अब यही की यही आमदनी रहेगी तो आप काश्तकार को ऊंचा चढ़ाना चाहते है, आप कहते हैं कि उसको आपको इस चेअर पर बिठायेंगे, आप उसको एल. एल. ए. बनायेंगे, उसको प्रधान बनायेंगे........

श्री श्रीमानसिंह : आप अपनी कुर्सी की तरफ तो प्वाइन्ट आउट करें।

(हँसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : लेकिन वह इस आमदनी से क्या तो खेती के औजार लायेगा, क्या बैल खरीदेगा। आज आपको मालूम है कि हजार बारह सौ में बैलों की जोड़ी आती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रेट्स का प्रोवीजन कभी ज्यादा होता है और कभी कम होता है तो सीलिंग बनते हुए भाव हमेशा अलग होंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए और इस बात का प्रोवीजन रखना चाहिए कि कभी खेती बढ़े तो वह देखकर सीलिंग करना चाहिए।

दूसरा आपने यह किया है कि जहां जैसी उपज होगी उसके ऊपर यह स्टैन्डर्ड एकड़ के हिसाब से उसका निर्धारण किया जायेगा। यह तो आप करप्शन बढ़ायेंगे। इसके ऊपर क्या होगा कि जहां १० मन से ज्यादा बढ़ गया तो छिपा दिया और कह दिया कि नहीं २ मन ही है.......

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि अगर मंहगाई बढ़ गई और देश युद्ध में उतर गया तो क्या हाल होगा ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : मंहगाई बढ़ गई है तो फैमिली भी बढ़ेगी, तो और साधन करेगी गवर्नमेंट। हम तो यह चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सीलिंग वीलिंग क्यों ला रहे हैं हम तो यह कहते हैं कि जो कुछ हमारा सर्वस्व है ले लो और हमारे लिए चाहे जो काम दो, चाहे हम से फौज का काम लो और चीन भेज दो

(हंसी एवं करतलध्वनि)

लेकिन हमारे लड़कों के लिए पढ़ाने का इन्तजाम करो, हमारे लिए खाने पीने का इन्तजाम कर दो। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं।........

श्री सभापति (श्री मुरलीधर व्यास) : वहां तो हो जायेगा चीन जाने से।

(हंसी और करतल ध्वनि)

रावराजा श्री सरदारसिंह : मगर आपका क्या होगा ? बड़े बड़े आदमी जो कुर्सियों पर बैठकर राज्य करते हैं, वे और जरिये से कमाते हैं उनकी तनख्वाह भी हजार रुपये महीने के हिसाब से १२०००) रु० होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सिवाय और कोई इन कुर्सियों पर न आयें....

राजा श्री मानसिंह : They are all landless.

रावराजा श्री सरदारसिंह : इसलिए आप उनकी लो आमदनी करते हैं। पहले आप कम से कम उनको आमदनी जो हजार रुपये महीना पाते हैं और १२ हजार की जगह २४ हजार कमाते हैं उनकी आमदनी का सीलिंग करें तो किसान आपके मुकाबले में खड़ा होगा, वर्ना तो किस तरह से किसान आपके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि १० मन का क्राइटेरिया प्रति एकड़ रखा जायेगा तो इसको ३० मन के हिसाब से कर दें।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा): मैं श्री पी. के. चौधरी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन में बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं उसकी भावना से सहमत हूँ लेकिन जो कुछ लेंग्वेज यूज़ की गई है उससे सहमत नहीं हूँ।

मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ कि इस सीलिंग बिल के अन्तर्गत जो सेक्शन ३०

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(सी) है यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण धारा है, और इसके ऊपर काफी वाद-विवाद भी हुआ है। हमारे सामने इस धारा के ऊपर जो कुछ भी विचार आये हैं उनको कई दृष्टियों से, कई माननीय सदस्यों ने देखा है। कई लोगों ने इसको अछूतोद्धार के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है। कुछ लोगों ने सामाजिक न्याय की दृष्टि से बात कही। कुछ लोगों ने कहा कि ऊंचा जीवन स्तर हो वे उतना नहीं कर पाये हैं इसलिए स्टेन्डर्ड यानी जीवन-स्तर को बढ़ाना चाहिए। तो जो माननीय सदस्यों के विचार हैं उनसे सहमति प्रकट की जाय या नहीं की जाय यह अलग सा विषय है, लेकिन जो समस्या यहां पर सामने खड़ी हुई है जिस पर हम वाद-विवाद कर रहे हैं उस समस्या के बीच में जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सीलिंग का जो मकसद था जैसा कि उन्होंने सेकण्ड प्लान में से कुछ कोटेशन लेकर बताया कि हम उन लोगों को ज़मीन देना चाहते हैं कि जिन लोगों के पास में अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं। उन लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहते है ताकि वे उस खुशहाली के साथ अपना जीवन चला सकें। इस बात को उन्होंने सेकण्ड प्लान के कुछ कोटेशन के साथ में रखी, लेकिन कुछ इस तरह के ऐसे विचार उसके विरोध में सुनाई दिये कि हम ज़मीन को केवल बांटना चाहते हैं चाहे हमारा जीवन स्तर कितना ही कम होता हो, उससे गुज़ारा होता हो या नहीं इस बात का ध्यान नहीं दिया जाय।

इसमें अछूतोद्धार की बात कही गई है कि हरिजनों को नहीं मिली है ज़मीन इसलिए उनको देनी चाहिए, उनका जीवन-स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए कई तरीके हैं। इससे अछूतोद्धार भी हो सकता है और जीवन-स्तर भी ऊंचा उठ सकता है यदि हम यह कानून बना दें कि जो फैक्ट्रीज हैं उनमें मज़दूरों की अगर भर्ती की जाती है तो केवल हरिजनों की ही भर्ती की जायेगी। जिन हरिजनों को गन्दा काम करना पड़ता है वे मज़दूर के नाते फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं। इससे अछूतोद्धार का जो प्रश्न है वह समाप्त हो जाता है।....

श्री रामचन्द्र (डग-सु०) : यह उपदेश आप दूसरों के लिए क्यों नहीं देते हैं। केवल हरिजन ही रहे काम करने के लिए।

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं हरिजन नहीं हूँ। मैं अपने लिए कह नहीं सकता हूँ। मेरे साथ कोई अछूतोद्धार का प्रश्न नहीं है और न मैं इसको मानता हूँ। मेरे साथ जितने भी हरिजन कार्यकर्ता काम करते हैं उनकी गिनती बताऊंगा तो मालूम हो जायेगा।....

श्री रामचन्द्र : वोट के समय कहीं आते होंगे।

श्री दयाकृष्ण विजय : आपको मालूम नहीं है। आप दूर बैठे हुए हैं। मेरे साथ बैठकर देखें तो आपको मालूम हो। आपको पता नहीं कि मैं कितना हरिजनों व मजदूर क्षेत्रों में काम करता हूँ। मैं स्वयं नहीं कहना चाहता हूँ।

श्री मदनसिंह दांता (दांतां रामगढ) : Harijans want leather not the land.

श्री दयाकृष्ण विजय : यह एक समस्या

(श्री दयाकृष्ण विजय)

नहीं है। क्लॉज़ ३० में अछूतोद्धार की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग, ज़मीन पर ही उनको बसाया जाय, इस पर बोले। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़मीन ही केवल आजीविका का साधन नहीं है। हम उन लोगों को आजीविका के नये साधन उपलब्ध करा सकते हैं, और वे लोग उससे अपना जीवन-स्तर ऊंचा उठा सकते हैं। आखिर जमीन, जमीन है। जमीन और मशीन दोनों अलग अलग हैं, करके देखेंगे। ज़मीन की पैदावार करने की शक्ति है उसको कुछ रासायनिक खादों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। वह कुछ बढ़ सकती है, लेकिन इतना तो नहीं है कि अपार पैदा होने लगे, उससे अथाह धन पैदा होने लगे। आखिर उसकी जो ताकत है वह एक सीमित ताकत है। मशीन के अन्दर इस तरह की चीज़ नहीं है। ज्यों ज्यों मशीनें बढ़ती जायेंगी पैदावार बढ़ती जायेगी। हम मशीनों को बढ़ा सकते हैं, मशीनों के अन्दर और कुछ विकास हो सकता है, और लाखों लोग उन पर खप सकते हैं। लोगों का ज्यादा ऊंचा जीवन स्तर हो सकता है, क्योंकि मशीनें हर गांव में फैलाई जा सकती हैं। हर व्यक्ति चाहे हरिजन हो या दूसरा जो कि गिरे हुए स्तर के लोग हैं उनको लघु उद्योगों पर बसायें तो वे लोग अपना जीवन-स्तर बढ़ा सकते हैं। ज़मीन पर ही क्यों इन्सिस्ट करते हैं कि हरिजनों को मिलना चाहिये और उनको दी जायेगी तो छुआछूत मिटेगी। मैं समझता हूँ कि छुआछूत मिटाने का तरीका उनको ज़मीन पर लाने का ठीक नहीं है। आखिर ज़मीन पर उन व्यक्तियों को पहले लाना है जो ज़मीन पर काम करते हैं। जो ज़मीन पर काम नहीं करते हैं और केवल गरीब हरिजनों को भूमि पर बसाने के लिए कहा जाता है, उनको दूसरे उद्योग दिये जा सकते हैं। लुहारी का काम, बढ़ई का काम, कागज के कारखाने का काम, बांस की चीजें बनाने का काम है, उन पर उनको लगाया जाय। जो गरीब आदमी हैं और खेतों पर काम करते हैं उनको भूमि पर बसाया जाय। जो हरिजन हैं और जो अछूतोद्धार की समस्या में पड़े हुए हैं उन लोगों को उद्योगों द्वारा विकास की ओर लगाया जाय। लेकिन हिन्दुस्तान और राजस्थान में भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं। हिमालय को धक्का देकर आगे खिसका नहीं सकते हैं। आखिर धरती जहां की तहां बनी रहेगी। जितनी जनसंख्या है यहां की उसको दूसरी जगह मोबिलाइज़ नहीं कर सकते हैं। हटा नहीं सकते हैं। हटाने के बजाय बंगाल के शरणार्थी यहां भेजे जा रहे हैं। उनको भी बसाना है क्योंकि आखिर हिन्दुस्तान एक है। वे वहां पर काश्तकार लोग थे और इस प्रकार से भूमिहीन शरणार्थी हो गये हैं। उन लोगों को बसाने की भी एक समस्या है। आज उन लोगों को जो कि काश्तकारी करते हैं और जिनके पास ज़मीन नहीं है, और जिनके पास कुछ ज़मीन है उन लोगों को बसाने की पहली समस्या है।

जो लोग भावात्मक भाषण करते हैं, केवल सेन्टिमेन्ट्स को उकसाने की कोशिश करते हैं, सेन्टिमेन्ट्स के नाम पर जरायम पेशा लोगों और हरिजन आदि की बात करते हैं वे खाली भाषण देना जानते हैं। वे यह नहीं जानते कि व्यावहारिक जगत में इसका क्या सोल्युशन है, क्या हल है। लेकिन भविष्य में भी अगर उनकी प्रवृत्तियां केवल हरिजनों की ही रहेंगी तो ऐसे अछूतोद्धार को करना चाहिये, हरिजनों का जीवन स्तर ऊंचा

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उठाना चाहिये और उतना ही ऊंचा उठाना चाहिये जितना साधारण मध्यम परिवार के लोगों का है, इसमें दो राय नहीं है लेकिन उसका यह तरीका नहीं हैं कि उनको जमीन पर ही बसाया जाय।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि उनके लिये १५ एकड़ जमीन रख दी जाय। जो लोग प्रगतिशील कहे जाते हैं उनके विचार कितने प्रगतिशील हैं यह देखिये। वे कहते है कि ३० एकड़ से भी कम कर दें। मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि ३० एकड़ भी पर्याप्त नहीं है जैसा कि चौधरीजी ने कहा था, जहां ३० एकड़ है वहां ३० इर्रिगेटेड एकड़ होना चाहिये। इर्रिगेटेड ७५ बीघा जमीन से ही इतनी पैदावार हो सकती जिससे, साधारण मध्यम परिवार कह सकते है, उनकी तरह से गुजर कर सकते हैं। लेकिन श्रम उतना ही करना पड़े और उससे इतना उत्पादन न हो जिससे गुजारा चल सके, इस प्रकार की जमीन देने पर तो गरीब ही रहेंगे। हमारे बंटवारे का तरीका यह था कि हमारे जागीरदारों और जमीदारों के पास हजारों बीघा जमीन है उसका बंटवारा किया जाय, लेकिन उनसे इतनी जमीन लेकर केवल १५ एकड़ जमीन ही उनको दी जाय ऐसा नहीं होना चाहिये। जो लोग पहले उस तरह से रहे हैं उनको भी जरायम पेशा लोगों की तरह रखने के लिये केवल १५ एकड़ जमीन ही उनको दी जाय यह उचित नहीं होगा। जिनसे आप जमीन ले रहे है उनका जो जीवन स्तर चलता आ रहा है जो बहुत रईसाना या राजाशाही ठाटबाट का नहीं था बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों का सा था, उनको उसी तरह से रहने का मौका देना चाहिये। हम लोगों का जीवन स्तर उठाने जा रहे हैं, न कि गिराने। जिनका जीवन स्तर राजाशाही या लगजूरियस नहीं है उनके जीवन स्तर को मेन्टेन करना पड़ेगा, इस दृष्टि से हमें सोचना चाहिये। केवल भावात्मक बातें करने से या सेन्टिमेन्ट्स उभारने से काम नहीं चलेगा। हजारों लाखों लोग जो जमीन पर पनपने वाले हैं उनकी पैदावार सीमित है। खेती से पेट भरने वाले सीमित लोग ही हो सकते हैं। तमाम लोग खेती से पेट नहीं भर सकते। तमाम लोगों के लिये अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा। हम इतना ही कर सकते हैं कि जिनके पास थोड़ी जमीन है जिससे वे अपना पेट नहीं भर सकते उनको ३० इर्रिगेटेड एकड़ या ७५ बीघा जमीन देनी होगी। जिससे इतनी पैदावार कर सके जिससे गुजर चल सके। इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना होगा, अच्छे बीज या खाद का प्रयोग करें, उनके पास विकसित साधन हों जिससे पैदावार बढ़े, इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इन्टेन्सिव कल्टीवेशन करना चाहिये। लेकिन हजारों बीघा जमीन भी लोगों के पास नहीं रहनी चाहिये। इतनी जमीन होगी तो उनको ट्रेक्टर लेना पड़ेगा और इसमें देश की पूंजी बाहर जायेगा। ट्रेक्टर के लिये मैकेनिक चाहिये और तेल चाहिये जो बाहर से आयेगा। हमारी पूंजी विदेशों में जाय इसका कोई समर्थन नहीं करेगा। किसान को कर्जा देकर, चाहे कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, चाहे सरकार के द्वारा कर्जदार बनादें, यह अच्छा तरीका नहीं है। किसान के पास जो साधन हैं उन्हीं का विकास किया जाय, इन्टेन्सिव कल्टीवेशन किया जाय ताकि उसका विकास हो। मुझे याद है कि एक भूतपूर्व

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मिनिस्टर हमारी तरफ के थे उन्होंने अपने नाम पर ४००,५०० बीघा जमीन एलोट करा दी। एक ट्रेक्टर भी रखा जो थोड़े दिन बाद ही नीलाम हो जायेगा। वे खुद काश्तकार नहीं हैं, उन्होंने अटरू तहसील में जमीन एलोट करा दी........

एक माननीय सदस्य : उनका क्या नाम है ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ लेकिन नाम बताना जरूरी नहीं है। उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री के जमाने में जमीन एलोट करवा ली....

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ) : अभिन्न-हरजी हैं गे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : मैं नाम बताना नहीं चाहता लेकिन बहुत से लोग समझ गये होंगे। उन्होंने ही क्या, सेन्टर के मिनिस्टरों तक ने यहां जमीन ली है। सेन्टर के श्री एस० के० डे को० जयपुर में जमीन एलोट की गई है........

श्री दामोदरलाल व्यास : That is quite a worng information. Government has not allotted any land to any Central Minister.

आप जानकारी कर लीजिये। यह बिलकुल गलत सूचना है।

श्री मदनसिंह दांता : बीकानेर वालों को यहां जयपुर में जमीन दी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बीकानेर की बात मैं नहीं जानता लेकिन डे साहब को गवर्नमेन्ट ने जयपुर में कोई जमीन एलोट नहीं की है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेन्ट ने एलोट नहीं की होगी लेकिन डे साहब का जयपुर के पास किसी जमीन पर कब्जा है या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको गवर्नमेन्ट ने कोई जमीन एलोट नहीं की है। यह आपकी गलत सूचना है।

श्री दयाकृष्ण विजय : यदि मैंने उनके बारे में गलत कहा है तो मैं उसको वापिस लेता हूँ लेकिन जहां तक मेरी इन्फोर्मेशन है पहले के मिनिस्टर है उन्होंने अपने आपको जमीन एलोट कराई है ...

श्री दलीपसिंह (बारां) : यह भी गलत कह रहे है।

श्री दयाकृष्ण विजय : उनके बारे में मैं दावे के साथ कहता हूँ। एक व्यक्ति ने बहुत सी जमीन ले ली लेकिन जिसके पास जीवन के साधन इतने नहीं हैं कि वह बड़े बड़े ट्रेक्टर को मेन्टेन कर सकें और आगे जाकर वह नीलाम हो, ऐसा नहीं करना चाहिये।

मंगलोर तहसील में एक कोओपरेटिव सोसाइटी कुछ लोगों ने बनाई और उसे बनाने वाले आपकी जमानत के ही लोग थे। उस कोओपरेटिव सोसायटी का पैसा कहां हजम हुआ उसका पता तक नहीं है लेकिन उनके पास जो ट्रेक्टर था वह नीलाम हो चुका है, बारां विकास खंड में। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग ट्रेक्टर वगैरह

(श्री दयाकृष्ण विजय)

रखेंगे तो उससे उन्नति नहीं हो सकती। किसान की उन्नति उसके सीमित साधनों से ही हो सकती है। लेकिन जो लोग उन लोगों की बातें करते हैं जो जरायम पेशा हैं, अछूत हैं, उनके लिये प्रेशर लगाते हैं तो समझ में नहीं आता कि कैसे काम चलेगा। यदि हमारे पास इस प्रकार की भूमि है जिसे जोतने वाले नहीं हैं तो निश्चित तौर से उनको दीजिये और यहां जो ३० एकड़ रखा है वह बिलकुल उचित है, इससे यदि कम रखेंगे तो किसी भी प्रकार से उनके जीवन का गुज़रा नहीं चलेगा उसका कारण यह है कि जितनी आप कम से कम भूमि पर खेती करेंगे, पैदावार कम ही होती जायेगी। आप किसान की पैदावार का अनुमान लगाइये। एक एकड़ में २॥ बीघा ज़मीन होती है। हमारी तरफ की यदि बारानी ज़मीन है तो २ मन प्रति बीघा के हिसाब से एक एकड़ में ५ मन अनाज की पैदावार हुई। इस ५ मन पैदावार को ३० से गुणा करने पर १५० मन कुल पैदावार ३० एकड़ भूमि में हुई। अब १२ रु० प्रति मन के हिसाब से गवर्नमेन्ट अनाज ले रही है। उस हिसाब से जो कुछ उसके पास आता है उसकी कीमत ३६०० रुपयों से अधिक नहीं है। अब इस हिसाब से आप अन्दाज़ा लगाइये कि इससे क्या उसका जीवन चल सकता है ? क्या साल भर का सारा खर्चा इससे निकल सकता है ?

उसके यहां विवाह भी होते हैं, गमी भी होती है और बच्चे बच्चियों को शिक्षा भी देनी होती है, कोई बीमार होता है तो अधिक पैसे में इन्जेक्शन आते हैं, वे भी लाने होते हैं, अकाल के मुंह में उसे बच्चों को देना नहीं है, फूस की कुटिया में भी उसे नहीं रहना है, जो आप गीत गाते थे कि लम्बे लम्बे महल बना देंगे कुटिया की जगह, महल नहीं तो अच्छा घर ही उसके लिए बना दिया जाय, अच्छा खेत बन जाय, ये सब बातें हो जायं। इन सब बातों के लिए आपने अन्दाज लगाया है रुपयों का, इतने रुपयों में हो सकता है। मैं समझता हूँ कि यह मुमकिन नहीं है। आपने जो केलकुलेशन लगाया है कि कम से कम ३० एकड़ ज़मीन अच्छी मिलनी चाहिए पांच के परिवार को, इससे कम देने के लिये यदि कोई कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस व्यक्ति के साथ, उसके परिवार के साथ न्याय नहीं करते, उनके जीवन स्तर के प्रति उनके हृदय में ममता नहीं है। जिन लोगों से जमीन छीनेंगे अगर उनको १५ एकड़ ज़मीन मिले, तो उनका जीवन स्तर क्या हो जायेगा। जो आपने केलकुलेशन लगाया है, उसका आधा कर दिया जाय तो उनके जीवन स्तर के साथ इसका कैसे मेल बैठ सकता है। आपने १६०० रुपये का केलकुलेशन लगाया है, १५ एकड़ ज़मीन में वह गुजारा कर सकता है, यह बड़ी मुश्किल बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे हर तरीके परिवार को बिगाड़ने वाले न हों, परिवार को बनाने वाले हों। हम यह न सोचें कि ज़मीन ही केवल एक साधन है, जिसके द्वारा समाज का विकास कर सकते हैं, विषमता को दूर कर सकते हैं, इसके साथ ही साथ दूसरे भी साधन हैं। आप देखते हैं कि उद्योगों में कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने केपिटलिस्ट बैठे हुए मजदूरों से काम लेते हैं और उनकी हालत क्या है। यदि कोई कहे कि फैक्ट्रियों को

(श्री दयाकृष्ण विजय)

मजदूरों में बांट दिया जाय, तो मैं समझता हूँ कि यह नहीं हो सकता। लोग कहेंगे कि केपिटल लगाने के लिए न तो गवर्नमेन्ट के पास ताकत है और न मजदूरों के पास है। केपिटलिस्ट ही इस पर कब्जा कर सकते हैं। इस प्रकार आप शहरी साधनों के ऊपर किसी प्रकार सीलिंग लागू नहीं कर सकते। लेकिन गरीब काश्तकार, जो बोलता नहीं है और जिनके अन्दर पढ़ाई लिखाई की कमी है, जिन्हें मालूम नहीं कि क्या कानून बन रहा है, उनके लिए कानून बनाते हैं तो विचार करना पड़ेगा कि हम कानून जिन लोगों के लिए बना रहे हैं, वे समझते नहीं हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जो इर्रिगेटेड शब्द रह गया है:-

No ceiling area shall be less than 30 ordinary acres of land...

आर्डिनेरी इर्रिगेटेड लब्ज होना चाहिए इर्रिगेटेड एक शब्द बढ़ जाय, सेकिंड प्रोविजो में, तो उससे स्थिति साफ हो जाती है, किसी व्यक्ति के पास ३० एकड़ से कम नहीं रहेगी, इर्रिगेटेड एकड़ कुछ भी माना जाय, इस विवाद में मैं नहीं पड़ना चाहता....

श्री रामचन्द्र : मैं जानना चाहता हूँ कि ३० एकड़ के बजाय बारानी ज़मीन कितनी देना चाहेंगे, यह फिगर बता दें।

श्री दयाकृष्ण विजय : तिगुनी अपने आप मिल जायेगी।

श्री रामचन्द्र : ९० एकड़। जिसके लिए आपने दो सौ एकड़ निर्धारित की है, उसको ९० से गुना कीजिये तो कितनी ज़मीन हो जायेगी। यह ज़मीन कहां से लायेंगे ?

श्री दयाकृष्ण विजय : २०० एकड़ जिनको दी है, वह कम की जा सकती है। मैं ९० एकड़ से ज्यादा देने की बात नहीं कह रहा हूँ। ९० एकड़ बारानी लैंड-सीलिंग के लिए हो सकती है, कम से कम ३० एकड़ हो। इर्रिगेटेड लैंड ये शब्द रखिये। मैं १५० या ५०० एकड़ के लिए कहना चाहता हूँ कि आप १५० एकड़ और ५०० एकड़ मत दीजिये, बारानी ज़मीन ९० एकड़ हो सकती है, ३० एकड़ इर्रिगेटेड लैंड अच्छी रखिये ताकि लोगों को खुशहाली जीवन में महसूस हो सके। ज़मीन के बटवारे से अधिक आदमियों को ज़मीन पहुंच सके। मैं नहीं कहता कि हर एक आदमी के पास ज़मीन पहुंच जायेगी। मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी को ज़मीन हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। एक काश्तकार १०० बीघा ज़मीन एक हाली से जुतवा लेता है, अगर उसके पास २०० बीघा ज़मीन हो तो वह दो हाली रख कर जुतवा सकता है। तो १०० बीघा ज़मीन एक किसान उठा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि कितनी ज़मीन पर एक काश्तकार आसानी से काश्त कर सकता है। १०० बीघा वाला काश्तकार एक हाली रख कर काम चला लेता है। आप उसकी मेहनत देखिये। एक आदमी १०० बीघा ज़मीन उठा सकता है तो उसे १०० बीघा ज़मीन मिलनी चाहिए क्योंकि वह समर्थ है और उसके साथ साथ अच्छी तरह काश्त कर सकता है, उसकी ताकत है, इतनी ज़मीन उठा सकता है, उसको दो बैल की जगह चार बैल रखने की जरूरत पड़ेगी,

(श्री दयाकृष्ण विजय)

इतनी वह आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो इतनी ज़मीन देने में क्या कठिनाई होनी चाहिए, आखिर आप उसके जीवन स्तर को उठाना चाहते हैं, बिगाड़ना नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूँ कि जो सेकिन्ड प्रोवीजो में रखा है :

No ceiling area shall be less than 30 ordinary acres of land........."

इसमें इरिगेटेड शब्द और बढ़ा दिया जाय ताकि कोई भ्रान्ति न रहे।

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल (रायपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस धारा ३० सी में जो भी संशोधन आये हैं, उनसे मैं असहमति प्रकट करता हूँ और मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस एक्ट में जो मूल धारा ३० सी रखी गई है, वास्तव में वह उचित है। इसके लिए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया कि स्टेन्डर्ड एकड़ जो है, इससे गलतफहमी फैलेगी, इससे करप्शन बढ़ेगा और अड़चनें पैदा होंगी, एक किसान की समझ में यह बात नहीं आयेगी। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वास्तव में इसके बारे में शुरू में थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा लेकिन इसके अलावा जितने सुझाव आये हैं, वे उपयुक्त नहीं ठहरते और समानता की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से तो मैं समझता हूँ कि जो मूल धारा है, वह ठीक है। यह बताया गया कि बहुत सी जगह एक एकड़ के अन्दर १० मन से ज्यादा पैदा होता है, बहुत सी जगह १० मन से कम पैदा होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कि स्टेन्डर्ड एकड़ की डेफिनेशन दी गई है, उसमें लिखा हुआ है :

"A standard acre shall mean the area of land which with reference to its productive capacity, situation, soil classification and other prescribed particulars," यह शब्द उसके आगे बढ़ाया है। प्रश्न यह है कि एकड़ को उन्होंने उस एरिया को माना है, जिसके अन्दर १० मन गेहूँ पैदा हो। जो मौजूदा एकड़ है, उसको इसमें नहीं माना है। जिस एक एकड़ में १० मन गेहूँ से ज्यादा पैदा होता है, इस कानून के हिसाब से उसे नहीं माना है। स्टेन्डर्ड एकड़ वह है, जिसमें १० मन गेहूँ पैदा होता है, चाहे ढाई बीघे में हो, चाहे एक बीघे में हो। अगर एक बीघे में १० मन पैदा होता है तो वह स्टेन्डर्ड एकड़ होगा, अगर ढाई बीघा में १० मन गेहूँ पैदा होता है तो वह स्टेन्डर्ड एकड़ होगा। इसके साथ ही अगर ५ बीघा में १० मन गेहूँ पैदा नहीं होगा तो वह स्टेन्डर्ड एकड़ नहीं होगा। इसलिए स्टेन्डर्ड एकड़ मानने की बात है, वह अनिवार्य है, उसके लिए कोई चारा नहीं, कोई जनरलाइजेशन नहीं कर सकते किसी कानून के आधार पर, इसलिए स्टेन्डर्ड एकड़ न रखा जाय। स्टेन्डर्ड एकड़ हटा दिया है और ३० एकड़ कर दिया जाय, २० एकड़ कर दिया जाय यह कहा गया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर असमानता हो जायेगी और लोगों को शिकायत करने का मौका मिलेगा और वे कह सकेंगे कि हमने न्याय पूर्वक कानून को नहीं देखा क्योंकि एक

(श्री शंकरलाल)

एकड़ के अन्दर बहुत सी जगह ज्यादा पैदा होती है और बहुत सी जगह कम पैदा होती है। इस असमानता को मिटाने के लिए जो स्टेन्डर्ड एकड़ रखा गया है, वह पैदावार की दृष्टि से रखा गया है। मैं समझता हूँ कि जो संशोधन हमारे सामने आये हैं, उसके अन्दर जो सुझाव रखा गया है, वह मान नहीं सकते। जब तक प्रोडक्टीविटी के आधार पर एक एकड़ को नहीं मानेंगे तब तक समान दृष्टि से सीलिंग नहीं हो सकता। आखिर कोई आधार मान कर चलना पड़ेगा जिससे हम कह सकते हैं कि एक दृष्टि से राजस्थान के लिए कानून बनाया है। यह सोचने की बात है कि गंगानगर में एक एकड़ में ज्यादा पैदा होता है, जो एकड़ माना जाता है, उसमें ज्यादा पैदा होती है, लेकिन अब उसे एकड़ नहीं रखेंगे, वह कम हो जायेगा, जिसमें १० मन गेहूँ पैदा होता है, वह स्टेन्डर्ड एकड़ है....

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से कम नहीं होगा।

श्री शंकरलाल : प्रश्न यहनहीं है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें।

सदन की कार्यवाही दिनांक २-१२-५६ के ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर पांच बजे, बुधवार दिनांक २ दिसम्बर, १६५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, १ दिसम्बर, ५९)

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	स्कम्भ		स्कम्भ
जिलाधीश, भरतपुर, द्वारा की गई नियुक्तियों में हरिजनों का अनुपात ।			
जिला टोंक में अतिवृष्टि के फलस्वरूप हुई फसल की हानि ।			
कॉलोनाइजेशन विभाग के पटवारियों को टी० ए० व डी० ए० का न दिया जाना ।			
समाज-कल्याण विभाग द्वारा गजेटेड व नॉन-गजेटेड पदों के लिये की गई नियुक्तियों में हरिजनों व आदिवासियों का अनुपात ।			
राजस्थान नहर के 'कमान्डेड एरिया' में भूमिहीन किसानों व हरिजनों आदि को दी गई विशेष सुविधायें ।			
करोली में पत्थर की खान का ठेका ।			
नायब तहसीलदार, सोजत द्वारा मुसम्मात मीसरांई की बेचान मकान व खातेदारी की पेश की गई रजिस्ट्री ।			
भीलवाड़ा में अभ्रक निकालने के क्षेत्र का नियतन ।	१८६	जालोर जिले में समाज-कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के कल्याणार्थ किये गये कार्य ।	
		भूमि-वितरण, तहसील आमेट ।	
		भोपाल माइनिंग फैक्ट्री को मन्ग्रोप (Mangrop) खान का ठेका ।	
		विकास खंड, निम्बाहेड़ा ।	
		अखबारी कागज का बिक्री-कर न लेना ।	
		राजस्थानी साहित्य अकादमी ।	
		आमेट तहसील में हरे वृक्षों की नीलामी ।	
		तहसील बाड़मेर में वितरण समिति द्वारा आरजी काश्त के लिये वितरित भूमि ।	
		आर० इ० एस० में प्रमोशन देने के आधार ।	
		बीकानेर में अनिवार्य पाठशालाओं के शिक्षकों की नियुक्ति का आधार ।	
		हनुमानगढ़ में मन्डी निर्माण हेतु निर्धारित राशि एवं उसमें से खर्च की गई राशि ।	

नम्बरदारों को दिये गये पचोतरे का आधार।

बीकानेर गंगा संस्कृत पाठशाला एवं शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ।

महारानी सुदर्शन कॉलेज, बीकानेर में पुस्तकालय एवं विज्ञान के सामान की खरीद।

भाखरा नहर योजना क्षेत्र में मंडी निर्माण की योजना एवं पेऽड प्रोग्राम।

छात्रवृत्ति अभियान।

स्थगन प्रस्ताव

(१) श्री हीराभाई, सदस्य विधान सभा के इस आशय के दिये गये स्थगन प्रस्ताव पर कि रामगंज, पुलिस थाना, जयपुर, के कर्मचारियों द्वारा मारपीट से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, गृह मंत्री श्री रामकिशोर व्यास, ने एक वक्तव्य दिया।

उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

२) देश के भूभाग पर चीनी आक्रमण से संबन्धित जिस स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मूरलीधर व्यास ने दी थी, उसका मुख्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण किया गया।

उक्त प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९५९ के अन्तर्गत बनाये गये निम्नलिखित नियम सदन की मेज पर रखे :—

1. Rajasthan Panchayat Samitis (Co-option of Members) Rules, 1959.

2. Amendment to the Rajasthan Panchayat Samitis (Co-option of Members) Rules, 1959.

3. Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Election of Pradhan, Up-Pradhan, Pramukh and Up-Pramukh) Rules, 1959.

4. Amendment to the Rajasthan Panchayat Samitis & Zila Parishads (Election of Pradhan, Up-Pradhan and Up-Pramukh) Rules, 1959.

5. Amendment to the Rajasthan Panchayat Samitis & Zila Parishads (Election of Pradhan, Up-Pradhan, Pramukh and Up-Pramukh) Rules, 1959.

Page No 111

स्कम्भ स्कम्भ

6, Amendment to the Rajasthan Panchayat Samitis & Zila Parishads (Election of Pradhan. Up-Pradhan, Pramukh and Up-Pramukh) Rules, 1959.

7. Rajasthan Panchayat Samitis Pradhan, Up-Pradhan and Zila Parishads Pramukh's and Up-Pramukh's (Election Petition) Rules, 1959.

8., Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Members of Standing Committees) Rules, 1959.

9. Rajasthan Panchayat Samitis (Co-option of Members of Standing Comittees) Rules, 1959.

10. Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Chairman of Standing Committees) Rules, 1959.

11. Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Conduct of Business) Rules 1959.

12. Rajasthan Panchayat Samitis (Conduct of Business of Standing Committee) Rules, 1959.

13. Rajasthan Panchayat Samitis (Election of Temporary Pradhan) Rules, 1959.

14. Rajasthan Panchayat Samitis (Payment of allowances to Members) Rules, 1959.

15. Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads (Financial, Accounts and Budget) Rules, 1959.

16.. Rules regarding motion of no-confidence.

17. Rajasthan Zila Parishads (Co-option of Members) Rules, 1959.

18. Amendment to the Rajasthan Zila Parishads (Co-option of Members) Rules, 1959.

19. Rajasthan Zila Parishads (Election of Temporary Pramukh) Rules, 1959.

20. Rajasthan Zila Parishads (Payment of allowances to Members) Rules, 1959.

21. Rajasthan Panchayat Samitis & Zila Parishads Service Rules, 1959.

22. Rajasthan Panchayat Samitis and Zila Parishads

(Class IV service) Rules, 1959.

23. Rajasthan Panchayat Samitis & Zila Parishads (Contributory Provident Fund) Rules, 1959.

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (छठा संशोधन) विधेयक, १६५८।

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित उपरोक्त विधेयक पर खण्डशः विचार आज भी जारी रहा।

खण्ड ३–धारा ३० बी:—इस धारा में ३ संशोधन प्रस्तुत किये गये। इन पर की गई बहस में १० सदस्यों ने भाग लिया। वाद-विवाद के पश्चात् धारा ३० बी संशोधित रूप में स्वीकार की गई।

खण्ड ३–धारा ३० सी:—इस पर १० सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तुत किये गए।

श्री शंकरलाल बोल रहे थे कि सदन की बैठक ठीक ५–०० बजे बुधवार, दिनांक २ दिसम्बर, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर देखिये]

समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजनों के कल्याण के लिए जिला जालोर में अब तक किये गये कार्य व उसकी सूची

वर्ष	छात्र वृद्धि		हरिजन मोहल्लों में नल व रोशनी की व्यवस्था हेतु म्यू बोर्ड को सहायता		अग्नि तथा बाढ़पीड़ितों की सहायता		पीने के पानी के कुए हेतु सहायता
	छात्र संख्या	धनराशि	नाम म्युंनिसिपल बोर्ड	धनराशि	व्यक्ति संख्या	धनराशि	धनराशि
५३–५४	२७	२६ रु०	–	–	–	–	–
५४–५५	२६	८६ रु०	–	–	–	–	–
५५–५६	४०	४५३ रु०	म्यु० बोर्ड, जालोर	५०० रु०	–	–	–
५६–५७	८२	७७३ रु०	,, ,,	५०० रु०	–	–	–
५७–५८	६००	–	म्यु० बोर्ड, भीनमाल	४०० रु०	–	–	–

१	२	३	४	५	६	७	८	९
५७–५८	६१	१३३० रु०	म्यु० बोर्ड,	जालोर	७५० रु०	१२	११७३ रु०	३४०
			,,	सांचोर	६७			
			,,	जसवन्तपुरा	३३			
५८–५९	३१२	३५३२ रु०	,,	,,	–	१०	५४२ रु०	–
योग	५८०	६३०३ रु०			२२८० रु०	२२	१७१५ रु०	३४०

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये]

राजस्थान सरकार

सूची उन व्यक्तियों की जिनको अस्थाई तौर पर भूमि व्यक्तिगत रूप से वितरण की गई

नम्बर	नाम गांव	नाम व्यक्ति	तादाद रकबा बीघों में	केफियत
१	२	३	४	५
१	गिलोला	(१) श्री अर्जुनसिंह राजपूत	३)	फाइल नम्बर २७।५६
	,,	(२) श्री किशोर बलाई	३)	,,
	,,	(३) श्री गुलाब राजपूत	३)	,,
	,,	(४) श्री पना राजपूत	५)	,,
	,,	(५) श्री बद्री दरोगा	५)	,,
	,,	(६) श्री मगना माली	८)	,,
	,,	(७) श्री भोला राजपूत	३)	,,
	,,	(८) श्री किशना माली	३)	,,
		(९) श्री पेमा बलाई	३)	,,
		(१०) श्री रूपा हरिजन	५)	,,
		(११) श्री कन्ना बलाई	३)	,,
		(१२) श्री चतरसिंह राजपूत	५)	,,

Page No 116

१	२	३	४	५
		(१३) श्री लालु तेली	५)	,,
		(१४) श्री भेरा बलाई	४)	,,
		(१५) श्री रामचन्द्र राजपूत	३)	,,
		(१६) श्री कजोड़ बलाई	२)	,,
		(१७) श्री लालु कुम्हार	४)	,,
		(१८) श्री हेमती बलायन	३)	,,
		योग	७०)	
(२)	वीरवास	(१) श्री मांगू कुम्हार	५)	फाइल नं० २५।५६
(३)	लोडीयाना	(१) श्री बाल्ढ हरिजन	८)	फायल नम्बर २६।५६
		(२) श्री सवाई लोहार	८)	,,
		(३) श्री जेता बलाई	८)	,,
		(४) श्री प्रताप	८)	,,
		योग	३२)	
(४)	जैतपुरा	(१) श्री उंकार पिता भगा भील		फाइल नं० २४।५६
		(२) श्री भूरपुरी पिता मानपुरी गुसांई		
		(३) श्री मोडीराम पिता केसुदास		तहसील से मौके पर इन
		(४) श्री भूरा पिता रामा	८०)	आसामियों को सहकारिता
		(५) श्री हीरा गुसांई		के आधार पर भूमि दी
		(६) श्री धन्ना पिता रामा तेली		गई थी। किन्तु वक्त

Page No 117

१	२	३	४	५
		(७) श्री प्रताप पिता पन्ना रेबारी		बेमूदगी इनके द्वारा सामू-
		(८) काल्लू कन्ना पिता नारू चमार		हिक रूप से लेने की इंन
		योग	८०)	कारी करने से नहीं दी
				गई। बाद में यही भूमि सहकारिताकीबिना पर काल वेलियान को दी गई है।

कुल योग १८७

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८ का उत्तर देखिए)

(१) विकास खण्ड निम्बाहेड़ा में अब तक हुई प्रगति की सूची

१. रासायनिक खाद वितरण (मन)	१७६६
२. बीज वितरण (मन)	१६४०
३, कृषि प्रदर्शन क्षेत्र	७६
४. फलदार वृक्षारोपण (संख्या)	८०३८
५. मेड़बन्दी (एकड़)	१४३६
६. खाद के खड्डे	१०२४
७. नए ढंग से गांवाई खाद तैयार किया गया (मन)	५००
८. कृषि यंत्रों का वितरण	१२
९. पौध नर्सरी (संख्या)	१३
१०. फलों के बगीचे (एकड़)	४॥
११. बोरड़ियों पर कलम चढ़ाई गई	८५०
१२. सब्जी की खेती (एकड़)	४२
१३. सब्जी का बीज वितरण	२ मन ३६ सेर
१४. पौध संरक्षण (एकड़)	१८८
१५. नये स्कूल प्रारम्भ किये गये (संख्या)	६
१६. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र (संख्या)	१७
१७. प्रौढ़ जो शिक्षित किये गये (संख्या)	४२५
१८. महिला मण्डल (संख्या)	१०
१९. भजन मण्डली (संख्या)	४
२०. क्लब (संख्या)	२
२१. विकास मण्डल (संख्या)	१७

Page No 119

२२. नवयुवक मण्डल (संख्या)	४
२३. सहकारी समितियां (संख्या)	१६
२४. बैल बधिया किये (संख्या)	१५
२५. टीका लगाया (संख्या)	१०८२६
२६. पशुओं की अन्य चिकित्सा (संख्या)	४४८
२७. जल कूप निर्माण (संख्या)	५
२८. कच्ची सड़क का निर्माण	४ ५/८ मील
२९. पक्की सड़क का निर्माण	४ फर्लांग
३०. जन सहयोग	११६८४) रु०

———

(२) विकास खण्ड निम्बाहेड़ा में नियुक्त अधिकारियों की सूची

पद

१. विकास अधिकारी,

२. कृषि प्रसार अधिकारी,

३. पशु प्रसार अधिकारी,

४. समाज शिक्षा प्रसार अधिकारिणी,

५. समाज शिक्षा प्रसार अधिकारी,

६. शिक्षा प्रसार अधिकारी,

७. उद्योग प्रसार अधिकारी,

८. पंचायत प्रसार अधिकारी,

९. ओवरसियर,

१०. सहकारी प्रसार अधिकारी,

११. ग्राम सेवक।

परिशिष्ट ४

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१ का उत्तर देखिये)

नीलामी कार्यवाही का विवरण प्रश्न के समय से सम्बन्धित सूचना

दिनांक	किसकी उपस्थिति में हुई	अन्तिम बोली
१ १५-४-५६ से १७.४.५६	श्री कुरीचन्द नायब तहसीलदार	१५-४-५६ अन्तिम बोली ६०१ रु १६-४-५६ ,, ,, १००१ रु० १७-४-५६ ,, ,, १०१५ रु०
२. १-५-५६	लैन्ड रेकॉर्ड इन्स्पेक्टर	कोई इजाफा अन्तिम बोली में नहीं हुआ।
३. २-५-५६. व ३.५,५६.	आफीशियेटिंग तहसीलदार देवपुरा श्री भंवरलाल जी	अन्तिम बोली ५०१५ रुपये

———

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६० का उत्तर देखिये)

LIST OF SCIENCE ARTICLES PURCHASED DURING 1957-58.

S. No.	Category	Amount	Name of firm	Date of payment	Date of Receipt.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Lib. Books	104.82	M/s Navyug Granth Kutteer Bikaner.	25.3.58	5.2,58
2.	Science	1275.02	M/s Scienptific Equipment Works Delhi.	26.3.58	8.2.58
3.	—do—	571.66	M/s Bhargava Scientific Corporation, Ajmer.	26.3.58	15.1.58 11.2.58
4.	—do—	1289.37	M/s Bhandari Scientific Stores, Delhi.	31.3.58	7.2.58
5.	—do—	241.44	M/s Jullunder Science Store Jullunder City.	26.3.58	6.2.58
6.	—do—	3800.61	—do—	26.3.58	8.2.58
7.	—do—	6639.54	M/s General Science Industries Ambala Cantt.	31.3.58	21.2.58
8.	—do—	62.50	M/s Bikaner Stores, Bikaner.	27.3.58	14.3.58
9.	—do—	5237.70	M/s Gaur Scientific Stores Ambala Cantt.	21.3.58	
10.	Library	687.12	M/s Book Centre, Jaipur.	31.3.58	19.3.58
11.	Science	226.87	M/s Scientific Equipment Works, Delhi.	28.3.58	10.2.58

	2	3	4	5	6
12.	Science	1158.17	M/s Jullunder Science Stores, Jullunder.	31.3.58	19.3.58
13.	—do—	1109.97	M/s Book Centre' Jaipur.	31.3.58	20.3.58
14.	—do—	1057.03	M/s Jullunder Science Stores, Jullunder City.	31.3.58	22.3.58
15.	Library	14.70	M/s Students Book Co., Jaipur.	31.3.58	24.3.58
16.	—do—	61.30	M/s Goyal & Co. Bikaner.	31.3.58	24.3.58
17.	—do—	1350.81	M/s Roy & Co. Delhi.	31.3.58	25.3.58
18.	—do—	10.13	M/s Rajkamal Delhi.	22.11.57	14.11.57
19.	—do—	13.59	M/s Garg & Co. Bikaner	22.11.57	31.8.57
20.	—do—	30.50	M/s Navyug Granth, Kuteer	October 57	27.9.57
21.	—do—	88.00	M/s Garg & Company,	22.11.57	26.8.57
22.	—do—	5.62	M/s Navyug Granth Kuteer	25.3,58	28.1.58
23.	—do—	16.87	M/s —do— Bikaner.	25.3.58	18.1.58
24.	—do—	74.00	M/s Atma Ram & Sons, Delhi.	26.9.57	12.8.57
25.	—do—	90.87	M/s Shiv Lal Agrawal, Agra.	26.9.57	20,4.57
26.	—do—	33.12	M/s Navyug Granth Kuteer, Bikaner.	10.10.57	17.9.57
27.	—do—	183.83	M/s —do—	25.3.58	3.2.58
28.	—do—	31.25	—do—	26.3.58	17.10.57
29.	—do—	348.45	M/s Usha Book Agency, Jaipur.	31.3.58	19.3.58

1	2	3	4	5	6
			1958.59		
30.	Science	794.15	M/s Jullunder Science Store, Jullunder City.	5.12.58	14.11.58
31.	—do—	947.40	M/s Laboratory Furniture Stores, Jodhpur.	5.12.58	5.11.58
32.	—do—	62.50	M/s R, P. Singh & Sons, Agra	5.12.58	8.11.58
33.	—do—	206 25	M/s Scientific Equipment Works, Delhi.	5.12.58	20.8.58
34.	—do—	71.50	M/s Animal Catcher, Bikaner.	29.10.58	9.10.58
35.	—do—	18.50	M/s Anilal Gatcher, Bikaner.	18.11.58	8.10.58
36.	—do—	1722.18	M/s General Sc. Industries, Ambala Cant.	27.3.58	24.11.58
37.	—do—	165.14	M/s Bhargava Coperation Ajmer.	2.2.59	7.11.58
38.	—do—	1358.64	M/s Jullunder Scientific Stores, Jullunder City.	2.2.59	5.11.58
39.	—do—	23.12	M/s Bikaner Snimal Catcher, Bikaner.	18,2.59	16.1.59
40.	—do—	1442.08	M/s Jullunder Sc. Stores, Jullunder City.	16.3.59	21.2.59
41.	—do—	889.08	M/s Hargolal & Sons, Ambala Cant.	27.3,59	10 3.59
42.	—do—	160.00	M/s Scientific Equipment Works, Delhi.	27.3.59	1 3.3.59
43.	—do—	40.00	M/s New India Sc. Industries Saharanpur.	27.3.59	10.3.59
44.	—do—	145 76	M/s H. C. Memorial Sc. Co., Ambala Cant.	27.3.59	13,3.59

1	2	3	4	5	6
45.	—do—	134.63	M/s General Sc. Industries, Ambala Cant.	27.3.59	12.3.59
46.	—do—	2568.80	M/s Oriental Sc. Stores, Ambala Cant.	27.2.59	12.3.59
47.	—do—	2775.25	M/s Jullunder Sc. Stores, Jullunder City.	21.3.59	14.3.59
48.	—do—	26.57	M/s Gaur Scientific Stores, Ambala Cant.	21.3.59	10.3,59
49.	—do—	315.63	M/s Lab. Equipment Trader, Ambala Cant.	28.3.59	18.3.59
50.	—do—	49.39	M/s Ram Kumar & Sons, Itwava.	28.3.59	18.3 59
51.	Library Books	482.84	M/s Students Book Co., Jaipur.	21.3.59	14.3.59
52.	—do—	1088.00	—do—	21.3.59	4.3.59
53.	—do—	491.92	M/s Navyug Granth Kuteer. Bikaner.	26.3.59	18.3,59
54.	—do—	287.24	M/s Goyal & Co. Bikaner.	27.3.59	15.3.59
55.	Science	193.22	M/s General Industries, Ambala Cant.	27.3.59	28.8.58
56.	—do—	471.71	M/s Jullunder Sc. Stores, Jullunder.	27.3.59	13.3.59
57.	—do—	98.07	M/s Capital Sc. Stores, Delhi.	21.3.59	16.3.59
58.	—do—	319.37	M/s Lab. Equipment Trader, Ambala Cant.	28.3.59	18.3.59
59.	—do—	248.18	M/s General Sc. Industries, Ambala Cant.	28.3.59	19,3.59

1	2	3	4	5	6
60.	Science	182.32	M/s Jullunder Sc. Store, Jullunder City.	28.3.59	19.3.59
61.	—do—	421.69	M/s Scientific Suppliers, Delhi.	28.3.59	19.3,59
62.	—do—	130.98	M/s General Sc. Industries Ambala Cant.	28.3.59	20.3.59
63.	—do—	106.00	M/s The National Sc., Delhi.	31.3.59	21.3.59
64.	—do—	48.04	M/s Oswal Sc. Store, Amratsar.	31.3.59	28.3.59
65.	—do—	615.25	M/s Jullunder Sc. Store Jullunder.	31.3.59	9.2.59
66.	—do—	25.42	M/s General Sc. Industries, Ambala Cant.	28.3.59	20.3.59
67.	Library	10.94	M/s Pradeep Sahitya Prakashan,	5.12.58	30.11.58
68.	—do—	21.35	M/s Ananda Book Co. Madras	5.12.58	27.10.58
69.	—do—	152.34	M/s Navyug Granth Kuteer, Bikaner.	3.12.58	6.12.58
70.	—do—	72.52	M/s Roy & Co., Delhi.	16.3.59	18.1.59
71.	—do—	33.75	M/s Roshan Lal & Co., Alwar.	27.8.58	2.6.58
72.	—do—	73.83	M/s Navyug Granth Kuteer, Bikaner.	2.2.59	25.11.58
73.	—do—	196.85	M/s Atma Ram & Sons, Delhi	21.2.59	12.1.59
74.	—do—	64.25	M/s Navyug Granth Kuteer, Bikaner.	18.2.59	12,1.59
75.	—do—	13.25	M/s Munshiram Manoharlal	21.2.59	12.1.59

Page No 127

1	2	3	4	5	6
76.	Library	148.00	M/s Kotah Book Co., Kotah.	19.3.59	6.3.59
77.	—do—	4.38	M/s Permanand Mishra & Co.	16.3.59	6.3.59
78.	—do—	39.65	M/s Sangeet Karayalya, Hatras.	2.2.59	8.12.58
79.	—do—	6.94	M/s Students Book & Co., Jaipur.	2.2.59	16.12.58
80.	—do—	12.75	M/s Publication, Delhi.	21.3.59	10.3.59
81.	—do—	128.60	M/s Cholumba Sanskrit, Banaras.	21.3.59	15.2.59
82.	—do—	121.75	M/s Mehra & Co., Delhi.	21.3.59	16 3.59
83.	—do—	9.50	M/s Director of Economics Statics, Jaipur.	21.3.59	14.3.59
84.	—do—	11.12	M/s Bhartiya Pustak Bhawan	21.3.59	16.3.59
85.	—do—	43.20	M/s Goyal & Co. Bikaner.	27.3.59	15 3.59
86.	—do—	19.05	—do—	27.3.59	18.3.59
87.	—do—	17.00	M/s Khadi Mandir, Bikaner.	28.3.59	15.3.59
88.	—do—	104.57	M/s Rajasthan Pustak Grah, Bikaner.	31.3.59	18.3.59
89.	—do—	113.62	—do—	23.3.59	18.3.59
90.	—do—	69.66	—do—	28,3.59	18.3.59

———

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिये)

Extract copy of the Annual Administration report for the year 1957-58 Mandi Development:—

Tho Government has approved the scheme of establishing 21 Mandies in the Bhakra Project area at the following places.

Class I	Hanumangarh Junction	
Class II	1. Bhadra	2. Nohar
	3. Suratgarh	4. Sangaria
	5. Sadulshahr	6. Pilibangan
	7. Talwara Jheel.	
Class III	1. Hanumangarh Fort	2, Dhuban
	3. Ujjalwas	4. Tibbi
	5. Manoksar	6. Dholipal
	7. Bhanwali	8. Dabli
	9. Khanania	10. Jhansal
	11. Nethrana	12. Phophana
	13. Paka Bhadwon	

The residential Plots and sites for Shops have been sold by public auction in— the Mandies of Hanumangarh Junction and Pilibangan The prices fetched were as under:-

Particulars.	No. of plots. Sold.	Sale price.	Govt. reserved price per Sq. yd.	Average price fetched per Sq. yd.
1. Residential plots at Hanumangarh Junction,	48	3,00,696.00	4.50	7.49
2. Shop-sites at Hanumangarh Junction Mandi,	97	6,16,325.00	10.00	21.04
3. Shop-sites at Pilibangan Mandi,	23	2,77,800.00	8.00	31.98

———

PROGRESS REPORT OF THE SALE OF LAND IN MANDIES BY AUCTION UPTO 31-3-1959.

Sl. No.	Name of the Mandi.	Nature of plots sold.	PLOTS SOLD UPTO LAST MONTH		PLOTS SOLD DURING THE MONTH		TOTAL PLOTS SOLD		Amount realised upto 31.3.59.	Balance to be realised	Remarks
			No. of plots.	Sale price in rupees with average.	No. of plots.	Sale price in rupees with average.	No. of plots	Sale price in rupees.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Hanuman Garh Jn.	Reside-ntial	57	3,34,496.00 (Average Rs. 7.14 per sq. yd. against Rs. 4.50nP. per sq. yd)	—	—	57	3,34,496.00	2,97,033.50	37,762.50	
2.		Shop-sites	383	11,67,555.00 (Average Rs. 21.64nP. per sq. yd. against Rs. 10.00nP. per sq. yd)	10	12,375.00 Average Rs. 20.06nP. per sq. yd. against Rs. 10.00nP. per sq. yd)	393	11,79,930.00	10,97,354.75	82,575.25	
		Timber shops	12	40,900.00 (Average Rs. 12.78nP. per sq. yd against Rs. 10.00nP. per sq. yd)	1	4,200.00 (Average Rs. 15.73nP. per sq. yd. against Rs. 10.00nP. per sq. yd)	13	45,100.00	38 950.00	6,150.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Petrol Pump	2	32,500.00 (Average Rs. 18.29nP. per sq. yd. against Rs. 10.00nP. per sq. yd)	—	—	2	32,500.00	32,500.00	—	
		Cinema Plot	1	48,225.00 (Average Rs. 13.16nP. per sq. yd. against Rs. 10.00nP. per sq. yd)	—	—	1	48,225.00	48,225.00	—	
2.	(1) Pilibangan	Residential	18	66,300.00 (Average Rs. 4.85nP. per sq. yd. against Rs. 3.50nP. per sq. yd)	13	15,075.00 (Average Rs, 4.26nP. per sq. yd. against Rs. 3.50nP. per sq. yd)	31	81,375.00	20,343.75	61,031.25	
2.	„	Shopsite	151	3,38,625.00 (Average Rs. 25.51nP. per sq. yd. against Rs. 8.00nP, per sq. yd)	24	21,335.00 (Average Rs. 15.29nP. per sq. yd. against Rs. 8.00nP. per sq. yd)	175	3,59,950.00	2,89,720.00	70,230.00	

Page No 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Patrol Pump	2	23 500.00 (Average Rs. 16.52nP. per sq. yd. against Rs. 8.00nP. per sq. yd)	—	—	2	23,500.00	14,500.00	9,000.00	
3.	Sadul Shahar	Residential.	41	71,125.00 (Average Rs. 4.93nP. per sq. yd. against Rs. 3.50nP. per sq. yd).	—	—	41	71,125.00	58,412.50	12.712,50	
		Shop-sites.	55	1,87,650.00 (Average Rs. 24.58nP. per sq. yd. against Rs. 8.00nP. per sq. yd).	16	16,450.00 (Average Rs. 13.70nP. per sq. yd. against Rs. 8.00nP. per sq. yd)	71	2,04,100.00	1,67,618.75	36,481.25	
4.	Sangaria	Shop-sites	—	—	44	1,54,225.00 (Average Rs.32.28nP. per sq. yd. against Rs. 8.00nP. per sq. yd)	44	1,54,225.00	38,556.25	1,15,668.75	
		Total	724	23,27,226.00	108	2,23,650.00	832	25,50,876.00	21,14,089.50	4,36,786 50	
									Less balance of forfeiture cases	90,225.00	
										3,46,561.50	

शुद्धि-पत्र

(१ दिसम्बर १९५९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१९२	२१	जरिये	जरिये
१९६	अन्तिम से ६	2l acs	2 lacs
१९८	११	बेवा	बेवा
२००	२	allottes	allottees
२००	३	have beeu given	have given
२००	अन्तिम से ६	बहार	(विलोपित समझिये)
२०६	१२	पर्दों	पदों
२१०	१०	राजस्थान	राजस्थानी
२२४	३	emqloyees	employees
२२७	१२	1957	57
२४०	७	वंश	वश
२४३	शीर्ष	१ दिनम्बर, ५९	१ दिसम्बर, ५९
२५१	शीर्ष	१ दिसस्बर, ५९	१ दिसम्बर, ५९
२५९	१६	Theire hildren	their children
२६५	३व अन्तिम से १३	डिस्ट्रीव्युशन	डिस्ट्रीब्युशन
२६५	१७ व २०	डिस्ट्रीव्युट	डिस्ट्रीब्यूट
२६६	अन्तिम से १२-१३	डिस्ट्रीव्यूशन	डिस्ट्रीब्युशन
२७८	५	तरमीमम	तरमीम
२९०	१५	cilng	ceiling
२९१	१३	ceilding	ceiling
२९१	अन्तिम से ५	claification	clarification
३०३	१३	विभन्न	विभिन्न

(२)

१	२	३	४
३०४	अन्तिम सं ५	(व्याना)	(बयाना)
३०५	अन्तिम सं ३	इकोनोमकिल	इकोनोमिकल
२०५	अन्तिम	कोनोमिक	इकोनोमिक
३०८	१	हो जाया	हो जाय।
३०८	५	कावटेरिया	काइटेरिया
३०८	अन्तिम से १०	पढ़ेगा	पड़ेगा
३११	२४	आरयुमेन्ट	अर्गुमेन्ट
३१४	अन्तिम	देखेंगे	देखेंगे
११५	३	इो	हो
३२३	६	नाजाथज	नाजायज
३३३	१५	ift	lift
३३३	१५	उपाघ्यच्च	उपाध्यच्च
३३४	अन्तिम से ६	काइटोरिया	काइटेरिया
३३५	१२	preduction	production
३४०	११	इरिगेटेड	इर्रिगेटेड
३४१	१	इन्डेफिटनेनेस	इन्डेफिनेटनैस
३४१	२१-२५-२६	individul	individual
३४२	११-१२	substisute	substitute
३४७	२३-२४	connsist	consist
३४८	अन्तिम से६	Minlster	Minister
३५०	२६	Chinse	Chinese
३५०	२६	Chiness	Chinese
३५१	अन्तिम से११	societes	societies
३६१	शीर्ष	(छुडा संशोधन)	(छुठा संशोधन)
३६१	अन्तिम से ६	ज्दादा	ज्यादा
३६७	१८-१६	अनबकोनोभिक	अनइकोनोमिक
३६७	अन्तिम से २	नही	नहीं
३७०	१६-१७	30 istandard	30 standard
३८०	७-८	जैसी केनाइज्ड	जैसी मैकेनाइज्ड
३८६	अन्तिम से २	बयायेंगे	बनायेंगे
३८७	२३	महोनय	महोदय

(३)

१	२	३	४
३६२	अन्तिम से ५	ध्यावहारिक	व्यावहारिक
३६५	अन्तिम से ८	worng	wrong
४२२	७	Scienplific	scientific
४२४	१२	27. 3.58	27.3.59
४२४	१३	165. 14	159.14
४२६	१९	2. 6. 58	2.5.58